May 2023

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

Coal Sector

G-7

Renewable Energy
in India

Anti-Conversion Legislation

Buddhism
A Soft Power

Nuclear Power
Phasing out

TOPPER'S RECOMMENDED
BEST CHOICE

हिंदी

Great Andamanese

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

Under The Guidance Of
Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

- 78 Prelims Tests
- 95 Mains Tests
- Weekly Assignments Monitored by Mentor
- Performance Tracker
- Module Wise Classes of Choice
- Current Affairs Classes
- Live solving of Prelims PYQ'S by Prelims Experts
- Enhanced Peer Group Activities

Bangalore Delhi
Bhopal Lucknow Online

ADMISSION OPEN

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

COAL SECTOR

PRELIMS 5

राजव्यवस्था और शासन

- अनुच्छेद 142
- राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना
- मेइती
- CU चयन पोर्टल
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम
- तलाक-ए-हसन
- गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NCD)
- CISO डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पोषण भी, पढाई भी
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
- डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)
- अध्यादेशों का प्रख्यापन और पुन: प्रख्यापन करने की सरकार की शक्ति
- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन
- फोरम शॉपिंग
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023
- समर्थ (SAMARTH) अभियान

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- आसियान भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2023)
- अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF)
- अरब लीग
- एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP)
- आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट-2023
- हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) 2023
- साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज (एसएजीई)
- पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु यूरोपीय बैंक
- भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) शिखर सम्मेलन 2023
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INST
- G7
- भारत-ऑस्ट्रेलिया प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौ
- स्प्रैटली द्वीप समूह
- लीपज़िग परिवहन शिखर सम्मेलन

अर्थव्यवस्था

- बिजनेस रेडी (बी-रेडी) रैंकिंग
- डी डॉलरीकरण (De dollarization)
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व
- मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट 2022-23
- G20 टेकस्प्रिंट
- स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही
- यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए)
- गोल्ड रश
- यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड
- लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR)
- त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (C-PACE)
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना
- चक्रीय अर्थव्यवस्था
- ग्रीन डिपॉजिट और विनियामक ढांचा
- उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)
- कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास निधि
- भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
- टैम्पोन टैक्स और पीरियड पावर्टी (Tampon Tax and Period Poverty)

भूगोल

- उपच्छाया चंद्र ग्रहण (Penumbral Lunar Eclipse)
- गैलापागोस द्वीप समूह
- कोको द्वीप
- गजपति सिंचाई परियोजना
- महादयी / मंडोवी नदी जल विवाद
- किरू हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट
- बारालाचा ला दर्रा

पर्यावरण

- लाल पांडा
- सिमलीपाल टाइगर रिजर्व

- पेंटेड स्टॉर्क
- जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद
- रिवर सिटीज एलायंस
- बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व
- वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच (UNFF)
- हैमरहेड शार्क
- मिल्कवीड तितलियाँ
- इरेटमोप्टेरा मर्फी
- बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य
- गेको मिज़ोरमेन्सिस
- किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी
- कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य
- कम्बालकोंडा वन्य अभयारण्य (Kambalakonda Wildlife Sanctuary)
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन
- जन जैव-विविधता रजिस्टर (PBR)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- न्यूरोटॉक्सिन
- ब्लूबगिंग
- बेडाक्विलीन
- लिस्टेरिया कंटैमिनेशन
- पीतज्वर या 'यलो फीवर' (Yellow fever)
- स्केरी बार्बी
- डोनानेमाब
- अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START)
- थैलेसीमिया
- LIGO-इंडिया
- हाइड्रोजन सल्फ़ाइड
- आईड्रोन पहल
- फ़ोमाल्हौट
- थ्री पेरेंट बेबी
- पौष्टिक-औषध (न्यूट्रास्यूटिकल्स)
- जेनरेटिव AI
- अंतर्राष्ट्रीय रोगज़नक़ निगरानी नेटवर्क (IPSN)
- फोर्टिफाइड चावल
- लघु मॉड्यूलर रिएक्टर
- एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर

इतिहास, कला एवं संस्कृति

- शिलाभट्टारिका
- मृदंग
- गोपाल कृष्ण गोखले
- संत समर्थ रामदास
- रवीन्द्रनाथ टैगोर
- मोनलम चेनमो
- सातवाहन
- एक विरासत अपनाएं
- नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट
- थिरुक्कुरल
- मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति
- चोल सेनगोल परंपरा

विविध

- गोल्डन ग्लोब रेस
- बुलंद भारत अभ्यास
- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए)
- स्टॉर्म शैडो मिसाइल
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
- अभ्यास समुद्र शक्ति-23
- धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण के लिए टेलीकॉम एनालिटिक्स (टीएएफसीओपी)
- 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा
- आईएनएस सिंधुरत्न
- उड़ान 5.1
- समर्थ (SAMARTH) अभियान

MAINS……

राजव्यवस्था और शासन

- भारत के स्मार्ट बिजली भविष्य पर स्विचिंग
- भारत में ड्रग रिकॉल कानून
- भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून
- क्या भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार करना चाहिए?

- आदर्श कारागार अधिनियम 2023
- सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के रुख को कैसे वैध ठहराया है?

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- भारत के बहु-संरेखण स्टैंड के साथ समस्या
- 2023 में G7 देशों की बैठक
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार (UN Security Council Reforms)

पर्यावरण

- वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना
- ग्रीनवॉशिंग
- जलवायु परिवर्तन निर्णय लेने में महिलाओं के समावेश का महत्व

अर्थव्यवस्था

- डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)
- भारत का विमानन उद्योग

नीति शास्त्र

- न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना (Recusal by Judges)
- सॉफ्ट पावर के एक साधन के रूप में बौद्ध धर्म

PRACTICE QUESTIONS

Key Answers

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

अनुच्छेद 142	**संदर्भ :** हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुच्छेद 142 के तहत कपल्स को सीधे तलाक दे सकती है। **अनुच्छेद 142 के बारे में:-** • यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और उनको लागू करने से संबंधित है। • अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। • अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को दोनों पार्टियों के बीच "पूरी तरह से न्याय" करने के लिए एक अद्वितीय शक्ति देता है, जहां कभी-कभी, कानून एक उपाय प्रदान नहीं कर सकता है। • उन स्थितियों में, न्यायालय विवाद को समाप्त करने के लिए इस तरह से विस्तार कर सकता है जो मामले के तथ्यों के अनुकूल हो। **(यूपीएससी प्रारंभिक: अनुच्छेद 142 को समझना)।** • अनुच्छेद 142(1) पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। **(यूपीएससी मेन्स: भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र।)** • संविधान निर्माताओं का मानना था कि यह प्रावधान उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्हें न्यायिक प्रणाली की कमियों के कारण आवश्यक राहत मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है।**(UPSC CSE: न्यायिक जवाबदेही)।** **अनुच्छेद 142 का महत्व:-** • **अन्याय को रोकना:** यह सर्वोच्च न्यायालय को उन वादियों को पूर्ण न्याय देने के लिए एक विशेष और असाधारण शक्ति प्रदान करता है, जिन्होंने कार्यवाही में अवैधता या अन्याय का सामना करते है। • **नागरिक अधिकारों को बनाये रखना:** जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 142 लागू किया जाता है। • **सरकार पर नियंत्रण:** यह सरकार या विधायिका के साथ नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। **अनुच्छेद 142 की आलोचनाएँ:** • इन शक्तियों की व्यापक प्रकृति ने आलोचना को आमंत्रित किया है कि वे मनमानी और अस्पष्ट हैं। • यह आगे तर्क दिया गया है कि न्यायालय के पास व्यापक विवेकाधिकार है, और यह "पूर्ण न्याय" शब्द के लिए मानक परिभाषा की अनुपस्थिति के कारण मनमाने ढंग से अभ्यास या दुरुपयोग की संभावना की अनुमति देता है। • "पूर्ण न्याय" को परिभाषित करना एक व्यक्तिपरक अभ्यास है जो मामले से मामले में इसकी व्याख्या में भिन्न होता है। • 1998 में, 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' में शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियां प्रकृति में पूरक हैं और इसका उपयोग किसी मूल कानून को बदलने या ओवरराइड करने के लिए नहीं किया जा सकता है और "एक नया भवन बनाने के लिए जहां पहले कोई अस्तित्व में नहीं था **MUST READ:** Judiciary & AI **SOURCE:** THE INDIAN EXPRESS
राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना	**संदर्भ:** राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना को एक लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकरण पार करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र

	मोदी से प्रशंसा मिली है। **इसके बारे में:-** • राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (NSSH) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है। **(UPSC CSE: MSMEs को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना)** • राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) एससी/एसटी उद्यमों को पेशेवर सहायता प्रदान करेगा और उन्हें सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाएगा। • हब 'स्टैंड अप इंडिया' कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नए उद्यमियों के विकास की दिशा में भी काम करेगा। चयनित उद्यमियों को उद्योग विशेषज्ञों, CPSE और इनक्यूबेटरों द्वारा समर्थन और सलाह प्रदान की जाएगी। **(UPSC प्रारंभिक: स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ)** • NSSH के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में वेंडर डेवलपमेंट, सार्वजनिक खरीद में भागीदारी, विश्वसनीय डेटाबेस का निर्माण, सलाह और सहायता, राज्यों के साथ नीति सिफारिश, क्रेडिट सुविधा, क्षमता निर्माण, निजी सकारात्मक कार्रवाई, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन समर्थन और विभिन्न योजनाओं के तहत विशेष सब्सिडी शामिल हैं। **योजना के प्रमुख लाभ:-** • एससी-एसटी उद्यमियों से 4% सार्वजनिक खरीद लक्ष्य हासिल करना। • एससी/एसटी उद्यमियों को वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रमों का हिस्सा बनने और सलाह समर्थन की सुविधा प्रदान करना। (यूपीएससी सीएसई: अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग - पुनर्कल्पना की होना) • एससी/एसटी उद्यमों और उद्यमियों के संबंध में जानकारी का संग्रह, संकलन और प्रसार • प्रशिक्षित उम्मीदवारों को व्यापार-विशिष्ट टूल किट का वितरण **पात्रता:-** • मौजूदा और महत्वाकांक्षी एससी/एसटी उद्यमी **अवश्य पढ़ें:** महिलाओं के लिए SAMARTH पहल **स्रोत**: NEWSONAIR
मेइती	**संदर्भ:** हाल ही में, मैतेई समुदाय के सदस्यों ने मणिपुर विधान सभा की हिल एरिया कमेटी (एचएसी) के खिलाफ अवमानना कार्यवाही दायर करने का अपना इरादा जताया है। **मैतेई समुदाय के बारे में:-** • मैतेई समुदाय पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर की प्रमुख आबादी है। **(यूपीएससी प्रारंभिक: मणिपुर विद्रोह)** • वे मुख्यतः वैष्णव हिंदू हैं। • वे कुलों में विभाजित हैं, जिनके सदस्य आपस में विवाह नहीं करते हैं। • मैतेई समाज में गाँव के सामाजिक-आर्थिक संगठन का एक दिलचस्प पहलू मारूप सिस्टम (शाब्दिक अर्थ मैत्री संघ) है, जो एक प्रकार की सहकारी बचत और ऋण संस्था है। • वे तिब्बती-बर्मन भाषा बोलते हैं। • वे हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करने के कारण सांस्कृतिक रूप से आसपास की पहाड़ी जनजातियों से अलग हैं। **मणिपुर विधान सभा की पर्वतीय क्षेत्र समिति (एचएसी):-** • एचएसी की स्थापना 1972 के आदेश के द्वारा की गई थी। • इसमें उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक शामिल हैं जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में

	आते हैं। • मणिपुर के आदिवासी पहाड़ी जिलों को संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत विशेष सुरक्षा प्राप्त है, जो कहता है कि जिलों को प्रभावित करने वाले सभी कानूनों को मणिपुर विधान सभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति द्वारा जांचा जाना चाहिए। (यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: मणिपुर का NRC अभ्यास) **अवश्य पढ़ें:** मणिपुर में कुकी विद्रोह **स्रोत:** द हिंदू
CU चयन पोर्टल	**संदर्भ:** हाल ही में, यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय भर्ती के लिए पोर्टल 'सीयू-चयन' लॉन्च किया। **सीयू-चयन पोर्टल के बारे में:-** • सीयू-चयन पोर्टल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों को नियुक्त करने का एक नया मंच है। • पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जॉब ओपनिंग्स (job openings) की एक समेकित सूची प्रदान करेगा। **(UPSC CSE: विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका)** • केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी भी जॉब ओपनिंग्स के विज्ञापन, आवेदन स्वीकार करने, आवेदकों की स्क्रीनिंग, साक्षात्कार आयोजित करने और संकाय सदस्यों को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसा कि वे पहले करते थे। • हालाँकि, इन सभी कार्यों को पोर्टल पर प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए व्यवस्थापक डैशबोर्ड के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। **आवेदकों और विश्वविद्यालयों के लिए लाभ:-** • आवेदकों और विश्वविद्यालयों दोनों को इससे लाभ होगा क्योंकि यह जॉब रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए एक सरल इंटरफ़ेस प्रदान करता है। • पोर्टल रिक्तियों, विचाराधीन आवेदनों और आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है या नहीं, इस पर वास्तविक समय का डेटा भी देगा। **(यूपीएससी मेन्स: शिक्षा संस्थानों में आरक्षण)** • यह केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संकाय नियुक्ति को केंद्रीकृत किए बिना भर्ती प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करेगा। **यूजीसी के बारे में:-** • यूजीसी 1953 में अस्तित्व में आया। • यह 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय बन गया। • **पृष्ठभूमि:-** ○ यूजीसी का गठन 1946 में तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों - अलीगढ़, बनारस और, दिल्ली के काम की देखरेख के लिए किया गया था। ○ 1947 में, समिति को सभी मौजूदा विश्वविद्यालयों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ○ आजादी के बाद, 1948 में एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और इसने सिफारिश की कि यूजीसी को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर पुनर्गठित किया जाए। ○ संसद के एक अधिनियम ने नवंबर 1956 में औपचारिक रूप से यूजीसी की स्थापना की। • **उद्देश्य:** विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव। • यूजीसी का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। • इस पर उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव की जिम्मेदारी है।

	• यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। ○ यह ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन वितरित करता है। **अवश्य पढ़ें:** कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) **स्रोत**: हिंदुस्तान टाइम्स

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक	**संदर्भ:** विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हाल ही में जारी किया गया।
	विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में:-
	• विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2002 से हर साल रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स (आरएसएफ) या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
	  ○ **रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स:** यह पेरिस में स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोप की परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (ओआईएफ) के साथ परामर्शदात्री (consultative) दर्जा प्राप्त है।
	  ○ **OIF:** 54 फ्रेंच भाषी देशों का समूह है।
	• यह सूचकांक पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है। (यूपीएससी मेन्स: प्रेस की स्वतंत्रता को चुनौतियां)
	  ○ हालाँकि, यह पत्रकारिता की गुणवत्ता का संकेतक नहीं है।
	• **मूल्यांकन के मानदंड:-**
	  ○ प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन पांच प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है।
	  ○ इनमें राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा शामिल हैं।
	विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रैंकिंग:-
	• इस प्रेस की स्वतंत्रता में नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क शीर्ष तीन स्थानों पर है।
	• वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया निचले तीन देशों में शामिल हैं।
	• 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161वें स्थान पर खिसक गई है।
	(यूपीएससी प्रारंभिक: विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022)
	जरूर पढ़ें: इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल (आईएमसी)
	स्रोत: द हिंदू

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम	**संदर्भ :** हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम सहमति से संबंध बनाने वाले नाबालिगों को दंडित करने के लिए नहीं बनाया गया था। **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के बारे में:-** • यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) 2012 में अधिनियमित किया गया था। • **उद्देश्य:** बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से प्रभावी ढंग से निपटना। • अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया है। ○ संशोधन में विभिन्न अपराधों के लिए दंडों को बढ़ाने का प्रावधान है और यह एक बच्चे के लिए सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन प्रदान करता है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग)** **अधिनियम के मुख्य प्रावधान:-**

	• यह 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है।
	• अधिनियम लिंग-तटस्थ बना हुआ है।
	• यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें भेदक और गैर-भेदक हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य शामिल हैं।
	• ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में यौन हमलों की घटनाएँ बढ़ गई हैं, जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है अथवा जब दुर्व्यवहार परिवार के किसी सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या डॉक्टर जैसे विश्वसनीय लोगों द्वारा किया जाता है।
	• शिकायत दर्ज होते ही कानून राहत और पुनर्वास का प्रावधान करता है।
	• विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए तत्काल व्यवस्था करेगी।
	  ○ बच्चे के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करना और बच्चे को आश्रय गृह में रखना आदि जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
	• अधिनियम में अनिवार्य रिपोर्टिंग के प्रावधान शामिल हैं।
	  ○ यह उस व्यक्ति पर कानूनी कर्तव्य डालता है जिसे पता है कि किसी बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया है और वह अपराध की रिपोर्ट करेगा।
	  ○ यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने की कैद और/या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
	• अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है।
	• अधिनियम अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा निर्धारित करता है।
	• अधिनियम तीन साल की अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है।
	अवश्य पढ़ें: यौन इंटेंट (Sexual Intent) POCSO अधिनियम की कुंजी है: SC
	स्रोत: प्रिंट

तलाक-ए-हसन	**संदर्भ:** हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट भी तलाक-ए-हसन की वैधता पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। **तलाक-ए-हसन के बारे में:-** 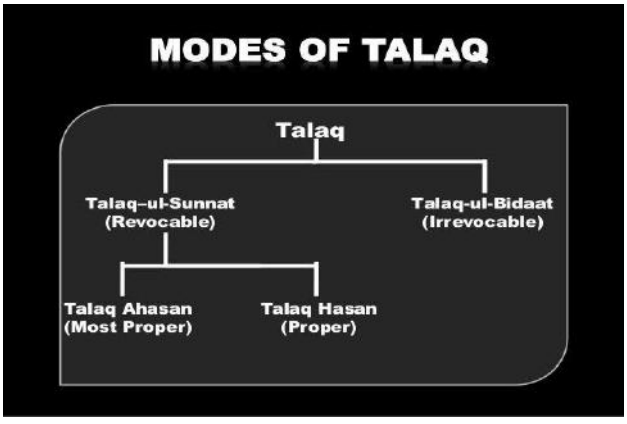 **IMAGE SOURCE:** TALAQ AND TALAQ E TAFWEEZ (slideshare.net) • तलाक-ए-हसन 'तीन तलाक' का ही एक रूप है। • तलाक-ए-हसन में पति तीन महीने के अंतराल पर तलाक कहकर या लिखकर दे सकता है। ○ यह अंतर कम से कम एक महीने या एक मासिक धर्म चक्र का हो।

- शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, पुरुषों को बहुविवाह करने की अनुमति दी गई है, जिसका अर्थ है वे एक ही समय में एक से अधिक पत्नियों के साथ रह सकते हैं, विवाह की अधिकतम संख्या 4 निर्धारित की गई है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: समान नागरिक संहिता)**
- 'निकाह हलाला' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मुस्लिम महिला को अपने तलाकशुदा पति से दोबारा शादी करने से पूर्व दूसरे व्यक्ति से शादी करनी होती है और फिर उससे तलाक लेना पड़ता है।
- ट्रिपल तलाक एक पति को ईमेल या टेक्स्ट संदेश सहित किसी भी रूप में तीन बार "तलाक" (तलाक) शब्द को दोहराकर अपनी पत्नी को तलाक देने की अनुमति देता है।
- इस्लाम में, तलाक और खुला क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के लिए तलाक के दो शब्द हैं।
    - एक पुरुष 'तलाक' के जरिए जबकि एक महिला 'खुला' के जरिए अपने पति से अलग हो सकती है।

अवश्य पढ़ें: धर्म और भारतीय संविधान

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NCD)

संदर्भ: हाल ही में NPCDCS कार्यक्रम का नाम बदलकर गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) कर दिया गया है।

इसके बारे में:-

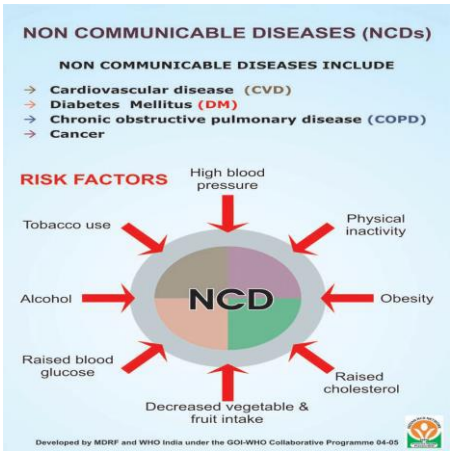

IMAGE SOURCE: EMANTHI-NEWSBLOG: Health Minister To Appoint A Special Add. Secretary On Non-Communicable Diseases

- वर्ष 2010 में लॉन्च किए गए कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) कार्यक्रम का नाम बदलकर कवरेज और विस्तार के बीच गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) कर दिया गया है।
- नया नाम केवल चार प्रमुख गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) को नियंत्रित करने से लेकर उन्हें रोकने पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: गैर-संचारी रोग (एनसीडी))**
- MoHFW के अनुसार, NP-NCD का लक्ष्य स्वस्थ जीवन शैली, शीघ्र पता लगाने और समय पर उपचार को बढ़ावा देकर एनसीडी के बोझ को कम करना है।
- यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी अन्य स्वास्थ्य पहलों के साथ भी एकीकृत होगा।
- यह कार्यक्रम मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, उपकरण और दवाओं को बढ़ाकर स्वास्थ्य प्रणाली को भी मजबूत करेगा।
- NP-NCD एनसीडी देखभाल की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए टेलीमेडिसिन और एम-हेल्थ (m-health) जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का भी लाभ उठाएगा। **(UPSC CSE: WHO और पारंपरिक चिकित्सा)**

	अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण (NNMS) **स्रोत:** द हिंदू
CISO डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम	**संदर्भ:** हाल ही में, NeGD ने साइबर सुरक्षित भारत के तहत 36वें CISO डीप-डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। **सीआईएसओ डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में:-**

IMAGE SOURCE: Infographic: The 8 most common types of Cyber Attacks - CyberOne

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- यह पांच दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम 2018 में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत शुरू किया गया था।
    - NeGD ने उस समय से 1,419 से अधिक सीआईएसओ और आईटी (CISOs and IT) अधिकारियों के लिए CISO डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 36 सत्र आयोजित किए हैं।
- **प्रतिभागी:** इसमें 24 प्रतिभागी थे, जिनमें सीआईएसओ, पुलिस और सुरक्षा बलों की तकनीकी शाखाएं, सीटीओ और केंद्रीय लाइन मंत्रालयों तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की तकनीकी/PMU टीमों के सदस्य शामिल थे।
- CISO डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सीआईएसओ को साइबर हमलों, नवीनतम सुरक्षा तकनीकों की व्यापक समझ प्रदान करना और संगठनों तथा जनता को एक मजबूत ई-बुनियादी ढांचे के लाभों को कैसे बताना है, यह देना है। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: भारत का साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर)**
- इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण का उद्देश्य कानूनी प्रावधानों का व्यापक दृष्टिकोण देना और साइबर हमलों के लिए ठोस संकट प्रबंधन योजना बनाने में मदद करना है। **(यूपीएससी सीएसई: साइबर क्राइम)**

	साइबर सुरक्षित भारत:- • यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की पहल है। • साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और फ्रंटलाइन आईटी अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करने के मिशन के साथ इसकी संकल्पना की गई थी। **अवश्य पढ़ें:** भारत में साइबर हमले **स्रोत:** पीआईबी
पोषण भी, पढाई भी	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'पोषण भी, पढ़ाई भी' की शुरुआत की। **पोषण भी, पढाई भी के बारे में:-** • पोषण भी, पढ़ाई भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education-ECCE) को मजबूत करने के लिए एक पहल है। • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। • **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाला प्रीस्कूल नेटवर्क हो, जैसा कि एनईपी 2020 द्वारा सुझाया गया है। **(यूपीएससी सीएसई: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)** • यह प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था के स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के साथ संबंधों पर जोर देता है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: पोषण माह)** **मुख्य विशेषताएं:-** • सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में उल्लिखित प्रत्येक डोमेन में बच्चों के विकास को लक्षित करेगी। • इनमें शारीरिक व मानसिक विकास, ज्ञान-संबंधी विकास, सामाजिक-भावनात्मक-नैतिक विकास आदि शामिल हैं। • सभी राज्य खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित सीखने की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य दल की सिफारिशों का पालन करेंगे। • यह विशेष रूप से 0-3 वर्ष के बच्चों के साथ-साथ 3-6 वर्ष के बच्चों के विकासात्मक स्तर पर लक्षित है। • इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सहायता शामिल होगी। • प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों जैसे कि 'पोषण भी पढ़ाई भी' के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को दैनिक आधार पर कम से कम दो घंटे की उच्च-गुणवत्ता वाली आरंभिक विद्यालयी शिक्षा प्रदान की जाएगी। • आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। • यह प्राथमिक शिक्षक निर्देश माध्यम के रूप में मातृभाषा प्रदान करेगा। • 'पोषण भी पढ़ाई भी' कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षण निर्देश माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखने एवं सिखाने हेतु आंगनवाड़ी सेविकाओं को विभिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम सामग्री (दृश्य सहायक, श्रव्य साधन, दृश्य-श्रव्य व शारीरिक-गतिज सहायक) प्रदान करेगा और देश की भावी पीढ़ियों की नींव को मजबूत करने में समुदायों को शामिल करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने में मदद करेगा। **अवश्य पढ़ें:** शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

संदर्भ: हाल ही में सेन्ट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) द्वारा जारी किये गए आदेश के मुताबिक, भारत में पांच बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स की बिक्री बंद करने के लिए कहा गया है।

सीसीपीए के बारे में:

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) के तहत स्थापित एक नियामक प्राधिकरण है।
- यह व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं का पालन करने या सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाले अनुचित या गलत विज्ञापनों के प्रदर्शन से उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों को नियंत्रित करता है और प्रभावी दिशानिर्देशों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों को लागू करके उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- **सदस्य:**
  - मुख्य आयुक्त
  - **दो आयुक्त -** एक आयुक्त माल के लिए और एक आयुक्त सेवाओं के लिए।
  - सीसीपीए में एक जांच विंग होगी जिसका नेतृत्व एक महानिदेशक करेगा।
  - इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।
- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:**
  - शिकायत प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से या केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पूछताछ करने या जांच करने।
  - यह जिला कलेक्टर या महानिदेशक द्वारा जांच का आदेश दे सकता है। उनके पास तलाशी और जब्ती की शक्तियाँ हैं, और किसी भी रिकॉर्ड या दस्तावेज़ को जमा करने के लिए कहने का अधिकार है।
  - आयोग किसी भी खतरनाक, संकटमय या असुरक्षित सामान को वापस लेने या समान सेवाओं को वापस लेने का निर्देश दे सकता है और एकत्र की गई राशि को वापस करने का आदेश दे सकता है।
  - आयोग उपभोक्ता वकालत में शामिल हो सकता है, उपचारात्मक कार्रवाइयों का सुझाव दे सकता है, संबंधित अनुसंधान में स्वयं को शामिल कर सकता है, जागरूकता पैदा कर सकता है और सुरक्षा सावधानियों पर उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन कर सकता है।
  - आयोग जांच के बाद किसी व्यापारी या निर्माता या समर्थनकर्ता या विज्ञापनदाता या प्रकाशक को उन विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश दे सकता है जो गलत या भ्रामक या उपभोक्ताओं के लिए प्रतिकूल हैं।
  - आयोग गलत या भ्रामक विज्ञापन के समर्थनकर्ता को किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में एक वर्ष तक की समयावधि के लिए और बाद के उल्लंघन के मामले में तीन वर्ष तक ऐसा करने से रोक सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स

संदर्भ: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने 2022-2023 (Q3) के लिए अत्यधिक प्रभावशाली डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) मूल्यांकन में 66 मंत्रालयों के बीच दूसरा स्थान हासिल किया है।

डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) के बारे में:

- DGQI एक व्यापक ढांचा है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की डेटा प्रशासन प्रथाओं का मूल्यांकन करता है।
- इसमें डेटा गुणवत्ता, डेटा सुरक्षा, डेटा शेयरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इनोवेशन और डेटा साक्षरता जैसे पहलू शामिल हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) नीति आयोग के सहयोग से DGQI मूल्यांकन करता है।

उद्देश्य:

	• एक मानकीकृत ढांचे पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की डेटा तैयारी का आकलन करना। • उनके बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं से सहयोगी सहकर्मी शिक्षा को बढ़ावा देना। **3 प्रमुख स्तंभ: डीजीक्यूआई मूल्यांकन में डेटा तैयारी के तीन प्रमुख स्तंभ शामिल हैं:** **1. डेटा रणनीति:** यह डेटा प्रशासन के लिए प्रणालीगत दिशानिर्देशों के अस्तित्व और कार्यान्वयन का मूल्यांकन करती है। **2. डेटा सिस्टम:** यह डेटा उत्पादन, प्रबंधन और उपयोग की प्रक्रियाओं का आकलन करता है। **3. डेटा-संचालित परिणाम:** यह मापता है कि निर्णय लेने के लिए संस्थानों द्वारा किस हद तक डेटा का उपयोग और व्यापक रूप से साझा किया जाता है। **स्रोत:** द प्रिंट
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग	**संदर्भ:** राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एक अधिसूचना जारी की है जो डॉक्टरों को दूसरे राज्य में जाने पर अपने प्रैक्टिस लाइसेंस के हस्तांतरण की मांग करने के लिए बाध्य करती है। **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में** • राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की स्थापना करता है, जो चिकित्सा शिक्षा, अभ्यास और संस्थानों के सभी तत्वों के निर्माण और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। • राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में 25 सदस्य शामिल हैं। ○ अध्यक्ष, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (PGMEB) के अध्यक्ष, और स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (UGMEB) के अध्यक्ष ○ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक ○ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक • राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) में चार अलग स्वायत्त बोर्ड शामिल होंगे- ○ **स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (UGMEB)-** यह निकाय स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करता है। ○ **स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (PGMEB)-** यह निकाय स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करता है। ○ **चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड-** यह मेडिकल शिक्षा संस्थानों का निरीक्षण और रेटिंग करता है। ○ **एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड-** यह डॉक्टरों के पेशेवर आचरण को नियंत्रित और उन्हें पंजीकृत करता है। • राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक 2022 का मसौदा राष्ट्रीय निकास परीक्षा (NExT) आयोजित करने के लिए देश के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक के तहत पांचवां स्वायत्त निकाय शुरू करने का प्रयास करता है।
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)	**संदर्भ:** शिक्षा मंत्रालय के तहत आयोजित उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (All India Survey on Higher Education- AISHE) सर्वेक्षण 2020-21 में पाया गया कि उच्च शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के नामांकन में उस समय गिरावट आई जब एससी, एसटी और ओबीसी के नामांकन में सुधार हुआ। **उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के बारे में** • अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण एक वार्षिक वेब-आधारित सर्वेक्षण है जो 2010-11 में शुरू हुआ और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया। • डेटा संग्रह के विभिन्न मापदंडों में शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त और बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

	• पहली बार, भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) ने उच्च शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट (वेब DCF) के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन डेटा संग्रह प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके अपना डेटा डाला है। **रिपोर्ट से मुख्य निष्कर्ष:** • सभी नामांकनों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) के लिये सकल नामांकन अनुपात (GER) 2 अंक बढ़कर 27.3 हो गया। • उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में महिला नामांकन, जो कि वर्ष 2019-20 में 45% था, यह वर्ष 2020-21 में कुल नामांकन का 49% हो गया। • **एससी:** पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में दो लाख अधिक एससी छात्र नामांकित थे। • **एसटी:** इस वर्ष लगभग तीन लाख से अधिक एसटी छात्रों और छह लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नामांकित किया गया। • उच्च शिक्षा के लिये नामांकन करने वाले मुस्लिम छात्रों का अनुपात वर्ष 2019-20 में 5.5% से गिरकर 2020-21 में 4.6% हो गया। • लैंगिक समानता सूचकांक (GPI), महिला GER और पुरुष GER अनुपात वर्ष 2017-18 के 1 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1.05 हो गया है। पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने विज्ञान पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन कराया। ○ लैंगिक समानता सूचकांक एक सामाजिक-आर्थिक सूचकांक है जिसे आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा तक सापेक्ष पहुंच को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूनेस्को यह सूचकांक जारी करता है। • वर्ष 2020-21 के दौरान विश्वविद्यालयों की संख्या में 70 की वृद्धि हुई है और कॉलेजों की संख्या में 1,453 की वृद्धि हुई है। • प्रति 100 पुरुष फैकल्टी पर महिला फैकल्टी का आँकड़ा वर्ष 2014-15 में 63 और 2019-20 में 74 से वर्ष 2020-21 में 75 हो गया है। **अन्य बिंदु** • चाहे सीखना हो या पढ़ाना, मुस्लिम समुदाय उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी समुदायों से पीछे है। **स्रोत:** द हिंदू
अध्यादेशों का प्रख्यापन और पुन: प्रख्यापन करने की सरकार की शक्ति	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसने सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सर्वसम्मत फैसले को रद्द कर दिया। **अध्यादेश के प्रख्यापन के बारे में:** • संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापन करने की अनुमति देता है। • राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र (संसद का अवकाश) नहीं चल रहा हो, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि विद्यमान परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह समय-समय पर ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ उसे आवश्यक लगती हैं। • इन अध्यादेशों में संसद के अधिनियम के समान ही शक्ति और प्रभाव होता है लेकिन ये अस्थायी कानूनों की प्रकृति

में होते हैं।

- अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यानी संघ सूची या समवर्ती सूची दोनों में।
- एक अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। इसलिए, कोई अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार को कम या छीन नहीं सकता है।
- जारी किए गए प्रत्येक अध्यादेश को संसद की पुन: बैठक के छह सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और यदि पुन: बैठक के छह सप्ताह के भीतर इसे मंजूरी नहीं दी जाती है तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- जब भी किसी अध्यादेश को बदलने की मांग करने वाला विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक बयान भी सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके कारण अध्यादेश मार्ग के द्वारा तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो जाता है।
- अध्यादेश पारित होने के बाद इसे पुनः लागू होने के छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। किसी भी सदन द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर यह कार्य करना बंद कर देगा।
- 44वें संवैधानिक संशोधन ने दोहराया है कि यदि 'तुरंत कार्रवाई' की आवश्यकता नहीं है तो अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि को चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार, यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। हालाँकि, वह अपनी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहमति से करता है।
- अध्यादेशों का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है और यह संसद के किसी भी अधिनियम या अन्य अध्यादेशों को संशोधित या निरस्त कर सकता है।
- अनुच्छेद 213 राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने/वापस लेने की राज्यपाल की व्यापक रूप से समान शक्तियों से संबंधित है।
- एक अध्यादेश अगला सत्र शुरू होने की तारीख से छह सप्ताह या 42 दिनों के लिए वैध होता है। यदि दोनों सदन अलग-अलग तारीखों पर अपने सत्र शुरू करते हैं, तो बाद की तारीख पर विचार किया जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 123 और 213 में स्पष्टीकरण के अनुसार कहा गया है।

अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन

- अध्यादेश को पुनः जारी करने का सीधा मतलब है किसी अध्यादेश की अवधि को प्रभावी ढंग से बढ़ाना।
- दोनों सदनों के पुनः एकत्रित होने के 6 सप्ताह बाद कोई अध्यादेश 'प्रभावित नहीं हो जाता', सिवाय इसके कि तब तक वह एक अधिनियम में परिवर्तित न हो जाए। पुन:प्रचार इस सीमा को दरकिनार कर देता है।
- वर्ष 2017 में, (कृष्ण कुमार सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य) अदालत की सात-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ शामिल थे, ने दोहराया कि कानून आम तौर पर विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए, और अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति एक आपातकालीन शक्ति की प्रकृति में होती है।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो किसी अध्यादेश को फिर से जारी करने की अनुमति देती हों। इसमें कहा गया, विधानमंडल में अध्यादेश लाए बिना बार-बार पुन: प्रख्यापित करना विधायिका के कार्य को छीन लेगा और असंवैधानिक होगा।
- डॉ डी सी वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1986) मामले में, तत्कालीन सीजेआई पीएन भगवती

	की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा था कि "आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर लागू नहीं होगा।" • यदि सरकार चाहती है कि अध्यादेश छह सप्ताह की अवधि के बाद भी लागू रहे, तो उसे "विधानमंडल के समक्ष जाना होगा", जो संवैधानिक प्राधिकरण है जिसे कानून बनाने का कार्य सौंपा गया है। स्रोत: द हिंदू
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन	**संदर्भ:** केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के बारे में:** • "राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA)", देश के सभी विधायी सदनों के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए डिजिटल विधानमंडलों के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। • इसे 'वन नेशन-वन एप्लीकेशन' की थीम पर विकसित किया गया है। • NeVA सभी राज्य विधानमंडलों को 'डिजिटल सदनों (DIGITAL HOUSES)' में बदल रहा है। • यह विधायिकाओं को डिजिटल मोड में राज्य सरकार के विभागों के साथ सूचना के आदान-प्रदान सहित संपूर्ण सरकारी व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करने में सक्षम बनाता है। • इस परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधायिकाओं को एक साथ, एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। • जिससे कई अनुप्रयोगों की कठिनाई के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण होता है। • NeVA NIC क्लाउड, मेघराज पर तैनात एक वर्कफ़्लो सिस्टम है। • यह सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से और कागज रहित तरीके से संचालित करने में मदद करता है। • NeVA एक डिवाइस न्यूट्रल और सदस्य केंद्रित एप्लिकेशन है, जो उन्हें संपूर्ण जानकारी डालकर विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया है। ○ सदस्य संपर्क विवरण ○ प्रक्रिया के नियम ○ व्यवसाय की सूची ○ नोटिस, बुलेटिन और बिल ○ तारांकित/अतारांकित प्रश्न और उत्तर ○ कागजात रखना (papers laid) ○ समिति की रिपोर्ट आदि • NeVA डेटा संग्रह के लिए नोटिस/अनुरोध भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। • एप्लिकेशन सवाल और अन्य सूचनाएं जमा करने के लिए सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए एक सुरक्षित पृष्ठ होस्ट करता है। • mNeVA, NeVA का एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप है जो एंड्रॉइड के साथ-साथ iOS पर भी उपलब्ध है। • mNeVA ने विधानमंडलों में कामकाज के संचालन के बारे में जानकारी किसी भी समय, कहीं भी सभी के लिए सुलभ बना दिया है। **अवश्य पढ़ें:** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) (यूपीएससी मेन्स) **स्रोत:** पीआईबी
फोरम शॉपिंग	**संदर्भ:** भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालतों में 'फोरम शॉपिंग' प्रथा की निंदा की।

फोरम शॉपिंग के बारे में:

- जब वादी या वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं जहां उन्हें लगता है कि निर्णय अधिक अनुकूल हो सकता है, तो उन्हें "फोरम शॉपिंग" (Forum shopping) कहा जाता है।
- वादी या वकील विभिन्न कारकों को देखकर ऐसा करते हैं, जिससे अदालत या न्यायाधीश की प्रतिष्ठा, कानून या प्रक्रिया और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहती है।
- यह प्रथा न्यायिक प्रणाली की अखंडता और निष्पक्षता के साथ-साथ न्यायिक प्रणाली के निर्णयों की योग्यता को भी कमजोर करती है।
- इसके अलावा, अनुकूल निर्णय प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रथाओं का सहारा लेने से न्यायिक संसाधनों की बर्बादी, न्याय देने में देरी और कानूनी मिसालों में असंगतता भी हो सकती है।

फोरम शॉपिंग पर भारतीय न्यायपालिका:

- फोरम शॉपिंग की अवधारणा को किसी भी भारतीय मूर्ति में परिभाषित नहीं किया गया है।
- हालाँकि, भारतीय न्यायपालिका ने अपने अवलोकन के माध्यम से देश की कानूनी प्रणाली में इस अवधारणा को सुव्यवस्थित करने में सहायता की है।
- भारतीय कानून द्वारा फोरम शॉपिंग की प्रथा की अनुमति नहीं है।
- फोरम शॉपिंग के प्रकारों में शामिल हैं;
  - एक ही या समान मुद्दों पर विभिन्न अदालतों में कई मुकदमे दायर करना, यह आशा करते हुए कि उनमें से एक वांछित राहत प्रदान करेगा।
  - ऐसी अदालत या क्षेत्राधिकार का चयन करना जिसमें मामले के लिए अधिक उदार या अनुकूल मूल या प्रक्रियात्मक कानून हो।
  - रणनीतिक कारणों से किसी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने या हटाने की मांग करना।
  - किसी मामले को किसी विशेष न्यायाधीश या पीठ को सौंपने के लिए न्यायाधीशों या अदालत के अधिकारियों को प्रभावित करना या रिश्वत देना।
- विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फोरम शॉपिंग को "अदालतों द्वारा अपमानजनक प्रथा" करार दिया, जिसकी "कानून में कोई मंजूरी और सर्वोपरिता नहीं है"।

भारतीय न्यायपालिका में फ़ोरम शॉपिंग के प्रभाव:

- **अनिश्चितता पैदा करना:** यह वादियों और वकीलों के बीच उनके मामलों के लिए उचित क्षेत्राधिकार और स्थान के बारे में अनिश्चितता और भ्रम पैदा करता है।
- **विश्वास खोना:** यह न्यायपालिका में जनता के विश्वास और भरोसे को कम करता है, क्योंकि इससे यह धारणा बनती है कि न्याय योग्यता पर नहीं बल्कि हेरफेर पर आधारित है।
- **परस्पर विरोधी निर्णय:** समान या वही मुद्दों पर परस्पर विरोधी या असंगत निर्णय देना, जिससे कानूनी अनिश्चितता और अराजकता उत्पन्न होती है।
- **योग्यता के अभाव में अनुकूल निर्णय देना:** न्यायपालिका की विश्वसनीयता और निष्पक्षता के साथ-साथ जनता और कानूनी पेशे के विश्वास तथा सम्मान को नष्ट करना।
- **भ्रष्टाचार का स्थल बनाना :** अन्य वादियों या वकीलों द्वारा फ़ोरम शॉपिंग को प्रोत्साहित करने से दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार का दुष्चक्र बनता है।

बेंच हंटिंग

- "बेंच हंटिंग" शब्द का तात्पर्य उन याचिकाकर्ताओं से है जो अनुकूल आदेश सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष न्यायाधीश या अदालत द्वारा अपने मामलों की सुनवाई कराने का प्रबंध करते हैं।
- हाल ही में, 'कामिनी जयसवाल बनाम भारत संघ' में 2017 के SC फैसले के आधार पर, अदालत ने देखा कि अपनी

	पसंद की अदालत या प्लेटफॉर्म तलाशने के लिए बेंच हंटिंग और संबंधित अस्वीकार्य प्रथाएं प्रचलित हैं। **अवश्य पढ़ें:** सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023	**संदर्भ:** 19 मई, मई 2023 में राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन के लिये एक व्यापक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 [Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023] प्रख्यापित किया गया। **खबर के बारे में:** ● अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन में सेवाओं की शक्तियों को दिल्ली के उपराज्यपाल तक विस्तारित करता है। ● इस प्रकार, उपराज्यपाल के पास दिल्ली में तैनात नौकरशाहों को स्थानांतरित करने और नियुक्त करने की शक्ति है। ● अध्यादेश का उद्देश्य CJI के नेतृत्व वाली संविधान पीठ के फैसले के प्रभाव को खत्म करना है, जिसने दिल्ली सरकार को राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार दिया था। ● फैसले के दौरान, SC ने अनुच्छेद 239AA की व्याख्या की, वह प्रावधान जो दिल्ली की शासन संरचना से संबंधित है, एक ऐसा प्रावधान जो संघवाद, सहभागी लोकतंत्र और सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। **अनुच्छेद 239 AA:** ● इसे 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। ● अनुच्छेद 239 AA ने एस.बालाकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया, जिसे 1987 में दिल्ली की राज्य की मांग पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया था। ● आर्टिकल में कहा गया है कि एनसीटी में एक विधान सभा और एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। ● विधान सभा के पास राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति होगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिन्हें संविधान द्वारा विशेष रूप से बाहर रखा गया है। ● मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के बारे में:** ● यह अध्यादेश पहली बार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की स्थापना करना चाहता है। ● **एनसीसीएसए संरचना:** इसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव अन्य दो सदस्य होंगे। ● **एनसीसीएसए के कार्य;** ○ यह एनसीटीडी सरकार में सेवारत सभी समूह 'ए' अधिकारियों और DANICS के अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में उपराज्यपाल (एलजी) को सिफारिशें करेगा। ○ एनसीसीएसए द्वारा निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी मामलों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। ○ इसका मतलब यह है कि वास्तव में, दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री के निर्णय को दो वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा खारिज किया जा सकता है। ● **एलजी की भूमिका:** ○ अध्यादेश में कहा गया है कि एलजी एनसीसीएसए द्वारा पारित सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए आदेश पारित करेंगे। ○ हालाँकि, एलजी दिल्ली सरकार की सेवा करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं और DANICS से संबंधित

	अधिकारियों के संबंध में प्रासंगिक सामग्री मांग सकते हैं। ○ यदि उपराज्यपाल की गई सिफ़ारिश से असहमत हैं, तो वह प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार के लिए सिफ़ारिश के प्राधिकरण को वापस कर सकते हैं। इसके लिए कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा। ○ हालाँकि, अध्यादेश के अनुसार, मतभेद की स्थिति में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। • अध्यादेश में ग्रुप बी और ग्रुप सी अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, अनुशासन आदि के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार का इन अधिकारियों पर नियंत्रण बना रहेगा। **जरूर पढ़ें:** दिल्ली सीएम-एलजी गतिरोध (यूपीएससी मेन्स) **स्रोत:** द हिंदू
समर्थ (SAMARTH) अभियान	**संदर्भ:** केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया। **समर्थ अभियान के बारे में:** • समर्थ अभियान, जिसका अर्थ है सशक्त महिला, आत्मनिर्भर राष्ट्र। • यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) की एक संयुक्त पहल है। • **कवरेज:** यह अभियान देश भर की सभी 2.6 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करेगा और इसमें प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी। • स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की 1.25 करोड़ महिला सदस्यों सहित 2.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। **समर्थ अभियान की विशेषताएं:** • इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने और डिजिटल लेनदेन के लाभों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। • विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड जैसे आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप, भारत क्यूआर कोड आदि पर प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करता है। • निर्बाध लेनदेन के लिए बैंक खाते खोलने और आधार तथा मोबाइल नंबरों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। • बचत, ऋण, प्रेषण, सामाजिक सुरक्षा लाभ, सरकारी सब्सिडी आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजिटल लेनदेन को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। • पूर्वनिर्धारित संकेतकों के आधार पर ग्राम पंचायतों, एसएचजी, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), बैंक मित्रों आदि के प्रदर्शन की निगरानी और पुरस्कार देता है। **अवश्य पढ़ें:** कपड़ा मंत्रालय की समर्थ योजना, महिलाओं के लिए समर्थ पहल **स्रोत:** पीआईबी

अंतरराष्ट्रीय संबंध

आसियान भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2023)	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय नौसेना के जहाज उद्घाटन आसियान भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2023) में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे। **इसके बारे में:-** • आसियान भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2023) का आयोजन सिंगापुर में होगा। • **उद्देश्य:** समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करना। **(यूपीएससी प्रारंभिक: भारत-आसियान संबंध)** • अभ्यास का हार्बर चरण 02 से 04 मई 2023 तक चांगी नौसेना बेस पर किया जाएगा। ○ इस चरण के दौरान, भाग लेने वाले देश विभिन्न व्यावसायिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में शामिल होंगे। • 'सी फेज' दक्षिण चीन सागर में 7 से 8 मई 2023 को आयोजित किया जाएगा। (यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: ताइवान जलडमरूमध्य, पीला सागर और बोहाई सागर) ○ इस चरण में नौसेना अभ्यासों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी जैसे सतही युद्ध अभ्यास, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास और वायु रक्षा अभ्यास। • आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं। ○ आईएनएस दिल्ली भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, और ○ आईएनएस सतपुड़ा एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। ○ ये जहाज, सिंगापुर में अपने पोर्ट कॉल के दौरान, सिंगापुर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी (IMDEX-23) और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन (IMSC) में भी भाग लेंगे। **अवश्य पढ़ें:** हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी **स्रोत:** पीआईबी
अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF)	संदर्भ: हाल ही में, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने धार्मिक स्वतंत्रता के 'उल्लंघन' पर भारतीय एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। **इसके बारे में:-** • USCIRF एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है। • इसकी स्थापना 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की निष्क्रियता के बाद अमेरिकी सरकार द्वारा

	की गई थी। • इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। • यह विदेश में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा के लिए समर्पित है। • यह अमेरिकी कांग्रेस के लिए एक सलाहकार निकाय है। • USCIRF की सिफारिशें राज्य विभाग पर गैर-बाध्यकारी हैं। • परंपरागत रूप से, भारत USCIRF के दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता है। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: USCIRF द्वारा भारत का पदनाम)** • यह विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार (एफओआरबी) की निगरानी करता है। **USCIRF के कार्य:-** • यह कांग्रेस के कार्यालयों के साथ काम करके, सुनवाई बुलाकर और गवाही देकर, और देशों और विषयगत मुद्दों पर वार्ता आयोजित (holding briefings) करके कांग्रेस को सलाह देता है। • कार्यकारी शाखा के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठक करके कार्यकारी शाखा को शामिल करता है। • यह विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों पर नज़र रखता है। (यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव) • यह राष्ट्रपति, राज्य सचिव और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें करता है। • यह सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके, पॉडकास्ट एपिसोड की मेजबानी करके, सार्वजनिक बयान जारी करके और ऑप-एड प्रकाशित करके सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाता है। • यह एक वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रकाशन जारी करता है जो उन विदेशी देशों का आकलन करता है जो व्यवस्थित, चालू और/या भीषण तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। **अवश्य पढ़ें:** हिजाब मामला और आवश्यक अभ्यास सिद्धांत **स्रोत:** द हिंदू
अरब लीग	**संदर्भ:** हाल ही में, अरब देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने 12 साल के निलंबन के बाद सीरिया को अरब लीग में वापस लाने के लिए मतदान किया। **अरब लीग के बारे में:** 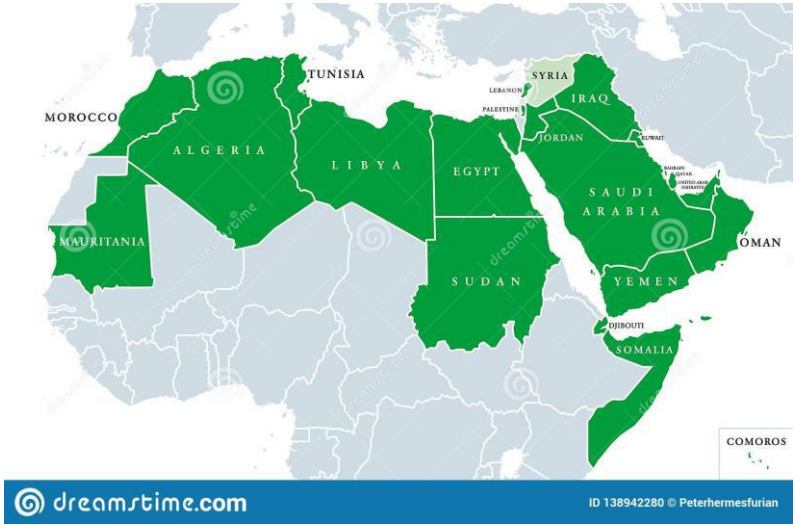 • अरब लीग, जिसे औपचारिक रूप से अरब राज्यों की लीग के रूप में जाना जाता है, की स्थापना 1945 में हुई थी। • यह मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है। • इसके संस्थापक सदस्य देश मिस्र, सीरिया, लेबनान, इराक, ट्रांसजॉर्डन (अब जॉर्डन), सऊदी अरब और यमन थे। • वर्तमान में, इसके 22 सदस्य देश हैं, जिन्होंने अन्य मुद्दों के अलावा आर्थिक और सैन्य मामलों पर सहयोग करने का वादा किया है।

	• अन्य सदस्य लीबिया (1953), सूडान (1956); ट्यूनीशिया और मोरक्को (1958); कुवैत (1961); अल्जीरिया (1962); बहरीन, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (1971); मॉरिटानिया (1973); सोमालिया (1974); फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ; 1976); जिबूती (1977); और कोमोरोस (1993) हैं। • लीग काउंसिल में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है, निर्णय केवल उन राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं जिन्होंने उनके लिए मतदान किया है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: खाड़ी क्षेत्र)** • 13 अप्रैल, 1950 को संयुक्त रक्षा और आर्थिक सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर ने हस्ताक्षरकर्ताओं को सैन्य सुरक्षा उपायों के समन्वय के लिए भी प्रतिबद्ध किया। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: अरब स्प्रिंग)** **अवश्य पढ़ें:** प्रवासी भारतीयों का योगदान **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP)	**संदर्भ:** एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) ने हाल ही में चरम मौसम की घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती चुनौतियों पर एक नया अध्ययन प्रकाशित किया है। **एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) के बारे में:-** • एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे समावेशी अंतरसरकारी मंच है। • एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP का मुख्य विधायी अंग है। • यह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) को रिपोर्ट करता है। **(यूपीएससी मेन्स: संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना प्रयास)** • यह क्षेत्र की सभी सरकारों को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की समीक्षा और चर्चा करने तथा क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। • इस आयोग की बैठक प्रतिवर्ष मंत्री स्तर पर होती है। ○ यह क्षेत्र में समावेशी और सतत आर्थिक तथा सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेता है, अपने सहायक निकायों और कार्यकारी सचिव की सिफारिशों पर भी निर्णय लेता है। ○ यह प्रस्तावित रणनीतिक ढांचे और प्रोग्राम ऑफ़ वर्क की समीक्षा और समर्थन करता है, और अपने संदर्भ की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य आवश्यक निर्णय लेता है। • यह 53 सदस्य देशों और 9 एसोसिएट सदस्यों से बना एक आयोग है। ○ यह आयोग सतत विकास चुनौतियों के समाधान की खोज में सहयोग को बढ़ावा देता है। • ESCAP संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। (यूपीएससी मेन्स: संयुक्त राष्ट्र में सुधार) • **कार्य:-** ○ यह क्रिया-उन्मुख ज्ञान उत्पन्न करके क्षेत्र में समावेशी, लचीला और सतत विकास का समर्थन करता है। ○ यह राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों, क्षेत्रीय समझौतों और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के समर्थन में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। ○ यह राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारों को भी सहायता प्रदान करता है। **अवश्य पढ़ें:** संयुक्त राष्ट्र जल संस्थान, पर्यावरण और स्वास्थ्य (UNU-INWEH) **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट-2023	**संदर्भ:** आंतरिक विस्थापन 2023 (GRID-2023) पर वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में, 32 मिलियन से अधिक लोग आपदाओं से विस्थापित हुए थे, जिनमें से 98% लोग बाढ़ और तूफान जैसी मौसम संबंधी घटनाओं के कारण विस्थापित हुए थे। **इसके बारे में:** • आंतरिक विस्थापन 2023 (GRID-2023) पर वैश्विक रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) द्वारा प्रकाशित की जाती है। • IDMC, आंतरिक विस्थापन पर डेटा एवं विश्लेषण का विश्व का प्रमुख स्रोत है।

- IDMC 1998 में जिनेवा में नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है।
- यह दुनिया के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की निगरानी और जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने पर केंद्रित है।

आंतरिक विस्थापन के बारे में:

- आंतरिक विस्थापन उन लोगों की स्थिति का वर्णन करता है जिन्हें अपने घर छोड़ने के लिये मज़बूर किया गया है लेकिन उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा है।
- शरणार्थियों के विपरीत,आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ पार नहीं की हैं और वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- भारत दुनिया में सबसे अधिक संख्या में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDP) में से एक है।
- भारत में शरणार्थियों या IDP की समस्या से निपटने के लिये कोई राष्ट्रीय नीति और कानूनी संस्थागत ढाँचा नहीं है।
- भारत ने वर्ष 1951 के कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है और वह अधिकांश शरणार्थी समूहों को UNHCR तक पहुँच की अनुमति नहीं देता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

हाइलाइट	विवरण
आईडीपी की कुल संख्या	वर्ष 2022 के अंत तक 110 देशों और क्षेत्रों में 71 मिलियन से अधिक आईडीपी, एक वर्ष में 20% की वृद्धि
उच्चतम विस्थापन	वर्ष 2022 में पाकिस्तान में दुनिया में सबसे अधिक 8.16 मिलियन आपदा विस्थापन हुए, उसके बाद फिलीपींस (5.44 मिलियन) और चीन (3.63 मिलियन) का स्थान रहा।
भारत में कुल आईडीपी	भारत 2.5 मिलियन विस्थापन के साथ चौथे स्थान पर और नाइजीरिया 2.43 मिलियन विस्थापन के साथ 5 वें स्थान पर है।
कार्रवाई की जरूरत होना	• आईडीपी की तत्काल जरूरतों का समर्थन करने के लिए बिना शर्त नकद सहायता; • आईडीपी के लिए आजीविका और कौशल विकसित करना; • व्यक्तिगत, समुदाय और राष्ट्रीय स्तर पर लचीलापन और तैयारी का निर्माण करना; • भविष्य में होने वाले विस्थापन को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करना और अनुकूलन उपायों में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

भारत में आंतरिक विस्थापन के कारक:

- भारत में आंतरिक विस्थापन अलगाववादी आंदोलनों, पहचान-आधारित स्वायत्तता आंदोलनों, स्थानीय हिंसा और पर्यावरणीय आपदा तथा विकास-प्रेरित विस्थापन से उत्पन्न होता है।
- वर्ष 2022 में, रूस-यूक्रेन के कारण 16.9 मिलियन का विस्थापन हुआ - यह "किसी भी देश के लिए अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है।"
    - संघर्ष और हिंसा से जुड़े विस्थापनों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 28.3 मिलियन हो गई।
- हाल के वर्षों में, संघर्षों और हिंसा के ऐतिहासिक रूप से प्रमुख कारणों की तुलना में आपदाओं ने अधिक लोगों को विस्थापित किया है। यह जलवायु परिवर्तन को, जो बार-बार मौसम संबंधी आपदाओं का कारण बनता है, लोगों के बड़े पैमाने पर आंतरिक प्रवास का प्रमुख चालक बनाता है, जिन्हें हम लोकप्रिय रूप से "जलवायु शरणार्थी" कहते हैं।

	• रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में 32.6 मिलियन लोग आपदाओं के कारण विस्थापित हुए और 10 में से 6 आपदा विस्थापन बाढ़ के कारण हुए। **ऐसी आपदाओं में अचानक वृद्धि क्यों हो रही है?** • लंबे समय तक तीन साल तक चलने वाली ला नीना घटना ने मौसम संबंधी आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ में वृद्धि में योगदान दिया है, जिससे दुनिया भर में व्यापक आपदाएं हुईं। पूर्वी अफ्रीका में सूखे में भी वृद्धि होने से वहां विस्थापन बढ़ रहा है। ○ ला नीना मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) घटना के सामान्य चरण की तुलना में ठंडा है।
हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) 2023	**संदर्भ:** छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) ढाका, बांग्लादेश में शुरू हुआ। **छठे आईओसी के बारे में:** कोविड के बाद की स्थिति और चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण इस वर्ष के सम्मेलन का विषय 'शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी' है। **आईओसी के बारे में:** • हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) की शुरुआत 2016 में हुई थी • यह क्षेत्रीय मामलों पर क्षेत्र के देशों के लिए "प्रमुख परामर्शदात्री मंच" के रूप में उभरा है। • इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना, क्षेत्रीय राजनीतिक जुड़ाव को बढ़ाना और संकट की स्थितियों में निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना है। • सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण राज्यों और प्रमुख समुद्री भागीदारों को क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (एसएजीएआर) के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक आम मंच पर लाना है। **Source:** NewsOnAir
साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज (एसएजीई)	**संदर्भ :** 5 अरब डॉलर की प्रस्तावित समुद्र के नीचे यूएई-गुजरात गैस पाइपलाइन, मध्य पूर्व और भारत को जोड़ने वाला 2,000 किलोमीटर लंबा ऊर्जा गलियारा, 5 अरब डॉलर की परियोजना, समान मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात की तुलना में लगभग 7,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत कर सकती है। **साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज के बारे में** • गहरे पानी की पाइपलाइन परियोजनाओं में कंपनियों के एक अंतरराष्ट्रीय संघ, साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज (एसएजीई) ने खाड़ी से भारत तक समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन विकसित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और अन्य से समर्थन मांगा है। • मध्य पूर्व और भारत को जोड़ने वाला प्रस्तावित 2,000 किलोमीटर लंबा ऊर्जा गलियारा, 5 अरब डॉलर की परियोजना, समान मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात की तुलना में लगभग 7,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत कर सकती है। • साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड 21 नवंबर 2005 को निगमित एक निजी कंपनी है। इसे गैर-सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली में पंजीकृत है। इसे नई दिल्ली स्थित सिद्धो मल ग्रुप (Siddho Mal Group) द्वारा यूके स्थित डीपवाटर टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में प्रचारित किया गया है। • SAGE डीपवाटर पाइपलाइन के क्षेत्र में कुछ सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों के ग्लोबल कंसोर्टियम के साथ काम कर रहा है, ताकि एक मल्टी-बिलियन डॉलर "एनर्जी कॉरिडोर" बनाया जा सके जो पाकिस्तान के माध्यम से भूमि मार्ग को दरकिनार करते हुए मध्य पूर्व से भारत तक गैस पहुंचा सके। **परियोजना का महत्व** • मध्य पूर्व और भारत को जोड़ने वाले प्रस्तावित 2,000 किलोमीटर लंबे ऊर्जा गलियारे से लगभग 70 अरब रुपये ($849.60 मिलियन) की वार्षिक बचत होगी। • यह मार्ग अरब सागर के माध्यम से ओमान और यूएई से होकर गुजरेगा, जिससे 2,500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस

	भंडार वाले क्षेत्र ओमान, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से आयात की अनुमति मिलेगी। • कतर, ईरान, इराक और तुर्कमेनिस्तान के पास कुल मिलाकर 2,000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (टीसीएफ) का विशाल प्राकृतिक गैस भंडार है और एसएजीई ने इसमें से कुछ को अपने डीपवाटर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत में परिवहन करने की योजना बनाई है। उपर्युक्त देशों के साथ उच्चतम स्तर पर बातचीत और विचार-विमर्श जारी है। इन देशों के बीच गैस स्वैप का विकल्प भी तलाशा जा रहा है। • इसके अलावा, SAGE ने भारत के लिए अपने पाइपलाइन मार्ग पर ओमान/यूएई को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने की भी योजना बनाई है, और मैत्रीपूर्ण खाड़ी तथा मध्य पूर्व देशों के साथ सहकारी संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। **स्रोत:** द फाइनेंशियल एक्सप्रेस **अवश्य पढ़ें:** तापी गैस पाइपलाइन परियोजना
पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु यूरोपीय बैंक	**संदर्भ:** पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु यूरोपीय बैंक ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए और अधिक समर्थन देने का वादा किया क्योंकि शेयरधारक EBRD पूंजी को 3 बिलियन-5 बिलियन यूरो तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। **इसके बारे में** • पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक (ईबीआरडी) 1991 में स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। • इस संगठन का विकास पूर्वी यूरोपीय और पूर्व-सोवियत देशों को साम्यवाद के पतन के बाद मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था विकसित करके लोकतंत्र में परिवर्तित होने में मदद करने के लिए किया गया था। • EBRD का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। • यह 69 देशों में सार्वजनिक रूप से शेयरधारकों के स्वामित्व में है। यह केवल उन देशों का समर्थन करता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। • बैंक सार्वजनिक कार्यों, कृषि व्यवसाय, प्राकृतिक संसाधनों और नगरपालिका बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी और छोटी परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। • संगठन तंबाकू उद्योग, रक्षा, कुछ मादक उत्पादों, स्टैंड-अलोन जुआ सुविधाओं (stand-alone gambling facilities), या अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित नहीं करता है। • अपने सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरधारकों के बावजूद, यह वाणिज्यिक भागीदारों के साथ मिलकर मुख्य रूप से निजी उद्यमों में निवेश करता है। • भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) का 69वां शेयरधारक बन गया है। यह कदम भारतीय कंपनियों को उन क्षेत्रों में संयुक्त निवेश करने में सक्षम बनाएगा जहां ईबीआरडी संचालित होता है। **अवश्य पढ़ें:** न्यू डेवलपमेंट बैंक
भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) शिखर सम्मेलन 2023	**संदर्भ:** हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) शिखर सम्मेलन में भाग लिया। **भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) शिखर सम्मेलन के बारे में** 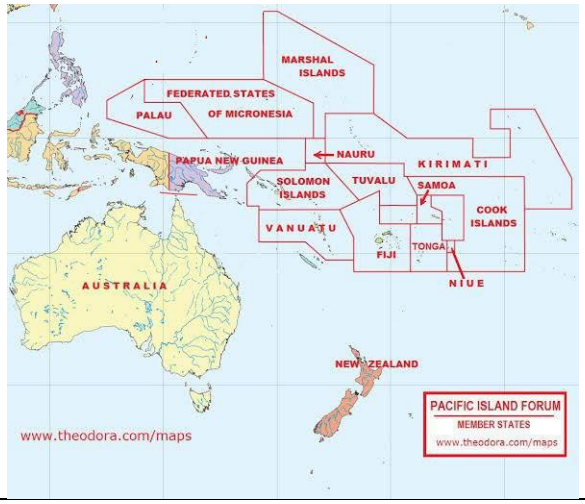

	• भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच भारत और 14 प्रशांत द्वीप समूह देशों के बीच सहयोग के लिए 2014 में विकसित एक बहुराष्ट्रीय समूह है। • भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC) में कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, नाउरू, नीयू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं। • भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के एक भाग के रूप में FIPIC के लिए फोरम की स्थापना की। • भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में फिजी में FIPIC की उद्घाटन सभा बुलाई। सभी 14 देशों ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। • 2015 में, फोरम की दूसरी बैठक जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें सभी 14 देशों की भागीदारी थी। • इस सभा के दौरान, लोगों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की गई। • पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (FIPIC शिखर सम्मेलन 2023) का तीसरा शिखर सम्मेलन पापुआ न्यू गिनी के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। • भारत के प्रधान मंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधान मंत्री के साथ शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। • इस अवसर पर, भारत के प्रधान मंत्री ने प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक 12-चरणीय पहल का अनावरण किया। • प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) के साथ भारत की विकास साझेदारी में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर विशेष जोर देने के साथ बुनियादी ढांचे के विकास जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। • इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास परियोजनाओं में पुस्तकालयों और स्कूल भवनों का नवीनीकरण, कॉलेजों का नवीनीकरण, शैक्षणिक संस्थानों को आईटी बुनियादी ढांचा प्रदान करना और डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना जैसी पहल शामिल हैं। **अवश्य पढ़ें:** आसियान
अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)	**संदर्भ:** ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने रश्त/Rasht (कैस्पियन सागर पर ईरानी शहर) -अस्टारा (अज़रबैजान) रेलवे के निर्माण को अंतिम रूप देने के लिए एक समझौता किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) के बारे में** • अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा सदस्य राज्यों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2000 में स्थापित एक बहु-मॉडल परिवहन है। • रूस, भारत और ईरान ने 2002 में 7,200 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (एनएसटीसी) को विकसित करने के लिए प्रारंभिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। • तीन साल बाद, अज़रबैजान ने इस परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए। इस समझौते को अंततः 13 देशों - भारत,

	रूस, ईरान, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, ताजिकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन द्वारा अनुमोदित किया गया था। • महत्वाकांक्षी व्यापार गलियारा रूस के बाल्टिक सागर तट को अजरबैजान और ईरान के माध्यम से अरब सागर में भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ना चाहता है। • इस गलियारे में समुद्र, सड़क और रेल मार्ग शामिल हैं। • गलियारे का मुख्य उद्देश्य भारत और रूस के बीच परिवहन लागत और पारगमन समय को कम करना था। एक बार गलियारा पूरी तरह कार्यात्मक हो जाने पर पारगमन समय लगभग आधा हो जाने की उम्मीद है। **भारत का हित** • INSTC के विकास में भारत की रुचि इसके 2.1 बिलियन डॉलर के निवेश से प्रकट होती है, जिसमें ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण और 500 किलोमीटर लंबी चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है। • चाबहार अब अल्ट्रा-बड़े कंटेनर जहाजों को संसाधित करने में सक्षम है। • भारत के लिए, INSTC पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए ईरान और मध्य एशिया के साथ व्यापार का मार्ग खोलता है। • स्वाभाविक रूप से, हमारे विस्तारित पड़ोस में महत्वपूर्ण कोनों, अफगानिस्तान और मध्य एशिया दोनों तक पहुंचने के संदर्भ में इसका निहितार्थ है। • यह गलियारा व्यापक यूरेशिया क्षेत्र में संभावित बाजारों तक पहुंच भी प्रदान करेगा। **अवश्य पढ़ें:** चाबहार पोर्ट (यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा) **स्रोत:** द हिंदू
G7	**संदर्भ:** 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। **G7 के बारे में:** **Image Source: BBC** • G7 का मतलब "सात का समूह" औद्योगिक राष्ट्र है। • इस अंतरसरकारी संगठन का गठन 1975 में किया गया था। • वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की सालाना बैठक होती है। • **मुख्यालय:** G-7 का कोई औपचारिक संविधान या निश्चित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं। • G-7 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। • सदस्य लोकतंत्र, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान, स्वतंत्र बाजार और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान जैसे सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं। • **उत्पत्ति:** G7 की जड़ें कनाडा को छोड़कर वर्तमान G7 सदस्यों के बीच 1975 में हुई एक बैठक से हैं। उस समय, ओपेक तेल प्रतिबंध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में थी। जैसे-जैसे ऊर्जा संकट बढ़ रहा था, अमेरिका ने फैसला किया कि विश्व मंच पर बड़े खिलाड़ियों के लिए व्यापक आर्थिक पहल पर एक-दूसरे के साथ समन्वय करना

	फायदेमंद होगा। • **कार्य की प्रकृति:** G7 ने शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि 1980 के दशक में, G7 ने विदेश नीति और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को भी शामिल करने के लिए अपना जनादेश बढ़ाया। हाल के वर्षों में, G7 नेताओं ने आतंकवाद विरोध, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर आम प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए मिले है। **MUST READ:**G7 (UPSC Mains) **SOURCE**: The Indian Express
भारत-ऑस्ट्रेलिया प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता	**संदर्भ:** भारत और ऑस्ट्रेलिया ने छात्रों और व्यापारिक लोगों के लिए अवसर खोलने के लिए एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए। **इसके बारे में:** • भारत और ऑस्ट्रेलिया ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। • **उद्देश्य:** इस समझौते का उद्देश्य छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों के लिए एक-दूसरे के देशों में अध्ययन और काम करना आसान बनाना है। • भारत का ऑस्ट्रिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फिनलैंड के साथ समान गतिशीलता समझौता है। • यह पेशेवरों और छात्र विनिमय कार्यक्रमों के लिए एकाधिक प्रवेश वीजा को विनियमित करेगा। • इन कार्यक्रमों की एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं और वांछित परिणाम दे रहे हैं। **अवश्य पढ़ें:** भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध (यूपीएससी मुख्य परीक्षा: भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध) **स्रोत:** हिंदुस्तान टाइम्स
स्प्रैटली द्वीप समूह	**संदर्भ:** चीन ने फिलीपींस से मुकाबला करने के लिए दक्षिण चीन सागर में 3 नेविगेशन बीकन तैनात किए। • चीन ने दक्षिण चीन सागर के विवादित स्प्रैटली द्वीपों के आसपास तीन नेविगेशन बीकन तैनात किए। • इसके बाद इस महीने की शुरुआत में फिलीपींस द्वारा भी इसी तरह का मार्कर प्लेसमेंट किया गया था। • इसके जरिए दोनों पक्ष इलाके पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

- दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक, दक्षिण चीन सागर के विवादित हिस्सों में हाल ही में तनाव बढ़ गया है।
- P-8A पोसीडॉन निगरानी विमान द्वारा ली गई वीडियो की इस स्थिर छवि में चीनी ड्रेजिंग जहाज कथित तौर पर दक्षिण चीन सागर में विवादित स्प्रैटली द्वीप समूह में मिसचीफ रीफ के आसपास के पानी में दिखाई दे रहे हैं।

दक्षिण चीन सागर

- **स्थान:** दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है।
- **जलडमरूमध्य:** यह ताइवान जलडमरूमध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लूजॉन जलडमरूमध्य द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है।
- **सीमावर्ती राज्य और क्षेत्र:** पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना (ताइवान), फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम।
- 'नाइन-डैश लाइन' (Nine-Dash line) विभिन्न मानचित्रों पर रेखा खंडों का एक सेट है जो दक्षिण चीन सागर में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन गणराज्य के दावों के साथ है।
- **सामरिक महत्व:** यह सागर अपने स्थान के लिए जबरदस्त रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर (मलक्का जलडमरूमध्य) के बीच संपर्क लिंक है।
- **विवाद:** चीन, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सदियों से विवादास्पद दक्षिण चीन सागर क्षेत्र पर विवाद है।
- विवाद के दो प्राथमिक बिंदु समुद्र में स्प्रैटली द्वीप और पारासेल द्वीप हैं।

स्प्रैटली द्वीप समूह के बारे में

- स्प्रैटली द्वीप समूह में 100 से अधिक छोटे द्वीप या चट्टानें शामिल हैं जो मछली पकड़ने के समृद्ध मैदानों से और संभावित रूप से गैस और तेल भंडार से घिरे हुए हैं।
- इन पर संपूर्ण रूप से चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है, जबकि कुछ हिस्सों पर मलेशिया और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है।
- लगभग 45 द्वीपों पर चीन, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के अपेक्षाकृत कम संख्या में सैन्य बलों का कब्जा है।

	• वर्ष 1985 से ब्रुनेई ने एक महाद्वीपीय शेल्फ का दावा किया है जो दक्षिणी चट्टान को ओवरलैप करता है लेकिन उसने चट्टान पर कोई औपचारिक दावा नहीं किया है। ब्रुनेई इस क्षेत्र पर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का दावा करता है। **अवश्य पढ़ें:** सेनकाकू-डियाओयू द्वीप विवाद **(यूपीएससी प्रारंभिक)** **स्रोत:** हिंदुस्तान टाइम्स
लीपज़िग परिवहन शिखर सम्मेलन	**संदर्भ:** अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) के 64 सदस्य देशों के परिवहन मंत्री 24-26 मई, 2023 तक जर्मनी के लीपज़िग में एक शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए हैं। • इस कार्यक्रम की थीम 'परिवहन को सक्षम करने वाली टिकाऊ अर्थव्यवस्थाएं' रखी गई। • शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लेकर यूक्रेन और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से लेकर सक्रिय गतिशीलता तक के विषयों पर चर्चा होगी। • लगभग 80 देशों के 1,300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। • अध्यक्षपद ब्रिटेन के पास है। • शिखर सम्मेलन प्रशासनिक रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के साथ एकीकृत है। **अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के बारे में:** • OECD में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम एक अंतरसरकारी संगठन है जो परिवहन नीति के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और परिवहन मंत्रियों के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। • ITF एकमात्र वैश्विक निकाय है जो सभी परिवहन साधनों को कवर करता है। ITF प्रशासनिक रूप से ओईसीडी के साथ एकीकृत है, फिर भी राजनीतिक रूप से स्वायत्त है। • **सचिवालय:** अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच का सचिवालय पेरिस (फ्रांस) में OECD पर आधारित है। • **सदस्य:** ओईसीडी में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम (आईटीएफ) 64 सदस्य देशों वाला एक अंतरसरकारी संगठन है। • **शासनादेश (Mandate):** अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) का उद्देश्य आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समावेशन में परिवहन की भूमिका की गहरी समझ को बढ़ावा देना और परिवहन नीति की सार्वजनिक प्रोफ़ाइल को बढ़ाना है। • **प्रशासनिक संरचना:** यह मंच प्रशासनिक रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) में एकीकृत है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, और इसके कई सदस्य देश ओईसीडी के सदस्य नहीं हैं। **अवश्य पढ़ें:** OECD **स्रोत:** डाउन टू अर्थ

अर्थव्यवस्था

बिजनेस रेडी (बी-रेडी) रैंकिंग	**संदर्भ:** हाल ही में विश्व बैंक ने बिजनेस रेडी (बी-रेडी) रैंकिंग जारी की।
	बिजनेस रेडी (बी-रेडी) रैंकिंग के बारे में:-
	• विश्व बैंक समूह एक नया कॉर्पोरेट फ्लैगशिप, बिजनेस रेडी (बी-रेडी) लागू किया है।
	• **उद्देश्य:** दुनिया भर में व्यापार और निवेश के माहौल का वार्षिक आकलन करना।
	• सितंबर 2021 में, विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) के वरिष्ठ प्रबंधन ने डूइंग बिजनेस (डीबी) रिपोर्ट और डेटा को बंद करने का फैसला किया और व्यापार तथा निवेश माहौल का आकलन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की घोषणा की। **(यूपीएससी सीएसई: विश्व बैंक ने कारोबार सुगमता रिपोर्ट रोकी)**
	• बी-रेडी डूइंग बिजनेस में सुधार करता है और उसकी जगह लेता है। **(यूपीएससी मेन्स: डब्ल्यूबी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की आलोचना)**
	• नए दृष्टिकोण को डब्ल्यूबीजी के विशेषज्ञों की सलाह और संस्थान के बाहर योग्य शिक्षाविदों और चिकित्सकों की सिफारिशों से सूचित किया जाता है, जिसमें डीबी पद्धति पर बाहरी पैनल समीक्षा भी शामिल है।
	• नया बेंचमार्किंग अभ्यास डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (DEC) ग्लोबल इंडिकेटर्स ग्रुप (DECIG) में विकसित किया जा रहा है।
	  ○ यह समूह नए बेंचमार्किंग अभ्यास को डिज़ाइन, पायलट और कार्यान्वित करेगा।
	  ○ यह WBG के मुख्य अर्थशास्त्री और DEC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में होगा।
	• डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सर्वोत्तम संभव मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिसमें ठोस डेटा एकत्र करना भी शामिल है।
	नई परियोजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-
	• **कार्यकारी शीर्षक:** नए प्रोजेक्ट का कार्यकारी शीर्षक बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, जिसका संक्षिप्त नाम 'बीईई' है।
	• ब्रांडिंग प्रभाव पर उचित विचार के बाद शीर्षक को परिष्कृत किया जाएगा।
	• इस बेंचमार्किंग अभ्यास का उद्देश्य निजी क्षेत्र के विकास के लिए कारोबारी माहौल का मात्रात्मक मूल्यांकन प्रदान करना है।
	• **दायरा:** बीईई विनियामक ढांचे और फर्मों तथा बाजारों के लिए संबंधित सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के साथ-साथ व्यवहार में उनके संयोजन की दक्षता पर ध्यान केंद्रित करके अर्थव्यवस्था के कारोबारी माहौल का आकलन करेगा।
	अवश्य पढ़ें: भारत और विश्व बैंक
	स्रोत: विश्व बैंक

डी डॉलरीकरण (De dollarization)	**संदर्भ:** हाल ही में, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद डी-डॉलरीकरण में तेजी आई है। **डी-डॉलरीकरण के बारे में:-** • डी-डॉलरीकरण का तात्पर्य वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अन्य मुद्राओं के साथ अमेरिकी डॉलर के प्रतिस्थापन से है। ○ **आरक्षित मुद्रा:** यह किसी भी मुद्रा को संदर्भित करता है जो सीमा पार लेनदेन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा आरक्षित के रूप में रखी जाती है। • डी-डॉलरीकरण अमेरिकी डॉलर को मुद्रा के रूप में प्रतिस्थापित करने की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है:

- तेल और/या अन्य वस्तुओं का व्यापार करना
- विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अमेरिकी डॉलर खरीदना
- द्विपक्षीय व्यापार समझौते
- डॉलर मूल्यवर्ग की संपत्ति

वैश्विक मुद्रा का इतिहास:-

- ब्रिटिश पाउंड 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान प्राथमिक आरक्षित मुद्रा थी।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिकी डॉलर प्रमुख आरक्षित मुद्रा बन गया।
  - 2021 तक वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार का 60% से अधिक डॉलर में होने के साथ, यह इस स्थान पर बना हुआ है।

अमेरिकी डॉलर की लोकप्रियता के कारण:-

- **उच्च स्तर का विश्वास:** आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की वैश्विक स्वीकार्यता मुख्य रूप से निवेशकों के बीच अमेरिकी परिसंपत्तियों की लोकप्रियता के कारण है।
- **रूल ऑफ़ लॉ:** यह भरोसा अमेरिका में 'रूल ऑफ़ लॉ' के कारण हो सकता है।

डी-डॉलरीकरण की आवश्यकता:-

- **जोखिम का विविधीकरण:** केवल एक करेंसी (यानी, अमेरिकी डॉलर) के बजाय मुद्राओं की बहुतायात मात्र से अमेरिका में अचानक मुद्रा अवमूल्यन या अन्य आर्थिक झटके/राजनीतिक परिवर्तनों के संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: करेंसी मैनिपुलेशन)**
- **व्यापार और निवेश बढ़ाना:** अन्य मुद्राओं का उपयोग करके, देश अन्य देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ा सकते हैं जिनके अमेरिका के साथ मजबूत संबंध नहीं हो सकते हैं, जिससे नए बाजार और विकास के अवसर खुल सकते हैं।
- **अमेरिकी मौद्रिक नीति प्रभाव को कम करना:** अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करके, देश अपनी आर्थिक स्वायत्तता बढ़ा सकते हैं।
- **भू-राजनीतिक लाभ:** अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करके, देश अपनी भू-राजनीतिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम हो सकते हैं। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: अति वैश्वीकरण/Hyper globalisation)**

डी-डॉलरीकरण की चुनौतियाँ:-

- **बाजार में अस्थिरता और वैश्विक वित्तीय संकट:** डॉलर से अचानक दूर जाने से बाजार में अस्थिरता और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कई देश और व्यवसाय व्यापार और निवेश के लिए डॉलर पर निर्भर हैं और किसी भी बदलाव से संभावित वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हो सकता है।
- **व्यापार व्यवधान:** डॉलर से दूर जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बाधित हो सकता है, क्योंकि व्यवसाय और सरकारें नई मुद्राओं और विनिमय दर व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठा रही हैं।
- **विनिमय दर जोखिम:** डी-डॉलरीकरण देशों को विनिमय दर जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि उन्हें अपने भंडार को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करना पड़ सकता है जो अस्थिरता के अंतर्गत हैं।
- **भू-राजनीतिक जोखिम:** डॉलर से दूर जाने को अमेरिकी आर्थिक और भू-राजनीतिक शक्ति के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, जिससे राजनीतिक तनाव और यहां तक कि संघर्ष भी हो सकता है।

अब तक के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास:-

- देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की स्थापना।
- ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 से अपने 50% तक ऋण राष्ट्रीय मुद्राओं में वितरित करके राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है।
- रूसी बैंकों ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए चीन स्थित क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक भुगतान प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

	• कुछ देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने की संभावना भी तलाश रहे हैं, क्योंकि वे पारंपरिक भुगतान प्रणालियों के लिए विकेंद्रीकृत विकल्प प्रदान करते हैं। **राष्ट्रीय प्रयास:-** • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में नामित भारतीय बैंकों में विशेष वोस्ट्रो खातों की अनुमति देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपया निपटान प्रणाली का अनावरण किया, जो रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक कदम है। • इसी तरह, भारत और रूस दोनों देशों के बीच तेल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए तीसरी मुद्रा के उपयोग या संयुक्त अरब अमीरात जैसे तीसरे देश को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। **अवश्य पढ़ें:** भारत का डिजिटल रुपया: CBDC
अमेरिकी फेडरल रिजर्व	**संदर्भ:** हाल ही में, बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की जद्दोजहद के बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों यानी 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की है। **अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बारे में:-** • फेडरल रिजर्व सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। • फेडरल रिजर्व की भूमिका:- ○ अधिकतम रोजगार और स्थिर कीमतों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी मौद्रिक नीति का संचालन करना। **(यूपीएससी प्रारंभिक: फेड टेपरिंग)** ○ o वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ावा देना और अमेरिका तथा विदेशों में सक्रिय निगरानी और जुड़ाव के माध्यम से प्रणालीगत जोखिमों को कम करनाएवं नियंत्रित करना। ○ व्यक्तिगत वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा और सुदृढ़ता को बढ़ावा देना। ○ वित्तीय प्रणाली की निगरानी करना। ○ उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना। **वैश्विक बाजार और उनकी अर्थव्यवस्था पर फेड का प्रभाव:-** • फेड द्वारा उच्च दर के संकेत का मतलब है कि अमेरिका में विकास को कम गति मिलना। • **मुद्रा बाजार:** फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में बढ़ोतरी न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों पर कुछ हद तक प्रभाव डालती है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: विनिमय दर)** **भारत पर बढ़ी हुई ब्याज दरों का प्रभाव:-** • भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में अधिक मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें होती हैं। ○ परिणामस्वरूप, वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अमेरिका में डॉलर के संदर्भ में कम ब्याज दरों पर पैसा उधार लेना चाहते है और फिर उच्च ब्याज दर अर्जित करने के लिए उस पैसे को स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में भारत जैसे उभरते देशों के सरकारी बॉन्ड में निवेश करते है। ○ हालाँकि, जब अमेरिकी फेडरल अपनी घरेलू ब्याज दरें बढ़ाता है, तो दोनों देशों की ब्याज दरों के बीच का अंतर कम हो जाता है। ○ यह भारत को मुद्रा ले जाने वाले व्यापार के लिए कम आकर्षक बनाता है। ○ परिणामस्वरूप, कुछ धनराशि भारतीय बाज़ारों से निकलकर अमेरिका में वापस प्रवाहित होने की उम्मीद की जा सकती है। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: यूएस फेड रिजर्व बढ़ोतरी)** • **इक्विटी बाज़ार पर:-** ○ वैश्विक बाज़ार में डॉलर की बढ़ती कमी के कारण बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि होगी। • **निर्यात और विदेशी मुद्रा पर:-** ○ भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है।

	○ डॉलर की तुलना में कमजोर रुपये के परिणामस्वरूप कच्चे तेल का आयात अधिक महंगा हो जाता है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में लागत-संचालित मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। ○ दूसरी ओर, रुपये के मुकाबले मजबूत डॉलर से भारत के निर्यात को कुछ हद तक फायदा होगा। **अवश्य पढ़ें:** रुपए का अवमूल्यन **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट 2022-23	**संदर्भ:** मुद्रा एवं वित्त 2022-23 पर रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। **मुद्रा एवं वित्त 2022-23 के बारे में:-** ● यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) द्वारा जारी किया जाता है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति)** ● **थीम:** मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 का विषय 'टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया' है। **मुख्य निष्कर्ष: -** ● **शुद्ध शून्य लक्ष्य:-** ○ भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट का सुझाव है कि वर्ष 2070-71 तक भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी 80 प्रतिशत तक होनी चाहिये। ○ इसके लिये ऊर्जा उत्सर्जन में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 5 प्रतिशत सालाना की त्वरित कमी की आवश्यकता होगी। ○ भारत में इस जलवायु परिवर्तन को अनुकूलित करने के लिए वर्ष 2030 तक संचयी कुल व्यय 85.6 लाख करोड़ रुपये (2011-12 की कीमतों पर) होने का अनुमान है। ● **वित्तीय स्थिरता के लिए निहितार्थ:-** ○ वित्तीय क्षेत्र को हरित संक्रमण प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए अपने संचालन और व्यावसायिक रणनीतियों को पुन: व्यवस्थित करने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही प्रतिकूल जलवायु घटनाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के प्रति लचीलेपन को मजबूत करना है ताकि वित्तीय स्थिरता की रक्षा की जा सके। ○ पहली चुनौती पर, अनुमान बताते हैं कि जलवायु घटनाओं के कारण होने वाले बुनियादी ढांचे के अंतर को दूर करने के लिए भारत में हरित वित्तपोषण की आवश्यकता सालाना सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2.5% हो सकती है। ○ दूसरी चुनौती पर, जलवायु तनाव परीक्षण के नतीजे बताते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक असुरक्षित हो सकते हैं। **सुझाए गए उपाय:-** ● अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए हरित वर्गीकरण से जुड़ी एक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस) का परिचय। ○ यह आंशिक रूप से सब्सिडी और करों को संतुलित कर सकता है। ● दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन या उन्हें दीर्घकालिक अनुबंधों और बाहरी एफडीआई के माध्यम से प्राप्त करने की घरेलू क्षमता बढ़ाना। **(यूपीएससी प्रारंभिक: एफडीआई प्रवाह)** ● ऊर्जा की मांग को प्रबंधित करने और कम करने के लिए IoT-आधारित निगरानी और AI एवं ML के साथ ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को लागू करना। ● जलवायु-लचीली कृषि को बढ़ावा देना। ● नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन। ● कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रौद्योगिकियों में निवेश करना। **अवश्य पढ़ें:** RBI- एकीकृत लोकपाल योजना
G20 टेकस्प्रिंट	**संदर्भ:** हाल ही में, RBI और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने G20 TechSprint का शुभारंभ किया।

	G20 टेकस्प्रिंट के बारे में:- • G20 TechSprint एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता है। **(UPSC प्रारंभिक: भारत और G20 प्रेसीडेंसी)** • चौथा और 2023 टेकस्प्रिंट बीआईएस इनोवेशन हब और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक संयुक्त पहल है। • यह आरबीआई और बीआईएस इनोवेशन हब द्वारा तैयार किए गए सीमा पार भुगतान पर तीन समस्या विवरणों पर ध्यान केंद्रित करेगा। **(यूपीएससी सीएसई: डब्ल्यूईएफ के कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा सीमा पार गतिशीलता बहाल करना)** ○ **प्रौद्योगिकी समाधान:** एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रतिबंधों का मुकाबला करने के आसपास अवैध वित्त जोखिम को कम करना। ○ **विदेशी मुद्रा और तरलता प्रौद्योगिकी समाधान:** उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्था की मुद्राओं में निपटान को सक्षम करने के लिए। ○ बहुपक्षीय सीमा पार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्लेटफार्मों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी))** • यह प्रतियोगिता दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए खुली है। • शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को छह सप्ताह की अवधि में अपने समाधान विकसित करने के लिए बुलाया जाएगा। • प्रत्येक टीम आठ लाख रुपये लगभग 10,000 अमेरिकी डॉलर के वजीफे के लिए पात्र होगी। • विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र पैनल शॉर्टलिस्ट किए गए समाधानों में से प्रत्येक समस्या कथन के लिए सबसे आशाजनक समाधान का चयन करेगा। • प्रत्येक समस्या कथन के लिए विजेताओं को चालीस लाख रुपये लगभग 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिलेगा। **अवश्य पढ़ें:** एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस **स्रोत:** AIR
स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही	**संदर्भ:** हाल ही में, नकदी संकट से जूझ रही नो-फ्रिल्स वाहक गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड (गो फर्स्ट) ने कहा कि वह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के साथ स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही के लिए आवेदन कर रही है। **स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही के बारे में:-** • किसी सॉल्वेंट कंपनी को स्वैच्छिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया को अब कंपनी अधिनियम से स्थानांतरित कर दिया गया है। • 2013 से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 से 1 अप्रैल 2017 तक प्रभावी। • क्षेत्राधिकार प्राधिकार को उच्च न्यायालय से एनसीएलटी में स्थानांतरित करने से निष्पादन में तेजी आएगी। • मामलों के निपटान के बाद से दिवाला पेशेवरों को समापन प्रक्रिया को पूरा करने और एनसीएलटी को रिपोर्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी))** • सदस्य की बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करने और शोधन क्षमता की घोषणा के साथ। • एक आवेदक समापन की कार्यवाही शुरू कर सकता है- • दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 59 (3) (सी) के अनुसार- (यूपीएससी मुख्य परीक्षा: दिवाला और दिवालियापन: मुद्दे और आगे की राह) ○ सॉल्वेंसी की घोषणा के 4 सप्ताह के भीतर कंपनी का स्वैच्छिक समापन ○ परिसमापक (Liquidator) के रूप में कार्य करने के लिए एक दिवाला पेशेवर की नियुक्ति, जो कि अनुमोदन के अधीन होता है। ○ विशेष माध्यम से सामान्य बैठकों में सदस्य ○ **प्रस्ताव:-** ▪ स्वैच्छिक हेतु विशेष प्रस्ताव पारित करना

	▪ दिवालियेपन का समापन और नियुक्ति ▪ परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए पेशेवर **अवश्य पढ़ें:** दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए)	**संदर्भ:** हाल ही में, यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए) ने छह भारतीय क्लियरिंग हाउसों की मान्यता रद्द कर दी है। **यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए) के बारे में: -** 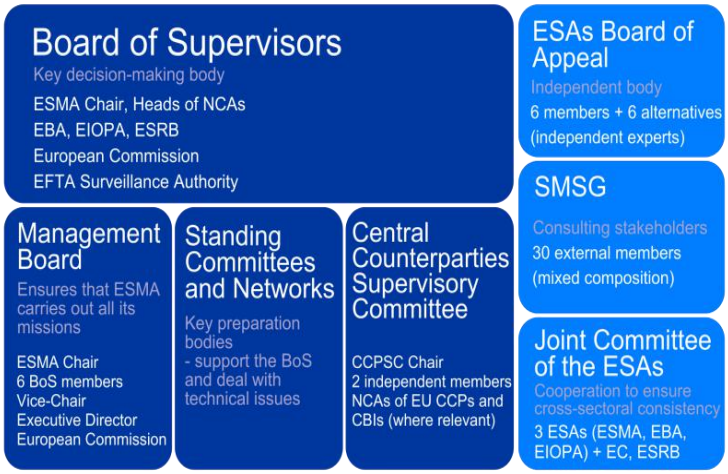 **IMAGE SOURCE:** Governance Structure (Europa. eu) ● यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए) एक स्वतंत्र यूरोपीय संघ (ईयू) प्राधिकरण है। ● यह निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाकर और स्थिर तथा व्यवस्थित वित्तीय बाजारों को बढ़ावा देकर यूरोपीय संघ की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुरक्षित रखने में योगदान देता है। ● यह विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक है: ○ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (सीआरए) ○ प्रतिभूतिकरण भंडार (एसआर) ○ व्यापार रिपॉजिटरी (टीआर) ● ये संस्थाएँ यूरोपीय संघ के बाज़ार बुनियादी ढांचे का आवश्यक हिस्सा हैं। **यूरोपीय बाज़ार अवसंरचना विनियमन के बारे में:-** ● इसे अगस्त 2012 में EU द्वारा अपनाया गया था। ● यह प्रणालीगत, प्रतिपक्ष और परिचालन जोखिम को कम करने और ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जी20 प्रतिबद्धता का कार्यान्वयन है। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: भारत और जी20 प्रेसीडेंसी)** ● इसे 2008 में लेहमैन ब्रदर्स के दिवालियापन के बाद हुए पतन के समान संभावित भविष्य के वित्तीय संकटों के दौरान होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में भी डिज़ाइन किया गया था। ● इसका फोकस ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव, केंद्रीय समकक्षों और व्यापार रिपॉजिटरी का विनियमन है। ● यह डेरिवेटिव अनुबंधों की रिपोर्टिंग, जोखिम प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन और केंद्रीय समकक्षों तथा व्यापार रिपॉजिटरी के लिए सामान्य नियमों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। ● यह केंद्रीय समकक्षों के लिए सामान्य नियम स्थापित करता है। ● यह दायित्वों के तीन सेटों को भी रेखांकित करता है, जिसमें लागू उत्पादों की समाशोधन, रिपोर्टिंग और जोखिम शमन शामिल है। ● इसके लिए विशिष्ट ओटीसी डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए अनिवार्य समाशोधन दायित्वों की आवश्यकता होती है। ○ दायित्वों के लिए आवश्यक है कि ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव ट्रेडों को केंद्रीय समकक्षों के माध्यम से

	मंजूरी दी जाए। • EMIR के लिए आवश्यक है कि डेरिवेटिव अनुबंधों में प्रवेश करने वाली सभी संस्थाओं को प्रत्येक ओवर-द-काउंटर व्यापार की रूपरेखा बताते हुए अपने संबंधित व्यापार रिपॉजिटरी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। • EMIR उन संस्थाओं को कवर करता है जो ब्याज दर, इक्विटी, विदेशी मुद्रा, या क्रेडिट और कमोडिटी डेरिवेटिव के व्युत्पन्न अनुबंध के लिए अर्हता रखते हों। • EMIR को अनुच्छेद 11 में उल्लिखित जोखिम शमन मानक द्विपक्षीय डेरिवेटिव पर जोखिम प्रबंधन विनियमन लागू करते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव मानक केंद्रीय प्रतिपक्ष समाशोधन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। • EMIR को अनुच्छेद 25 के अनुसार यूरोपीय बैंकों को सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य वैश्विक न्यायालयों में सीसीपी को ईएसएमए द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। • भारत ने 2017 में समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो मार्च 2022 में समाप्त हो गया। **अवश्य पढ़ें:** भारत-यूरोपीय संघ **स्रोत:** फाइनेंशियल एक्सप्रेस
गोल्ड रश	संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय बैंकों द्वारा गोल्ड रश की घटना देखी गई। **गोल्ड रश के बारे में:-** • अपने भंडार में असामान्य गति से सोना जोड़ने को आमतौर पर 'गोल्ड रश' कहा जाता है। **(पीएससी प्रारंभिक: गोल्ड रिजर्व)** • **उद्देश्य:** वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ती मुद्रास्फीति परिदृश्य के बीच अपने रिटर्न को सुरक्षित रखना। ○ अपने भंडार में सोना जोड़ने को अधिक संरक्षित, सुरक्षित, तरल संपत्ति माना जाता है। • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सोने के भंडार में वित्त वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जब उसके पास 760.42 मीट्रिक टन सोना था। (यूपीएससी मेन्स: स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के कारक) • **वैश्विक परिदृश्य:-** ○ सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस), पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) और तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक सहित कई अन्य केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं। ○ कैलेंडर वर्ष 2022 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 1,136 टन सोना खरीदा, जो एक रिकॉर्ड ऊंचाई थी। ○ वर्ष 2022 के दौरान, मिस्र, कतर, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान सहित मध्य पूर्व के केंद्रीय बैंकों ने अपने सोने के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि की। ○ सेंट्रल बैंक ऑफ उज़्बेकिस्तान ने 2022 को सोने के शुद्ध खरीदार के रूप में समाप्त किया, इसके सोने के भंडार में 34 टन की वृद्धि हुई। ○ जनवरी-मार्च 2023 में, सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण अपने सोने के भंडार में 69 टन जोड़ने के बाद सोने का सबसे बड़ा एकल खरीदार था। • सोना रखने के केंद्रीय बैंकों के निर्णय के दो प्रमुख कारक हैं:- ○ संकट के समय में इसका प्रदर्शन, और ○ मूल्य के दीर्घकालिक भंडार के रूप में इसकी भूमिका **जरूर पढ़ें:** आरबीआई ने रुपये में गिरावट और विदेशी मुद्रा प्रवाह को रोकने के लिए नियमों में ढील दी **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड	**संदर्भ:** सरकार एक नई व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रही है जिसके तहत आर्थिक अपराधों के आरोपी कंपनियों और व्यक्तियों को एक अद्वितीय कोड सौंपा जाएगा जिसे 'यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड (Unique Economic Offender Code)" कहा जाएगा। **इसके बारे में:** • कोड अल्फ़ा-न्यूमेरिक और सिस्टम-जनरेटेड हो सकता है। • यह तब जारी किया जाएगा जब पुलिस या केंद्रीय जांच एजेंसी किसी अपराधी के बारे में डेटा राष्ट्रीय आर्थिक

	अपराध रिकॉर्ड (एनईओआर) को भेज देगी। • यह प्रत्येक अपराधी के लिए विशिष्ट होगा और किसी व्यक्ति के मामले में उसके आधार नंबर या कंपनी के मामले में पैन से जुड़ा होगा। • NEOR के तहत, यह संहिताकरण आर्थिक अपराधी और उनके रिकॉर्ड की 360-डिग्री प्रोफ़ाइल प्रदान करेगा। **ऐसे वर्गीकरण से क्या लाभ है?** • इस व्यवस्था के साथ, व्यक्तियों या कंपनियों के खिलाफ बहु-एजेंसी जांच तेजी से शुरू की जाएगी। • विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों को जांच शुरू करने से पहले एक एजेंसी द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। **राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड (एनईओआर) क्या है?** • NEOR सभी आर्थिक अपराधों का एक केंद्रीय संग्रह है। • यह प्रत्येक आर्थिक अपराधी से संबंधित डेटा को सभी केंद्रीय और राज्य खुफिया तथा प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करेगा। • केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से एनईओआर परियोजना के समन्वय और पूरा करने का काम दिया गया है। • यह एक बार पूरा होने पर, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के सभी डेटा को एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके राष्ट्रीय भंडार में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश कम हो जाएगी। • एनईओआर भारत के लिए एक प्रदर्शन परियोजना (showcase project) होगी जिसे आगामी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की समीक्षा में प्रदर्शित किया जाएगा। **स्रोत:** Times now
लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR)	**संदर्भ:** भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR) के बजाय अन्य वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARR) में संक्रमण की सलाह दी है। LIBOR के बारे में • LIBOR, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट का संक्षिप्त रूप, इंटरबैंक बाजार में असुरक्षित अल्पकालिक उधार के लिए वैश्विक संदर्भ दर है। • यह अल्पकालिक ब्याज दरों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। • इसका उपयोग ब्याज दर स्वैप, मुद्रा दर स्वैप के साथ-साथ मॉर्गेज (Mortgage) मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है। • यह वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य का एक संकेतक है और केंद्रीय बैंकों की आगामी नीति दरों के प्रक्षेपवक्र (trajectory) का एक विचार प्रदान करता है। • LIBOR को इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज या ICE द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसकी गणना ओवरनाइट (overnight) से लेकर एक वर्ष तक की सात अलग-अलग परिपक्वताओं वाली पांच मुद्राओं के लिए की जाती है। • जिन पांच मुद्राओं के लिए LIBOR की गणना की जाती है वे स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और यूएस डॉलर हैं। • लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट और मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट 30 जून, 2023 से प्रतिनिधि बेंचमार्क नहीं रहेंगे। • वर्ष 2017 में, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने एक पसंदीदा विकल्प के रूप में सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (एसओएफआर) की घोषणा की। • तदनुसार, भारत में, MIFOR के स्थान पर SOFR और संशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (MMIFOR) का उपयोग करके नए लेनदेन किए जाने थे।

	सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग दर (एसओएफआर) • SOFR संयुक्त राज्य अमेरिका में LIBOR का मुख्य प्रतिस्थापन है। • यह बेंचमार्क उन दरों पर आधारित है जो अमेरिकी वित्तीय संस्थान एक-दूसरे को ओवरनाइट लोन के लिए भुगतान करते हैं। • ये लेन-देन ट्रेजरी बांड पुनर्खरीद समझौतों का रूप लेते हैं, जिन्हें अन्यथा रेपो समझौते के रूप में जाना जाता है। • एसओएफआर में इन रेपो लेनदेन में ली गई दरों का भारित औसत शामिल है। **स्रोत:** इंडियन एक्सप्रेस
त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (C-PACE)	**संदर्भ:** हाल ही में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा MCA रजिस्टर से कंपनियों की समस्या मुक्त फाइलिंग, समय पर और प्रक्रियाबद्ध तरीके से समापन के लिए त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (C-PACE) की स्थापना की गयी। **इसके बारे में:** • **उद्देश्य:** सी-पेस का उद्देश्य रजिस्ट्री पर बोझ को कम करना और हितधारकों के लिए रजिस्टर से अपनी कंपनी का नाम हटाने के लिए एक सुविधाजनक प्रक्रिया प्रदान करना है। • यह गुड़गांव में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में स्थित है। सी-पेस कार्यालय कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक की देखरेख/प्रशासन के तहत काम करेगा। • सी-पेस कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के तहत काम करेगा और प्रसंस्करण और निपटान के लिए आवेदनों को संभालेगा। **महत्व** • यह सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना के साथ कंपनियों की स्ट्राइक ऑफ प्रक्रिया को केंद्रीकृत करके एक कदम आगे बढ़ाया है। • सी-पेस की स्थापना न केवल रजिस्ट्री पर तनाव से राहत देगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्री को साफ रखा जाए, हितधारकों को अधिक सार्थक और सटीक डेटा प्रदान किया जाए। • सी-पेस हितधारकों को समस्या मुक्त फाइलिंग, समय पर और प्रक्रियाबद्ध तरीके से उनकी कंपनी के नाम रजिस्टर से हटाने की सुविधा प्रदान करके भी लाभान्वित करेगा। • सी-पेस का निर्माण व्यवसाय करने में आसानी और कंपनियों के लिए निकासी में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एमसीए की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। **अवश्य पढ़ें:** दिवाला और दिवालियापन संहिता स्रोत: **The Business Line**
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना	संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीज़न 2022-23 के लिये 1 अक्तूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों के लिये पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंज़ूरी दी। **इसके बारे में** • पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना सभी गैर-यूरिया-आधारित उर्वरकों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। NBS व्यवस्था के तहत इन उर्वरकों में निहित पोषक तत्त्वों (N, P, K और S) के आधार पर किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक प्रदान किये जाते हैं। • • साथ ही जिन उर्वरकों को द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों जैसे मोलिब्डेनम (Mo) एवं जस्ता के साथ मज़बूत किया जाता है, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। • P&K उर्वरकों पर सब्सिडी की घोषणा सरकार द्वारा प्रति किलो के आधार पर प्रत्येक पोषक तत्त्व के लिये वार्षिक आधार पर की जाती है, जो P&K उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, विनिमय दर, देश में सूची स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। • इसे उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2010 से क्रियान्वित किया जा रहा है। **एनबीएस योजना का महत्व** • इससे किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और उचित मूल्य पर DAP और अन्य P&K उर्वरकों की उपलब्धता

	सुनिश्चित करने का दोहरा लाभ होगा और P&K उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण सुनिश्चित होगा। • संतुलित पोषक तत्व उपलब्धता से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी। **एनबीएस योजना से संबंधित चिंताएँ** • **असंतुलित मूल्य और बिगड़ती मिट्टी का स्वास्थ:** हालांकि, सभी गैर-यूरिया आधारित उर्वरकों को एनबीएस योजना के तहत विनियमित किया जाता है, दूसरी ओर, विनियमित अन्य उर्वरकों की कीमतें बढ़ गई हैं। इससे मिट्टी में सब्सिडी वाले यूरिया उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन हो गया। • **सब्सिडी की लागत:** खाद्य सब्सिडी के बाद उर्वरक सब्सिडी दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है। इस प्रकार यह बजट के राजकोषीय असंतुलन को उजागर करता है। • **डायवर्जन:** सब्सिडी वाले यूरिया को बड़े खरीदारों, व्यापारियों, या यहां तक कि गैर-कृषि उपभोक्ताओं जैसे प्लाइवुड निर्माताओं और पशु चारा के उत्पादकों तक पहुंचाया जा रहा है। औद्योगिक उपयोग के लिए अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया के अवैध उपयोग के कारण सरकार को सालाना लगभग 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। • इसकी तस्करी बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में की जा रही है। • **पर्यावरण प्रदूषण:** असंतुलित उर्वरक उपयोग के मिश्रित हानिकारक प्रभाव न केवल मिट्टी और वायुमंडलीय प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, बल्कि जल निकायों (यूट्रोफिकेशन) को भी प्रभावित कर रहे हैं तथा जैव विविधता एवं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।
चक्रीय अर्थव्यवस्था	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र का रोडमैप वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में कटौती के समाधान की रूपरेखा तैयार करना है। **इसके बारे में** 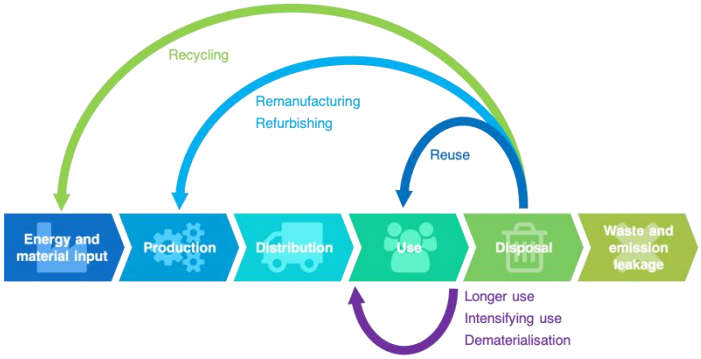 • एक चक्रीय अर्थव्यवस्था सामग्री के उपयोग को कम करती है, सामग्री, उत्पादों और सेवाओं को कम संसाधन गहन बनाने के लिए पुन: डिज़ाइन करती है, और नई सामग्रियों और उत्पादों के निर्माण के लिए संसाधन के रूप में "अपशिष्ट" को पुनः प्राप्त करती है। • एक चक्रीय अर्थव्यवस्था तीन स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित है जो हमारी जलवायु के लिए लाभ सहित कई लाभ लाती है। ये: ○ अपशिष्ट और प्रदूषण को खत्म करना, बदले में मूल्य श्रृंखला में उत्सर्जन को कम करना और उससे बचना। ○ उत्पादों और सामग्रियों को प्रसारित करना, जिससे सन्निहित उत्सर्जन को बनाए रखा जा सके। ○ प्रकृति का पुनर्जनन, जिससे कार्बन पृथक्करण में भी सुधार होगा। **चक्रीय अर्थव्यवस्था का महत्व** • **अपशिष्ट उत्पादन को कम करना:** चक्रीय आर्थिक प्रथाओं का अभ्यास करने से विभिन्न उपभोग पैटर्न से जुड़े दैनिक अपशिष्ट उत्पादन में कमी आती है। • **सचेत उपभोग पैटर्न को बढ़ाना (Enhances mindful consumption pattern) :** अधिक सचेत उपभोग से उपयोगकर्ताओं का दृष्टिकोण बदल जाएगा और पुन: उपयोग बढ़ेगा और दैनिक जीवन से जुड़े अपशिष्ट में कमी आएगी। • **कार्बन पदचिह्न कम करना:** एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में रैखिक अर्थव्यवस्था की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन होगा। नई सामग्रियों के उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन होता है; चक्रीय अर्थव्यवस्थाएँ संसाधनों के पुन: उपयोग को अधिकतम

	करके नई सामग्रियों के उत्पादन की आवश्यकता को कम करती हैं, ● **उपयोग को टिकाऊ उत्पादों की ओर स्थानांतरित करना:** एक चक्रीय अर्थव्यवस्था उन गतिविधियों को बढ़ावा देती है जो ऊर्जा, श्रम और सामग्री के रूप में मूल्य को संरक्षित करती हैं। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादों, घटकों और सामग्रियों को जारी रखने के लिए स्थायित्व, पुन: उपयोग, पुन: निर्माण और पुनर्चक्रण के लिए डिजाइन करना है। **सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रयास** ● **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022:** केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2022 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन से अधिक तक बढ़ाने और 1 जुलाई, 2022 से कुछ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए यह नीति शुरू की है। ● **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022:** कोई भी इकाई पंजीकरण के बिना कोई व्यवसाय नहीं करेगी और पंजीकृत इकाई किसी भी अपंजीकृत विनिर्माता, प्रोड्यूसर रिसाइक्लर और रिफर्बिशर (refurbisher) के साथ सौदा नहीं करेगी। पंजीकरण के लिए, पंजीकरण शुल्क और वार्षिक रखरखाव शुल्क जेनेरेट, पुनर्चक्रित या संभाले गए ई-कचरे की क्षमता पर आधारित होगा। ● **फेम इंडिया योजना:** वित्तीय सहायता प्रदान करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत अप्रैल 2015 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना शुरू की गई थी। **चक्रीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ:** ● **उपभोक्ता विश्वास:** उद्योग और शॉपिंग मॉल एकल उपयोग के कारण अधिक प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं और उपभोक्ताओं के लिए पैकेजिंग और ले जाने और परिवहन के लिए उत्पादकों को बहुत आश्वस्त करते हैं। ● **रैखिक अर्थव्यवस्था का विघटन:** वर्तमान आर्थिक मॉडल ने रैखिक आर्थिक मॉडल के आधार पर उद्योगों और सेवाओं का उत्पादन किया है, इस प्रकार चक्रीय आर्थिक मॉडल में बदलाव से कुछ उत्पादों और सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अचानक व्यवधान उत्पन्न होता है। ● **अपशिष्ट उपचार के लिए बुनियादी ढांचे और प्रबंधन की कमी:** भारत अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित बुनियादी ढांचे और सेवाओं में काफी कम है। इस प्रकार यह चक्रीय आर्थिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करता है। ● **रीसाइक्लिंग तकनीक का अभाव:** ऐसी सामग्रियां हैं जिनके लिए उच्च रीसाइक्लिंग तकनीक की आवश्यकता होती है जैसे कि कपड़ा और पेय पदार्थ के डिब्बे जिनका उपयोग हम दूध या जूस रखने के लिए करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सामग्रियों को रीसायकल करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियां संख्या और गुणवत्ता दोनों में उद्योगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। ● **ख़राब आर्थिक मॉडल:** वर्तमान आर्थिक मॉडल जो चक्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव करता है, वर्तमान आर्थिक शक्ति की मांग और आपूर्ति से मैच नहीं करता है।
ग्रीन डिपॉजिट और विनियामक ढांचा	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए बैंकों के लिए एक नियामक ढांचा लेकर आया है। **ग्रीन डिपॉजिट के बारे में** ● ग्रीन डिपॉजिट उन निवेशकों के लिए एक सावधि जमा है जो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में अपने अधिशेष नकदी भंडार का निवेश करते हैं। ● बाजार में यह नई पेशकश ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) और टिकाऊ निवेश के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता को इंगित करती है। ● ग्रीन डिपॉजिट नियमित डिपॉजिट से बहुत अलग नहीं है जो बैंक अपने ग्राहकों से स्वीकार करते हैं। ● इसमें अंतर यह है कि बैंक पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के लिए ग्रीन डिपॉजिट के रूप में प्राप्त धन को आवंटित करने का वादा करते हैं। ● उदाहरण के लिए, एक बैंक यह वादा कर सकता है कि ग्रीन डिपाजिट का उपयोग जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। ● ग्रीन डिपॉजिट अन्य वित्तीय उत्पादों जैसे कि ग्रीन बांड की एक विस्तृत श्रृंखला में सिर्फ एक उत्पाद है जो निवेशकों

	को पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं में पैसा लगाने में मदद करता है। **नियामक ढांचा** • ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए आरबीआई की रूपरेखा कुछ शर्तें तय करती है जिन्हें बैंकों को ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए पूरा करना होता है। • बैंकों को अपने संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियमों या नीतियों का एक सेट लाना होगा, जिनका ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट निवेश करते समय पालन किया जाना चाहिए। • आरबीआई उन क्षेत्रों की एक सूची लेकर आया है जिन्हें टिकाऊ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार ग्रीन डिपॉजिट प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता और वनीकरण शामिल हैं। • बैंकों को जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, तंबाकू, जुआ, ताड़ के तेल और जल विद्युत उत्पादन से जुड़ी व्यावसायिक परियोजनाओं में ग्रीन डिपॉजिट निवेश करने से रोकता है। • नए नियमों का उद्देश्य ग्रीनवॉशिंग को रोकना है, जो किसी गतिविधि के सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में भ्रामक दावे करने को संदर्भित करता है। • यह रूपरेखा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और छोटे वित्त बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियों सहित) पर लागू होती है। कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दोनों ग्राहक ग्रीन डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं।
उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)	**संदर्भ:** केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन किया, जिससे भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च को उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लाया गया। **उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के बारे में** • वर्ष 2004 में, सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रियाओं और प्रदर्शन लेखापरीक्षा समिति ('CPPAPS') ने भारत में पर्सनल आउटवर्ड रेमिटेंस को उदार बनाने के लिए एक योजना की सिफारिश की। • उसी वर्ष, RBI ने उदारीकृत प्रेषण योजना ('LRS') की शुरुआत की, जिससे भारतीय निवासियों को सापेक्ष आसानी से व्यक्तिगत विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की अनुमति मिली। • LRS भारतीय निवासियों को चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष $250,000 अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति देता है। इस सीमा से अधिक के किसी भी प्रेषण के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। • केवल व्यक्तिगत भारतीय निवासियों को ही एलआरएस के तहत धन भेजने की अनुमति है। कॉरपोरेट्स, साझेदारी फर्म, HUF, ट्रस्ट आदि को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। हालाँकि, यह नाबालिगों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते कि फॉर्म A2 नाबालिग के सही अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। **एलआरएस के तहत अनुमत लेनदेन के प्रकार** **पूंजी खाता लेनदेन:** ○ विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलना; ○ विदेश में संपत्ति की खरीद ○ विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) दिशानिर्देश, 2022 के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (ओपीआई); ○ ऐसे गैर-निवासी भारतीयों (NRIs) को भारतीय रुपए में ऋण प्रदान करना जो कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किये गए रिश्तेदार हैं। **चालू खाता लेनदेन:** ○ किसी भी देश की निजी यात्रा (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ○ उपहार या दान ○ रोज़गार हेतु विदेश गमन

	○ उत्प्रवास ○ विदेश में करीबी रिश्तेदारों की देखभाल ○ व्यवसाय संबंधी यात्रा ○ विदेश में चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय ○ विदेश में पढाई के लिये • अन्य अनुमत लेनदेन में भारत सरकार की मौजूदा विदेश व्यापार नीति जैसे अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन कला की वस्तुओं की खरीद शामिल है। **एलआरएस के तहत निषिद्ध लेनदेन के प्रकार** • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत लेनदेन की अनुमति नहीं है। • विदेशी एक्सचेंजों या विदेशी प्रतिपक्ष को मार्जिन या मार्जिन कॉल के लिए प्रेषण। • किसी भी उद्देश्य के लिए प्रेषण विशेष रूप से अनुसूची I या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 की अनुसूची II के तहत प्रतिबंधित किसी भी वस्तु के तहत प्रतिबंधित है। • वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा गैर-सहकारी देशों और क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए या आरबीआई द्वारा अधिसूचित देशों को पूंजी खाता प्रेषण। • आरबीआई द्वारा बैंकों को अलग से दी गई सलाह के अनुसार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेषण, जिनकी पहचान आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में की गई है। **अवश्य पढ़ें:** विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 **स्रोत:** इकोनॉमिक टाइम्स (एलआरएस)
कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास निधि	**संदर्भ:** सेबी ने कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड की शुरुआत की है, जो बाजार में अव्यवस्था के दौरान निर्दिष्ट डेट फंडों के लिए एक बैकस्टॉप सुविधा है। **कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि के बारे में** • कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) का एक रूप है। • यह तनाव के समय या बाजार अव्यवस्था के मामले में निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद के लिए बैकस्टॉप सुविधा होगी। इस फंड का उद्देश्य कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में विश्वास पैदा करना और द्वितीयक बाजार में तरलता को बढ़ावा देना है। • CDMDF का प्रारंभिक कोष 3,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2,700 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड ऋण योजनाओं से आएंगे। कॉरपोरेट बॉन्ड बैकस्टॉप फंड में 10 गुना लाभ और सॉवरेन गारंटी होगी। • CDMDF के प्रारंभिक कोष के निर्माण के लिए निर्दिष्ट ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं और म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा भी योगदान दिया जायेगा। • म्यूचुअल फंड स्तर पर फंड में किए गए योगदान के अनुपात में फंड तक पहुंच निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड योजनाओं तक सीमित होगी। सेबी बोर्ड ने बाजार अव्यवस्था के दौरान CDMDF की संपत्ति खरीद को ट्रिगर करने के लिए ढांचे को मंजूरी दे दी है। • CDMDF, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली गारंटी के आधार पर, बाजार अव्यवस्था के दौरान कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद के लिए धन जुटा सकता है। • इस कदम से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार सहभागियों के बीच विश्वास पैदा होगा और आम तौर पर द्वितीयक बाजार में तरलता बढ़ेगी। **बैकस्टॉप सुविधा** • बैकस्टॉप सुविधा शेयरों के अनसब्सक्राइब्ड हिस्से के लिए प्रतिभूतियों की पेशकश में अंतिम उपाय समर्थन या सुरक्षा प्रदान करने का एक कार्य है। • जब कोई कंपनी किसी निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है, तो उसे अपने किसी भी सदस्यता रहित शेयर को खरीदने के लिए एक अंडरराइटर या एक निवेश बैंक जैसे प्रमुख शेयरधारक से बैकस्टॉप सुविधा मिल सकता

	है।
भारतीय लागत लेखाकार संस्थान	**संदर्भ:** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को संक्षिप्त नाम ICAI का उपयोग करने से रोक दिया है। **भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के बारे में** ● भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की स्थापना संसद के एक अधिनियम, लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 द्वारा की गई थी। ● संस्थान का गठन भारत में लागत लेखा के पेशे को बढ़ावा देने, विनियमित करने और विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था। ● यह सहकारिता मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। ● संस्थान इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, कन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का संस्थापक सदस्य है। **संस्थान के उद्देश्य** ● आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रबंधन नियंत्रण के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में लागत और प्रबंधन लेखा कार्य को विकसित करना। ● लागत और प्रबंधन लेखांकन में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने को बढ़ावा देना और विकसित करना। ● सदस्यों के पेशेवर निकाय को विकसित करना और उन्हें अपने कार्यों का निर्वहन करने तथा विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम करना। ● लागत और प्रबंधन लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रथाओं में नवीनतम विकास से अवगत रहने के लिए, उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियों की निरंतर जीवन शक्ति (sustained vitality) के लिए ऐसे परिवर्तनों को शामिल करना आवश्यक है। ● पेशे में प्रवेश करने वालों के लिए पर्यवेक्षण करना और पेशे द्वारा सर्वोत्तम नैतिक मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना। ● व्यावसायिक विकास के लिए विचारों के आदान-प्रदान के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में व्यावसायिक रुचि के विषयों पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना। ● विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनुसंधान और प्रकाशन गतिविधियों को कवर करना तथा भारत एवं विदेशों में औद्योगिक, शिक्षा और वाणिज्यिक इकाइयों के सदस्यों के बीच पेशेवर रुचि की जानकारी फैलाने के लिए पुस्तकों और बुकलेट्स (books and booklets) का प्रकाशन करना। **इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में** ● यह भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ● यह भारत में वित्तीय लेखा-परीक्षा एवं अकाउंटेंसी पेशे के लाइसेंस को विनियमित करने वाला निकाय है। ● यह भारत में लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (National Advisory Committee on Accounting Standards-NACAS) के माध्यम से कंपनियों के लेखांकन मानकों की अनुशंसा करता है। ● संस्थान ने शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन के रखरखाव, लेखा परीक्षा और नैतिक मानकों के क्षेत्र में एक प्रमुख लेखा निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त की है। ● भारत में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा भारत सरकार को लेखांकन मानकों और ऑडिटिंग मानकों की सिफारिश की जाती है, जो भारत में वित्तीय विवरणों के ऑडिट में पालन किए जाने वाले ऑडिटिंग मानकों (एसए) को निर्धारित करता है। ● **सदस्यता:** संस्थान के सदस्यों को चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के रूप में जाना जाता है। सदस्य बनने के लिए निर्धारित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना, तीन साल का व्यावहारिक प्रशिक्षण और अधिनियम तथा विनियमों के तहत अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है।

टैम्पोन टैक्स और पीरियड पावर्टी (Tampon Tax and Period Poverty)

संदर्भ: लाखों महिलाओं और लड़कियों को 'पीरियड पावर्टी' का सामना करना पड़ता है। पैड और टैम्पोन पर टैक्स से मामला और बिगड़ गया है। वर्तमान में, 48 देशों में ऐसे करों को समाप्त कर दिया गया है या कटौती की गई है, समर्थकों का कहना है कि स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच एक अधिकार का मुद्दा है।

टैम्पोन टैक्स के बारे में:

- टैम्पोन टैक्स या पीरियड टैक्स पीरियड्स के प्रोडक्ट्स पर लगाया जाने वाला वैट (VAT) या जीएसटी (GST) है ।
- जिसकी वजह से इनकी कीमतें बढ़ी है। जिसके कारण गरीब और पिछड़े तबके इसे खरीद नहीं पाते हैं।
- टैम्पोन टैक्स दुनिया भर में कई लड़कियों या महिलाओं को लिए पीरियड्स के प्रोडक्ट्स खरीदना महंगा बना देता है।
- जिसके कारण इन लड़कियों या महिलाओं के रोजमर्रा के काम या पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं।
- केन्या 2004 में टैम्पोन टैक्स ख़त्म करने वाला पहला देश था। इसको देखकर कम से कम 17 देशों ने इसका अनुसरण किया है।
- भारत सरकार ने 2018 में टैम्पोन टैक्स को खत्म करने का फैसला किया और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयास में सैनिटरी पैड पर लगाए गए 12 प्रतिशत टैक्स को रद्द करने का फैसला किया।
- टैम्पोन टैक्स को खत्म करने के लिए कानून पारित करने वाले नवीनतम देशों में मेक्सिको, ब्रिटेन और नामीबिया शामिल हैं।
- 2022 में, स्कॉटलैंड टैम्पोन और सैनिटरी पैड को निःशुल्क और सामुदायिक केंद्रों, युवा क्लबों और फार्मेसियों जैसे निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराने वाला पहला देश बन गया।

पीरियड पावर्टी

- पीरियड पावर्टी मासिक धर्म उत्पादों, शिक्षा, स्वच्छता सुविधाओं, अपशिष्ट प्रबंधन, या इनके संयोजन तक पहुंच की कमी है।
- यह दुनिया भर में अनुमानित 500 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भूगोल

उपच्छाया चंद्र ग्रहण (Penumbral Lunar Eclipse)	**संदर्भ:** हाल ही में उपछाया चंद्र ग्रहण देखा गया।
	उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में:-
	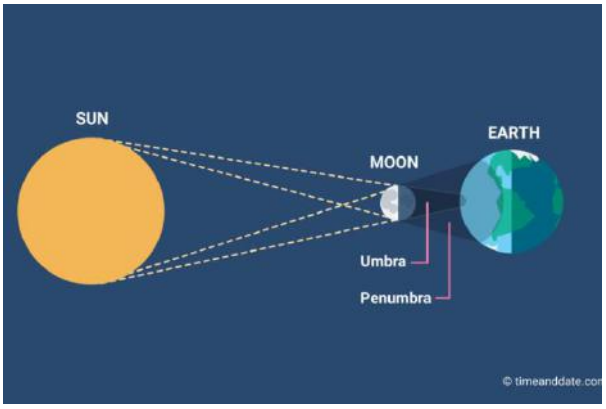
	
	IMAGE SOURCE: Eclipse Shadow: What Is the Penumbra? (timeanddate.com)
	• ग्रहण तब होता है जब कोई ग्रह या चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के रास्ते में आ जाता है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: ग्रहण)**
	• चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं।
	  ○ चंद्र ग्रहण में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है।
	  ○ इस प्रकार पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है।
	• चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है।
	  ○ लेकिन, चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाएँ अलग-अलग हैं।
	• इसीलिए चंद्र ग्रहण साल में 3-4 बार ही होता है।
	• चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं:-
	  ○ पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: बीवर ब्लड मून)**
	• उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सबसे बाहरी क्षेत्र से होकर गुजरता है जिसे उपच्छाया कहा जाता है।
	  ○ **पेनुम्ब्रा:** छाया का हल्का बाहरी भाग होता है।
	• चंद्रमा की उपछाया आंशिक सौर ग्रहण का कारण बनती है, और पृथ्वी की उपछाया उपछाया चंद्र ग्रहण में शामिल होती है।
	• इस घटना के दौरान, चंद्रमा सामान्य से थोड़ा अधिक गहरा दिखाई देता है।
	• चूंकि उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा उपछाया में होता है। इस प्रकार, यह बहुत अधिक दिखाई नहीं देता है।
	अवश्य पढ़ें: सुपरमून
	स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

गैलापागोस द्वीप समूह	**संदर्भ:** इक्वाडोर की सरकार ने हाल ही में गैलापागोस द्वीप समूह में संरक्षण पर दो दशकों तक सालाना लगभग 18 मिलियन डॉलर खर्च करने का वादा किया है। **गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में:-** • गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में द्वीपों की एक श्रृंखला है। (यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: गैलापागोस द्वीप समूह)

	• ये दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर देश का हिस्सा हैं।
	• 13 प्रमुख द्वीप और कुछ छोटे द्वीप हैं जो गैलापागोस द्वीपसमूह बनाते हैं।
	  ○ सबसे बड़े द्वीप को इसाबेला कहा जाता है।
	• बार-बार होने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों ने गैलापागोस द्वीप समूह के पहाड़ी परिदृश्य को ऊबड़-खाबड़ बना दिया।
	• गैलापागोस द्वीप भूमध्य रेखा के पास स्थित हैं, फिर भी उन्हें ठंडी समुद्री धाराएँ प्राप्त होती हैं। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: महासागरीय धाराएं)**
	  ○ इससे उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु का एक विचित्र मिश्रण बनता है।
	
	• ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन 1835 में एचएमएस बीगल (HMS Beagle) नामक जहाज पर गैलापागोस गए थे।
	  ○ द्वीप पर वन्य जीवन के उनके अवलोकन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के उनके सिद्धांत को प्रेरित किया।
	वन्यजीव:
	• इस द्वीप समूह पर मांटा रे (Manta Ray) और शार्क जैसे जलीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो व्यावसायिक मछली पकड़ने से खतरे में पड़ गई हैं।
	• साथ ही इन द्वीपों पर समुद्री इगुआन और वेब्ड अल्बाट्रोस जैसे कई जलीय वन्यजीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। (यूपीएससी सीएसई : वन्यजीव संरक्षण)
	• इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले विशाल क कछुए - पुराने स्पेनिश में 'गैलापागोस' - द्वीपों को नाम प्रदान करते हैं।
	• कई प्रजातियाँ स्थानिक हैं।
	  ○ **स्थानिक(Endemic):** वे दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं।
	  ○ इनमें विशाल गैलापागोस कछुआ (चेलोनोइडिस नाइग्रा), समुद्री इगुआना (एम्बलिरिन्चस क्रिस्टेटस), उड़ने में असमर्थ जलकाग (फैलाक्रोकोराज़ हैरिस) और गैलापागोस पेंगुइन शामिल हैं।
	  ○ गैलापागोस पेंगुइन, गैलापागोस फर सील और गैलापागोस समुद्री शेर गंभीर रूप से खतरे में हैं।
	  ○ गैलापागोस पेंगुइन (स्फेनिस्कस मेंडिकुलस) उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली एकमात्र पेंगुइन प्रजाति है।
	सुरक्षा की स्थिति:-
	• इक्वाडोर ने 1935 में गैलापागोस के एक हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य बनाया।
	  ○ यह अभयारण्य 1959 में गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान बन गया।
	• 1978 में, द्वीप यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल बन गया।
	अवश्य पढ़ें: द्वीप समूह
	स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

कोको द्वीप	**संदर्भ:** म्यांमार के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी की हालिया यात्रा के बाद भारतीय नौसेना के ड्रोन चीन से जुड़े कोको द्वीपों पर

	नजर रखे। **इसके बारे में:-** **IMAGE SOURCE:** Sri Lanka the heart of the Indian Ocean (heartofindianocean.blogspot.com) • कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित छोटे-छोटे द्वीपों का एक समूह है। • वे म्यांमार के यांगून क्षेत्र का हिस्सा हैं। • **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** ○ 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में दोषियों के लिए अंडमान में एक दंड कॉलोनी (a penal colony) की स्थापना की, और कोको द्वीप इसके लिए भोजन का स्रोत थे। ○ ब्रिटिश सरकार ने कथित तौर पर द्वीपों को बर्मा के जडवेट परिवार को पट्टे पर दे दिया था। ○ कोको द्वीपों का नियंत्रण पट्टे पर देने के परिणामस्वरूप द्वीपों का प्रशासन ख़राब हो गया, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण रंगून में लोअर बर्मा की सरकार को स्थानांतरित कर दिया। ○ वर्ष 1882 में, द्वीप आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश बर्मा का हिस्सा बन गए। **(यूपीएससी मुख्य परीक्षा: म्यांमार में राजनीतिक संकट)** ○ o वर्ष 1937 में बर्मा के ब्रिटिश भारत से अलग होने के बाद भी ये द्वीप एक स्वशासित क्राउन कॉलोनी बन गए। • ग्रेट कोको द्वीप, समूह में सबसे बड़ा, भारत के सामरिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 55 किमी दूर स्थित है। • कोको द्वीप भूवैज्ञानिक रूप से अराकान पर्वत या राखीन पर्वत का एक विस्तारित प्रभाग है। • ये लंबे समय तक बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में डूबे रहते हैं और फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में उभरते हैं। **(यूपीएससी मेन्स: प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत)** • ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समान स्थलाकृति का हिस्सा हैं। **MUST READ:** **Andaman and Nicobar Gets Large Area Certification** **SOURCE:** **INDIA TODAY**
गजपति सिंचाई परियोजना	**संदर्भ:** हाल ही में, ओडिशा सरकार ने गजपति सिंचाई परियोजना शुरू करने की घोषणा की। **इसके बारे में:-** • यह ओडिशा के गजपति जिले के छेलीगाड़ा में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। • यह बड़झोर नदी के पार किया जा रहा है। ○ **बड़झोर:** ओडिशा के गजपति जिले में छेलीगाड़ा गांव के पास वंशधारा नदी की एक सहायक नदी है। • इस परियोजना में एक केंद्रीय स्पिलवे के साथ बड़झोर नदी पर 250 मीटर लंबे और 30 मीटर ऊंचे बांध के निर्माण

	की परिकल्पना की गई है। • इस परियोजना के बाद, 5201 हेक्टेयर मीटर पानी को संरक्षित किया जा सकता है और गंजाम में 5760 हेक्टेयर भूमि और गजपति जिलों में 500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जा सकती है। • यह परियोजना ब्रह्मपुर शहर को पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगी। • इसके अतिरिक्त, गजपति जिले में तीन स्थानों शियाली लोटी, कनकटा और देकिली में एक मिनी जल विद्युत परियोजना के माध्यम से 36 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। **परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं:-** • 90 मीटर लंबा मध्य में स्थित ओजी-टाइप गेटेड स्पिलवे • छेलीगाड़ा जलाशय को घोडाहाड़ा नदी (Ghodahada river) से जोड़ने के लिए 1.13 किमी लंबी सुरंग **(यूपीएससी प्रारंभिक: नदियों को जोड़ना)** • गजपति जिले में सिंचाई के लिए बांध से सीधे नहर प्रणाली **(यूपीएससी मेन्स: विकेंद्रीकृत सिंचाई तकनीक)** • बेरहामपुर (जिला गंजम) में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाना **अवश्य पढ़ें:** कैबिनेट ने केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी **स्रोत:** टाइम्स ऑफ इंडिया
महादयी / मंडोवी नदी जल विवाद	**संदर्भ:** केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा महादयी की ऊपरी पहुंच से मालप्रभा बेसिन तक पानी को मोड़ने के लिए कर्नाटक की कलसा भंडुरा नहर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दिए जाने के बाद गोवावासी चिंतित हैं। 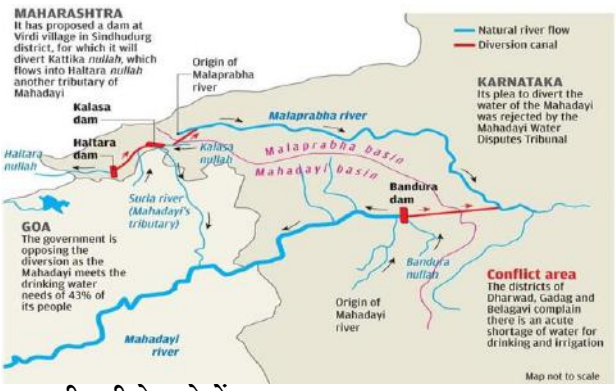 **महादयी नदी के बारे में:** • **उद्गम:** महादयी नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से पश्चिमी घाट में निकलती है। • यह नदी कर्नाटक में 35 किमी तक बहती है; पणजी (उत्तर-गोवा) में अरब सागर में शामिल होने से पहले गोवा में 82 कि.मी. तक बहती है • गोवा में इसे मंडोवीभी कहा जाता है, महादयी एक वर्षा आधारित नदी है जिसे कर्नाटक और गोवा के बीच उनकी पानी की जरूरतों के लिए साझा किया जाता है। • सलीम अली पक्षी अभयारण्य मंडोवी नदी में चोराओ द्वीप पर स्थित है। • **प्रमुख सहायक नदियाँ:** कलसा नाला, बंदुरी नाला, सुरला नाला, हलतार नाला, पोटी नाला, महादयी नाला, पन्शीर नाला, बैल नाला, अंधेर नाला। **कलसा-बंडूरी परियोजना और मंडोवी नदी विवाद क्या है?** • इस परियोजना में गोवा में स्थित महादयी नदी से पानी को कर्नाटक में मालप्रभा (कृष्णा नदी की एक सहायक नदी) बेसिन तक मोड़ने के लिए बांधों और एक नहर प्रणाली का निर्माण शामिल है। • परियोजना का मुख्य लक्ष्य कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट और गडग जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है। • यह परियोजना 1980 के दशक में कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इसे गोवा राज्य के विरोध का

	सामना करना पड़ा। • महादयी नदी पर यह परियोजना कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण रही है। • इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट और गडग जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है। • यह परियोजना 1980 के दशक में कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इसे गोवा राज्य के विरोध का सामना करना पड़ा। • महादयी नदी पर यह परियोजना कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण रही है। • वर्ष 2018 में, ट्रिब्यूनल ने महादयी नदी बेसिन से कर्नाटक को 13.42 TMC पानी, महाराष्ट्र को 1.33 TMC और गोवा को 24 TMC पानी दिया। लेकिन सभी पक्षों ने इस फैसले को चुनौती दी। **गोवा के लिए मंडोवी का महत्व:** • मंडोवी और ज़ुआरी (Zuari) गोवा राज्य की दो प्राथमिक नदियाँ हैं। • मंडोवी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 79% भाग गोवा राज्य में स्थित है। • मंडोवी कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन को बढ़ावा देती है, बाद वाले दो गोवा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। **स्रोत**: इंडियन एक्सप्रेस
किरू हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट	**संदर्भ:** केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जम्मू-कश्मीर में किरू पनबिजली परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में दिल्ली और राजस्थान में 12 स्थानों की तलाशी ली। **किरू हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में** • किरू जलविद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। • इस परियोजना की परिकल्पना रन ऑफ रिवर योजना के रूप में की गई है और इसे सिंधु जल संधि 1960 की आवश्यकताओं के अनुपालन में डिज़ाइन किया गया है। • यह परियोजना चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स द्वारा विकसित की जा रही है, जो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जम्मू और कश्मीर राज्य पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। • यह परियोजना भारत के उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी को दूर करेगी। • यह एक साथ क्षेत्र में परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क परिवहन नेटवर्क में सुधार करेगा। • बिजली संयंत्र ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लाएगा, जिससे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता कम हो जाएगी। • क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बढ़ने से लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में वृद्धि होगी, जो बदले में स्थानीय लोगों को रोजगार और राजस्व प्रदान करेगा। **अवश्य पढ़ें:** भारत में जलविद्युत परियोजनाएँ
बारालाचा ला दर्रा	**संदर्भ:** सीमा सड़क संगठन ने बारालाचा ला दर्रा में फंसे 70 से अधिक लोगों को बचाया। **इसके बारे में:**

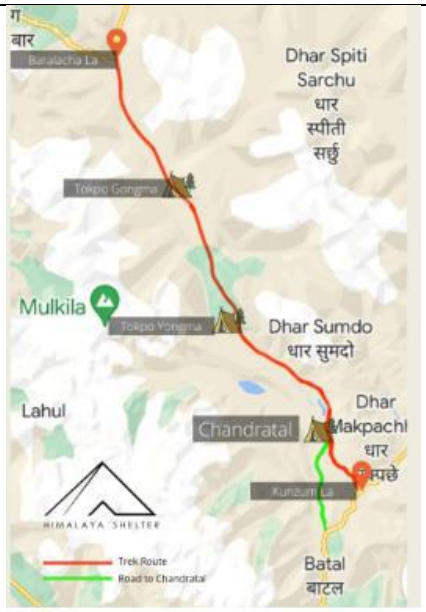

- बारा-लाचा ला, जिसे बारा-लाचा दर्रे के नाम से भी जाना जाता है, यह ज़ांस्कर रेंज में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है।
- यह भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित समुद्र तल से 4.890 मीटर (16,043 फीट) की ऊंचाई पर है।
- यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है, जो लेह-मनाली राजमार्ग पर स्थित है।
- चिनाब नदी के दो स्रोत, चंद्र और भागा, बारालाचा दर्रे के पास से निकलते हैं।
- भागा नदी सूर्यताल झील से निकलती है जो दर्रे से मनाली की ओर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- चंद्र इस क्षेत्र में ग्लेशियर से निकलती है। चिनाब का मूल नाम, "चंद्रभागा", नीचे की ओर चंद्रा और भागा नदियों के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है।

जरूर पढ़ें: अटल टनल (यूपीएससी प्रीलिम्स)

स्रोत: द प्रिंट

पर्यावरण

लाल पांडा

संदर्भ: हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि लुप्तप्राय लाल पांडा को बचाने के लिए सीमा पार संरक्षण आवश्यक है।

लाल पांडा के बारे में:-

- लाल पांडा आमतौर पर पूर्वी हिमालय के ठंडे, पहाड़ी मिश्रित पर्णपाती और शंकुधारी जंगलों में रहते हैं। **(यूपीएससी मेन्स: लाल पांडा का पुनः वन्यीकरण कार्यक्रम)**
- **वास स्थान (Habitat):** हिमालय के पूर्वी भाग में, इस प्रकार का उपयुक्त आवास केवल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में सिंगालीला तथा नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यानों में उपलब्ध है।
- वर्गीकरण वर्गीकरण के अनुसार रेड पांडा कार्निवोरा वर्ग से संबंधित है, लेकिन इन्होंने शाकाहारी भोजन अपना लिया है।
- दुनिया में केवल दो अलग-अलग पांडा प्रजातियाँ हैं, विशालकाय पांडा (Giant Pandas) और लाल पांडा। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: भारत में लाल पांडा प्रजाति)**

संरक्षण की स्थिति:-

- **लाल पांडा**
  - **IUCN लाल सूची:** लुप्तप्राय
  - **CITES:** परिशिष्ट I
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972:** अनुसूची I
- **विशालकाय पांडा**
  - **IUCN लाल सूची:** संवेदनशील
  - **CITES:** परिशिष्ट I
- भारत दोनों (उप) प्रजातियों का घर है:
  - **हिमालयी लाल पांडा (ऐलुरस फुलगेन्स)**
    - ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग-कलिम्पोंग जिलों, नेपाल, भूटान और दक्षिणी तिब्बत में मौजूद हैं।
  - **चीनी लाल पांडा (ऐलुरस स्टयानी)**
    - ये दक्षिणपूर्वी तिब्बत, उत्तरी म्यांमार और चीन के सिचुआन तथा युनान प्रांतों में फैले हैं।
    - चीनी लाल पांडा की जाइगोमैटिक (चीकबोन) चौड़ाई और खोपड़ी का आकार हिमालयी लाल पांडा से बड़ा होता है।
    - चाइनीज रेड पांडा के चेहरे का रंग हिमालयन रेड पांडा की तुलना में अधिक लाल होता है।
    - चीनी लाल पांडा में, पूंछ के छल्ले (tail rings) अधिक प्रमुख होते हैं, जिनमें काले छल्ले गहरे लाल होते हैं

	और हल्के छल्ले हिमालयी लाल पांडा की तुलना में सफेद होते हैं। **सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान:-** • सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में समुद्र तल से 7000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सिंगालीला रिज पर स्थित है। • यह संदकफू के लिए ट्रैकिंग मार्ग के लिए प्रसिद्ध है जो इसके माध्यम से चलता है। • दार्जिलिंग में सिंगालीला क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार ने 1882 में सिक्किम दरबार से खरीदा था। • इसे 1878 के भारतीय वन अधिनियम के तहत एक आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। • इसे 1992 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर पर्यटन के लिए भी खोल दिया गया था। **नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान:-** • यह पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में स्थित है। • यह संपूर्ण पूर्वी भारत में सबसे समृद्ध जैविक क्षेत्रों में से एक है। • नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान लाल पांडा का प्राकृतिक आवास है। • इसकी सीमा सिक्किम और भूटान से लगती है। • **वनस्पति:** रोडोडेंड्रोन, बांस, ओक, फ़र्न, साल आदि। • **जीव-जंतु:** भारतीय तेंदुआ, लाल पांडा, स्लॉथ भालू, एशियाई सुनहरी बिल्ली, गोरल, सांभर हिरण आदि। **अवश्य पढ़ें:** कंचनजंगा जीवमंडल **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व	**संदर्भ:** हाल ही में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया। **इसके बारे में:-** • सिमलीपाल का नाम 'सिमुल' (रेशम कपास) के पेड़ से लिया गया है। • इसे औपचारिक रूप से 1956 में एक बाघ अभयारण्य नामित किया गया था। **(यूपीएससी सीएसई: ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड|टाइगर स्टैंडर्ड्स (सीए|टीएस)** • इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: सेविंग द टाइगर)** • इसे जून 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। • यह 2009 से बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क का हिस्सा रहा है। • यह सिमलीपाल-कुलडीहा-हादगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे लोकप्रिय रूप से मयूरभंज हाथी रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 संरक्षित क्षेत्र यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदागढ़ वन्यजीव अभयारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।**(यूपीएससी मेन्स: सिमलीपाल नेशनल पार्क)** **जरूर पढ़ें:** सिमलीपाल के जंगल में लगी आग **स्रोत:** द हिंदू
पेंटेड स्टॉर्क	**संदर्भ:** हाल ही में, आंध्र प्रदेश के दो गांवों में करीब 4,000 पेंटेड स्टॉर्क घोंसले बनाते हुए पाए गए।

	पेंटेड स्टॉर्क के बारे में:- • पेंटेड स्टॉर्क (माइक्टेरिया ल्यूकोसेफला) सारस परिवार का एक बड़ा जलचर पक्षी है। • यह उष्णकटिबंधीय एशिया के मैदानी इलाकों, हिमालय के दक्षिण, भारतीय उपमहाद्वीप में और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए आर्द्रभूमि में पाया जाता है। • इस पक्षी का नाम पेंटेड स्टोर्क इसके वयस्क होने पर गुलाबी पंख हो जाने के कारण पडा है। • वे नदियों या झीलों के किनारे उथले पानी में झुंड में भोजन करते हैं। • वे प्रवासी नहीं हैं और मौसम में बदलाव या भोजन की उपलब्धता या प्रजनन के लिए अपनी सीमा के कुछ हिस्सों में केवल छोटी दूरी की आवाजाही करते हैं। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण)** **वितरण:-** • पेंटेड स्टॉर्क एशिया के मैदानी इलाकों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। • वे हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में पाए जाते हैं और पश्चिम में सिंधु नदी प्रणाली से घिरे हैं जहां वे दुर्लभ हैं और पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए हैं। • पेंटेड स्टॉर्क बहुत शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्रों, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अनुपस्थित हैं। • ये सभी मौसमों में मीठे पानी की आर्द्रभूमियों को पसंद करते हैं, लेकिन सिंचाई नहरों और फसल वाले खेतों का भी इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर मानसून के दौरान बाढ़ वाले चावल के खेतों का। (यूपीएससी प्रीलिम्स: वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन का COP14) **संरक्षण की स्थिति:-** • **IUCN लाल सूची:** संकट के करीब (Near Threatened-NT) • **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम:** अनुसूची-IV **अवश्य पढ़ें:** स्पॉट-बिल्ड पेलिकन **स्रोत:** द हिंदू

जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद	**संदर्भ:** हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद बर्लिन में आयोजित किया गया।
	इसके बारे में:-
	• जलवायु परिवर्तन पर 14वें पीटर्सबर्ग संवाद की मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने की।
	  ○ संयुक्त अरब अमीरात जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के 28वें सम्मेलन (COP28) की मेजबानी करेगा। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: UNFCCC – COP27)**
	• **उद्देश्य:** COP28 की दिशा में आगे की राह पर चर्चा करना।
	• इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी।
	• संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु "हमारी जीवाश्म ईंधन की आदत को छोड़ने और प्रत्येक क्षेत्र में डीकार्बोनाइज़ेशन (Break our fossil fuel addiction and drive decarbonization in every sector)" की आवश्यकता पर बल दिया।
	  ○ उन्होंने एक्सेलेरेशन एजेंडा के लिए अपने पहले के आह्वान को दोहराया, जहां "सभी देश अपनी नेट ज़ीरो समय सीमा पर तेजी से आगे बढ़ते हैं"।
	अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :-
	• **वैश्विक नवीकरणीय लक्ष्य:-**
	  ○ अगले जलवायु सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संभावित वैश्विक लक्ष्य पर चर्चा।
	  ○ G7 देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के वैश्विक लक्ष्य पर समझौते की संभावना। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: G7)**
	• **100 अरब डॉलर का जलवायु वित्त:-**
	  ○ विकसित देशों ने वर्ष 2009 में COP15 के दौरान वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान

	करने का वादा किया था और वे ऐसा करते आए हैं। ○ हालाँकि हाल ही के एक अनुमान के मुताबिक, अकेले उभरते बाज़ारों के लिये वर्ष 2030 तक सालाना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जलवायु वित्त की जरूरत है। ○ इसका मतलब यह है कि जलवायु वित्त की ज़रूरतें 100 अरब डॉलर के आंकड़े के लिए प्रतिबद्ध होने के 14 साल बाद विकसित देशों द्वारा जुटाई गई राशि से 10 गुना से अधिक हैं। ○ यह वित्तीय क्षतिपूर्ति की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। • **ग्लोबल स्टॉकटेक:** ○ वर्ष 2023 ग्लोबल स्टॉकटेक का वर्ष है। ○ ग्लोबल स्टॉकटेक: वैश्विक जलवायु कार्रवाई की आवधिक समीक्षा। ○ इसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या मौजूदा प्रयास हमें पेरिस समझौते में निर्धारित उद्देश्यों तक पहुँचने में सक्षम बनाएंगे। ○ वर्ष 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद यह पहला ग्लोबल स्टॉकटेक वर्ष है। ○ पिछले दो वर्षों से रिपोर्ट पर कार्य चल रहा है और इसके सितंबर 2023 में प्रकाशित होने का अनुमान है। **अवश्य पढ़ें:** भारत की दीर्घकालिक कम-उत्सर्जन विकास रणनीति **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
रिवर सिटीज एलायंस	**संदर्भ:** हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर रिवर सिटीज़ एलायंस (River Cities Alliance- RCA) लॉन्च किया है। **इसके बारे में:-** • रिवर सिटीज़ एलायंस (आरसीए) 2021 में लॉन्च किया गया था। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: रिवर सिटीज़ एलायंस)** • इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) के सहयोग से किया जाता है। • यह जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की एक संयुक्त पहल है। • **उद्देश्य:** सदस्य शहरों को शहरी नदियों के सतत् प्रबंधन हेतु महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये एक मंच प्रदान करना। • **विज़न:** नदी शहरों को जोड़ना और सतत नदी-केंद्रित विकास पर ध्यान केंद्रित करना। • **सदस्यता:** नवंबर 2021 में 30 सदस्य शहरों के साथ शुरुआत करते हुए, गठबंधन का विस्तार पूरे भारत में 109 नदी शहरों और डेनमार्क के एक अंतरराष्ट्रीय सदस्य शहर (डेनमार्क से आरहूस शहर) तक हो गया है। • यह शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन के लिए चर्चा और जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए भारत भर के नदी शहरों के लिए एक समर्पित मंच है। • इसमें गंगा बेसिन और गैर-गंगा बेसिन दोनों राज्यों के शहर शामिल हैं। **(यूपीएससी सीएसई: नदियों को जोड़ना)** • आरसीए ग्लोबल सेमिनार में विश्व बैंक, ADB, JICA और KfW जैसी फंडिंग एजेंसियों के साथ-साथ चुनिंदा देशों के दूतावासों/उच्चायोगों की भागीदारी देखी गई। • इसमें कहा गया कि आरसीए का विषय मार्च 2023 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में गूंजा था।' **DHARA 2023** • RCA - DHARA 2023 (शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई चलाना) की पहली वार्षिक बैठक 2023 में पुणे में आयोजित की गई थी। • इसमें शहरी नदी प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और उदाहरणों पर प्रमुख सत्र प्रस्तुत किए गए। • इसका उद्देश्य आरसीए के सदस्यों को अपने शहरों में शहरी नदी प्रबंधन के लिए प्रगतिशील कार्यों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था।

	• इस आयोजन ने शहरों में नदी प्रबंधन के लिए अनसुलझे मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिससे NIUA और उसके सहयोगियों को एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने में मदद मिली। • इस आयोजन ने तकनीकी समाधानों का एक संग्रह विकसित करने में भी मदद की, जिसे शहर अपनी स्थानीय नदियों के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए अपना सकते हैं। **अवश्य पढ़ें:** अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन (IDRA) **स्रोत:** पीआईबी
बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व	**संदर्भ:** हाल ही में, एनटीसीए ने राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को बीआरटी टाइगर रिजर्व के बाड़ों में अवैध रिसॉर्ट्स और होमस्टे के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखा था। **इसके बारे में:-** 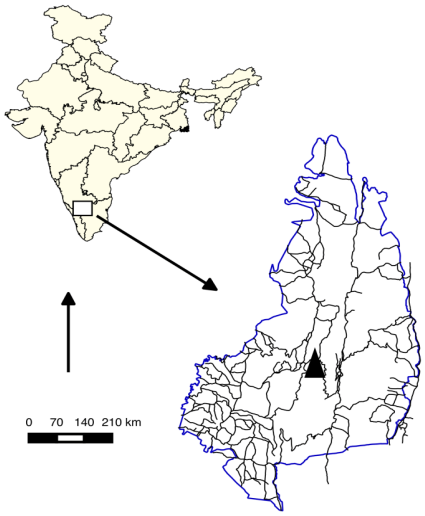 • इसका नाम 'बिलिगिरि' उस सफेद चट्टानी चट्टान से पड़ा है जिसके शीर्ष पर भगवान विष्णु का एक मंदिर है जिसे स्थानीय रूप से रंगास्वामी के नाम से जाना जाता है। • यह दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच पुल के मध्य में स्थित है। • इसे 1974 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में गठित किया गया था। **(यूपीएससी सीएसई: वन्यजीव संरक्षण)** • BRT वन्यजीव अभयारण्य को 2011 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड|टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS))** • **वनस्पति (Flora):-** ○ इनमें वन मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती प्रकार के होते हैं और अलग-अलग ऊंचाई पर पाए जाने वाले नम पर्णपाती, अर्ध-सदाबहार, सदाबहार और शोला पैच (shola patches) से घिरे होते हैं। • **जीव-जंतु:-** ○ यहां पाए जाने वाले जानवरों में बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, सांभर, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण, चार सींग वाला मृग, स्लॉथ भालू, जंगली सूअर, सामान्य लंगूर, बोनट मकाक, सरीसृपों की किस्में, पक्षी आदि शामिल हैं। **अवश्य पढ़ें:** काली टाइगर रिजर्व **स्रोत:** द हिंदू
वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच (UNFF)	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के लिए टिकाऊ वन प्रबंधन (एसएफएम) और ऊर्जा और एकीकृत नीतियों पर चर्चा संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट्स (यूएनएफएफ18) में केंद्र स्तर पर हुई। **इसके बारे में:** • संयुक्त राष्ट्र वन मंच (यूएनएफ) की स्थापना 2000 में रियो घोषणा, वन सिद्धांतों, एजेंडा 21 के अध्याय 11 और वनों पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीएफ) रिपोर्ट के आधार पर "सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को

	बढ़ावा देने और इस उद्देश्य के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने" के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी। • यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) द्वारा बनाई गई एक सहायक संस्था है। • संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य के साथ-साथ विशेष एजेंसियां फोरम की सार्वभौमिक सदस्यता बनाती हैं। • वनों पर सहयोगात्मक भागीदारी (सीपीएफ), 15 वन-संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संस्थानों और सम्मेलन सचिवालयों का एक समूह, यूएनएफएफ के कार्य का समर्थन करने के लिए अप्रैल 2001 में स्थापित किया गया था। • UNFF के कारण, 2007 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'सभी प्रकार के वनों पर गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन' को अपनाया, इसे 2015 में 'संयुक्त राष्ट्र वन साधन' में अद्यतन किया गया। **स्रोत:** DTE
हैमरहेड शार्क	**संदर्भ:** एक अध्ययन के अनुसार, हैमरहेड शार्क गहरी गोता लगाने के दौरान लगभग ठंडे-ठंडे पानी में जीवित रहने के लिए अपनी सांस रोक सकती हैं। इसके **बारे में:** • चपटा हथौड़ा- या फावड़े के आकार का सिर हैमरहेड शार्क की विशेषता है। • ये विशिष्ट सिर कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिसमें शार्क को 360-डिग्री दृष्टि के साथ-साथ बेहतर शिकार क्षमता प्रदान करना भी शामिल है। • **वितरण:** ○ ये तटों के पास और महाद्वीपीय शेल्फ के ऊपर उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण समुद्री जल में व्यापक रूप से वितरित होते हैं। ○ ये मौसमी रूप से प्रवास कर सकते हैं, सर्दियों के दौरान भूमध्य रेखा की ओर और गर्मियों के दौरान ध्रुव की ओर बढ़ सकते हैं। • **विशेषताएँ:** ○ इनके पास आरी के ब्लेड के किनारे की तरह बहुत प्रभावशाली त्रिकोणीय, दाँतेदार दांत होते हैं। ○ हैमरहेड के सिर पर विशेष सेंसर भी होते हैं जो इसे समुद्र में भोजन को स्कैन करने में मदद करते हैं। ○ कई मछलियों के विपरीत, हैमरहेड्स अंडे नहीं देती हैं। ये विविपेरस (viviparous) होते हैं यानी मादा बच्चों को जन्म देती है। **स्रोत:** द न्यूयॉर्क टाइम्स
मिल्कवीड तितलियाँ	**संदर्भ:** शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने दक्षिणी भारत में मिल्कवीड तितलियों के प्रवास पैटर्न पर प्रकाश डाला है। **मिल्कवीड तितलियों के बारे में:** • मिल्कवीड तितलियाँ ब्रश-फुटेड (brush-footed) तितली परिवार से संबंधित तितलियों का एक विविध समूह है। ○ ब्रश-फुटेड तितली: इनके अगले पैर आकार में छोटे होते हैं और बारीक बालों से ढके होते हैं, जिससे वे ब्रश जैसी दिखती हैं। इन विशेष पैरों का उपयोग पर्चिंग और चखने (perching and tasting) सहित विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। • **विविधता:** मिल्कवीड तितलियों की लगभग 300 प्रजातियाँ हैं, जिनमें प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मोनार्क तितली भी शामिल है। • **वितरण:** अधिकांश मिल्कवीड तितली प्रजातियाँ पुरानी दुनिया (यूरोप, अफ्रीका और एशिया) और नई दुनिया (उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन) दोनों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हालाँकि, कुछ प्रजातियाँ, जैसे कि मोनार्क तितली और रानी तितली, समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाई जा सकती हैं। • वयस्क मिल्कवीड तितलियाँ (Adult milkweed butterflies) आम तौर पर बड़ी होती हैं और जीवंत रंग प्रदर्शित करती हैं। इनके पंख आमतौर पर भूरे या नारंगी रंग और विशिष्ट काले और सफेद पैटर्न के साथ लंबे होते हैं। • **उड़ान और प्रवासन:** मिल्कवीड तितलियों का उड़ान पैटर्न धीमा होता है। कुछ प्रजातियाँ, जैसे कि मोनार्क तितली, अपने

	प्रजनन या शीतकाल के मैदान तक पहुँचने के लिए उल्लेखनीय लंबी दूरी का प्रवास करती हैं। मिल्कवीड तितलियाँ पूर्वी घाट और मैदानी इलाकों से पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट की ओर पलायन करती हैं। जब गर्मियों की बारिश से दक्षिणी भारत ठंडा हो जाता है, तो तितलियाँ पूर्व की ओर पूर्वी घाट और मैदानी इलाकों में चली जाती हैं। • **भोजन और रक्षा तंत्र:** मिल्कवीड तितलियाँ मुख्य रूप से मिल्कवीड पौधों पर भोजन करती हैं, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। मिल्कवीड पौधों में तीखा और दूधिया रस होता है जो मिल्कवीड तितलियों के लार्वा और उसके बाद के चरणों को शिकारियों के लिए अरुचिकर बना देता है। इन अरुचिकर विशेषताओं और उनके विशिष्ट रंग का संयोजन उनकी रक्षा के लिए एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। **स्रोत:** द हिंदू
इरेटमोप्टेरा मर्फी	**संदर्भ:** ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे (BAS) के एक अध्ययन के अनुसार, इरेटमोप्टेरा मर्फी (Eretmoptera murphyi) नामक छोटा फ्लाइटलेस मिज (छोटा बग या कीट) अंटार्कटिक के सिग्नी द्वीप की मृदा की संरचना को बदल रहा है। • ऐसे जानवर और पौधे जिन्हें अनजाने में या जानबूझकर प्राकृतिक सेटिंग में लाया जाता है जहां वे आम तौर पर मौजूद नहीं होते हैं और उनके नए पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उन्हें आक्रामक विदेशी प्रजातियां कहा जाता है। **इरेटमोप्टेरा मर्फी के बारे में** • यह दक्षिण जॉर्जिया, उप-अंटार्कटिक द्वीप का स्थानिक है। • यह मिज यानी काटने वाले छोटे कीड़े हैं। • इसे 1960 के दशक में वनस्पति प्रयोग के दौरान अनायास ही सिग्नी द्वीप में लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि लोग गलती से अपने जूतों में कीड़े ले आए होंगे। अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए यह बाद में वहां खूब फला-फूला। • इरेटमोप्टेरा मर्फी मृत कार्बनिक पदार्थों को खाता है, जिससे पौधों का तेज़ी से अपघटन एवं द्वीप के उन क्षेत्रों की तुलना में तीन से पाँच गुना अधिक मृदा नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है जहाँ मिज (छोटे काटने वाले कीड़े) अनुपस्थित हैं तथा केवल स्थानीय अकशेरूकीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। • नाइट्रेट का उच्च स्तर निम्न हो सकता है: ○ अन्य पौधों की प्रजातियों के लिए विषैला हो, ○ भूजल को प्रदूषित करना। ○ अत्यधिक शैवाल वृद्धि का कारण बनता है, जो ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। (यूट्रोफिकेशन) • **चिंताये:** ○ मिज आक्रमण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कठोर परिस्थितियाँ भी अब अंटार्कटिका को आक्रामक प्रजातियों के खतरे से नहीं बचा सकती हैं। ○ मिज जल में भी जीवित रह सकता है, जिससे चिंता पैदा होती है कि यह अन्य द्वीपों में फैल सकता है। ○ जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ मिज की गतिविधि, अन्य आक्रामक प्रजातियों के स्थापित होने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तेज करने के लिए स्थितियां भी बना सकती है। **स्रोत:** DTE
बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य	**संदर्भ:** असम सरकार ने बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य में सफलतापूर्वक निष्कासन अभियान चलाया। **बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में** • यह असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। • यह लाओखोवा-बुराचापोरी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व का एक अधिसूचित बफर है। • **वनस्पति:** इसमें गीले जलोढ़ घास के मैदान, तटवर्ती और अर्ध-सदाबहार जंगल के मोज़ेक शामिल हैं, जिन पर आर्द्रभूमि और नदी तंत्र भी पाए जाते हैं। • ब्रह्मपुत्र नदी अभयारण्य से होकर बहती है।

	• इसे बंगाल फ्लोरिकन (आईयूसीएन, गंभीर रूप से लुप्तप्राय) के लिए एक आदर्श आवास माना जाता है। • महत्वपूर्ण जीव: एक सींग वाला गैंडा, एशियाई जल भैंस और बंगाल टाइगर। **स्रोत:** द प्रिंट
गेको मिज़ोरमेन्सिस	**संदर्भ:** जीवविज्ञानियों की एक टीम ने गेको मिजोरमेंसिस को पैराशूट गेको (parachute gecko) की एक नई प्रजाति के रूप में दर्ज किया है, जिसका नाम शरीर और पूंछ के साथ त्वचा के फड़कने के कारण रखा गया है, जो इसे सरकने में सक्षम बनाती है। **गेको मिज़ोरामेंसिस के बारे में** • **वितरण:** यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। यह विशेष रूप से भारत के मिज़ोरम क्षेत्र के साथ-साथ बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। • गेक्को मिज़ोरमेन्सिस वृक्षवासी है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से पेड़ों पर रहता है। यह रात्रिचर है, रात के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होता है। यह अपने जालदार अंगों और चपटी पूँछ की सहायता से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक सरकने की क्षमता रखती है। हालाँकि, इसमें उड़ने की क्षमता नहीं है। **स्रोत:** द हिंदू
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान (Kishtwar National Park)	**संदर्भ:जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए देखे गए।** • जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क में मायावी हिम तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि वन्यजीव संरक्षण विभाग की एक शोध टीम ने कैमरा ट्रैप के माध्यम से की है। • केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक परियोजना के तहत सात हिम तेंदुए के अभयारण्यों में से एक के रूप में जाना जाने वाला, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क किश्तवाड़ शहर से लगभग 40 किमी उत्तर-पूर्व में डोडा जिले में स्थित है। • इस पार्क की स्थापना हिम तेंदुए की प्रजातियों, इसकी शिकार आबादी और इसके नाजुक पहाड़ी आवास को संरक्षित करने के लिए की गई थी। • 400 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले इस पार्क को 4 फरवरी 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। • उत्तर में रिन्नय नदी, दक्षिण में किबरनाला जलग्रहण क्षेत्र, पूर्व में महान हिमालय और पश्चिम में मारवा नदी के साथ, यह क्षेत्र महान हिमालय के मध्य क्रिस्टलीय बेल्ट में स्थित है। इस पार्क की ऊंचाई 1700 मीटर से 4800 मीटर तक है। **भारत में हिम तेंदुए** • हिम तेंदुए पांच हिमालयी राज्यों - जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 100,146 वर्ग किमी बर्फीले जंगलों में फैले हुए हैं। • हेमिस नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं जहां हिम तेंदुए पाए जाते हैं। • इसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि वैश्विक जनसंख्या में 10,000 से कम परिपक्व व्यक्तियों (mature individuals) की संख्या होने का अनुमान है और 2040 तक इसमें लगभग 10% की गिरावट आने की उम्मीद है। **स्रोत:** इंडियन एक्सप्रेस
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	संदर्भ: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) ने बैंकॉक, थाईलैंड में सीईओ राउंड टेबल में पारंपरिक स्रोतों से बिजली के कम उत्पादन और उपयोग के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया। **इसके बारे में**

लिमिटेड (इरेडा)	• भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) उद्यम है। • IREDA एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसे 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, जो ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में लगी हुई है। • IREDA पवन और सौर ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स द्वारा बांड जारी करने में सहायता के लिए एक क्रेडिट वृद्धि गारंटी योजना प्रदान करती है। • बिना शर्त और अपरिवर्तनीय आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करके, IREDA का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बांड की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाना है, जिससे उनकी विपणन क्षमता और तरलता में सुधार होगा, और परियोजना डेवलपर्स के लिए कम लागत और दीर्घकालिक वित्त पोषण आकर्षित होगा। क्रेडिट संवर्धित बांड द्वारा जुटाई गई राशि केवल मौजूदा ऋण को आंशिक या पूर्ण रूप से चुकाने के लिए उपयोग की जाएगी। • IREDA का दीर्घकालिक उद्देश्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बांड बाजार के विकास में योगदान देना है। **अवश्य पढ़ें:** एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल
कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य	**संदर्भ:** शेषचलम पहाड़ियों, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य में तीन दिवसीय जंबो जनगणना से क्षेत्र में जंबो (Jumbos) की बड़ी उपस्थिति का संकेत मिलता है। **कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य के बारे में** 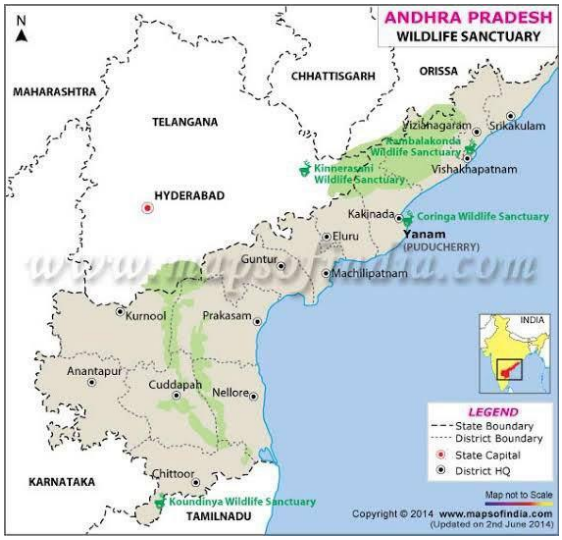 • भारत के आंध्रप्रदेश राज्य में स्थित कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य एक वन्यजीव अभयारण्यएवं एक हाथी अभयारण्य भी है। • यह एशियाई हाथियों की आबादी वाला आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है। हाथियों को पुनर्स्थापित करने के लिये इस अभयारण्य को वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण 200 वर्ष पहले इस स्थान से पलायन कर गए थे। • यह अभयारण्य परियोजना हाथी के अंतर्गत आता है - भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक देशव्यापी हाथी संरक्षण परियोजना है। • अभयारण्य के आसपास कई आकर्षण स्थल भी हैं। • **वनों के प्रकार:** दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसमें कांटे, झाड़ियाँ और घास के मैदान हैं। • **वनस्पतियां:** अल्बिज़िया अमारा, फ़िकस ग्लोमेरेटा, ज़िज़िफ़स ज़ाइलोकार्पस, जिम्नोस्पोरिया मोंटाना, आदि जैसे पौधे; इसे लुभावनी पुष्प विविधता के साथ एक हरा-भरा मनोरम स्थान बनाते है। • **जीव-जंतु:** गोंगिलस प्रेयरिंग मेंटिस, पेंटेड टिड्डा, प्लेन टाइगर बटरफ्लाई (Plain tiger butterfly), कॉमन ग्रास येलो बटरफ्लाई, आदि जैसे कीड़े; यहाँ हाथी भूमि बहुतायत में है। सरीसृप जैसे सामान्य कोबरा, रैट स्नेक, भारतीय रॉक अजगर, वन

	कैलोट्स, स्किंक्स, आदि; इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाते है। पार्टिज (Partidges), बटेर (quails), सारस, कॉटन टील आदि जैसे पक्षी; इस अभयारण्य को अपना अधिवास बनाते है। भारतीय हाथी, पैंथर, स्लॉथ भालू, जंगली सूअर, चौसिंघा, नीलगाय, लकड़बग्घा, सियार आदि जैसे स्तनधारियों द्वारा खाद्य-जाल में एक और संतुलन बनाए रखा जाता है। **अवश्य पढ़ें:** एशियाई हाथी **स्रोत:** द हिंदू
कम्बालकोंडा वन्य अभयारण्य (Kambalakonda Wildlife Sanctuary)	**संदर्भ:** कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य में एक छोटे सरीसृप बरकुडिया लिंबलेस स्किंक (बारकुडियामेलानॉस्टिका) को पहली बार देखे जाने की सूचना मिली है। **इसके बारे में:** • बरकुडिया लिंबलेस स्किंक एक छोटा सरीसृप है। • यह प्रकृति में जीवाश्म है, इसकी विशेषता इसका लम्बा शरीर, मैला भूरा रंग और अंगों की अनुपस्थिति है, जो इसके पर्यावरण के लिए एक अद्वितीय अनुकूलन है। • इस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। **कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य** • कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। • अभयारण्य का नाम स्थानीय पहाड़ी, कम्बलकोंडा के नाम पर रखा गया है, और यह भारतीय तेंदुए सहित कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। • कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य घास के मैदानों और झाड़ियों वाला एक शुष्क पर्णपाती जंगल है। • यह जंगल उत्तर-पूर्व में गंभीरम जलाशय (Gambheeram reservoir) और पश्चिम में सिम्हाचलम पहाड़ी श्रृंखला से घिरा हुआ है। ये अद्वितीय भौतिक विशेषताएं एक अद्वितीय माइक्रॉक्लाइमेट बनाती हैं जो पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व और विकास का समर्थन करती है। **स्रोत:** द हिंदू
विश्व मौसम विज्ञान संगठन	**संदर्भ:** वर्ष 2020 से हर साल, WMO अगले वर्ष के लिए पूर्वानुमान और अगले पांच वर्षों के लिए औसत दृष्टिकोण जारी करता रहा है। **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के बारे में** • यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। • इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, WMO मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। • **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड • WMO पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार, भूमि और महासागरों के साथ इसकी बातचीत, इसके द्वारा उत्पादित मौसम और जलवायु और जल संसाधनों के परिणामी वितरण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के लिए समर्पित है। • अपने तकनीकी आयोगों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ अपनी सहक्रियात्मक और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से, WMO मौसम, जलवायु और पानी के क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और एकीकरण करने तथा सेवाओं के विकास और वितरण के लिए पृथ्वी प्रणाली दृष्टिकोण की सुविधा और समन्वय करता है।

	● वर्तमान में इसकी सदस्यता 187 देशों की है। भारत 1949 से WMO का सदस्य है। **शासन संरचना:** ● इसका सर्वोच्च निकाय विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है, जिसमें सभी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सामान्य नीति निर्धारित करने और नियमों को अपनाने के लिए इसकी कम से कम हर चार साल में बैठक होती है। ● 36 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की वार्षिक बैठक होती है और नीति लागू की जाती है। ● सचिवालय, जिसका नेतृत्व कांग्रेस द्वारा चार साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त महासचिव करता है, संगठन के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। ● छह क्षेत्रीय संघ अपने क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करते हैं। ● यह आठ तकनीकी आयोग है। **प्रमुख कार्यक्रम** ● **वर्ल्ड वेदर वॉच:** मौसम की स्थिति की निगरानी के लिए भूमि और समुद्री स्थलों को जोड़ने वाले उपग्रहों और दूरसंचार नेटवर्क की एक प्रणाली है। ● **विश्व जलवायु कार्यक्रम:** यह ग्लोबल वार्मिंग सहित जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखता है। ● वायुमंडलीय अनुसंधान और पर्यावरण कार्यक्रम: यह ओजोन रिक्तीकरण जैसे मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया। **अवश्य पढ़ें:** IPCC जलवायु रिपोर्ट **स्रोत:** द हिंदू
जन जैव-विविधता रजिस्टर (PBR)	**संदर्भ:** पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (People's Biodiversity Register: PBR) को अपडेट करने और सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान गोवा में प्रारम्भ किया गया। **इसके बारे में:** ● पीबीआर उचित सत्यापन के साथ, स्थानीय ज्ञान के औपचारिक रखरखाव के लिए एक व्यवस्था के रूप में डिजाइन किया गया है। ● पीबीआर किसी गांव या पंचायत में प्राकृतिक संसाधनों, पौधों और जानवरों, उनके उपयोग और संरक्षण के बारे में लोगों के ज्ञान, धारणा और दृष्टिकोण का रिकॉर्ड है। ● पीबीआर पौधों और जानवरों की स्थिति और उनके संरक्षण तथा टिकाऊ उपयोग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का एक तंत्र भी है। ● यह तंत्र लोगों को विकास योजना में भाग लेने के लिए ला सकता है जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ और सामाजिक रूप से उचित होगा। ● जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार देशभर में स्थानीय निकायों द्वारा जैव-विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिये गठित जैव-विविधता प्रबंधन समितियाँ स्थानीय समुदायों के परामर्श से जन जैव-विविधता रजिस्टर तैयार करती हैं। ● बीएमसी का गठन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों द्वारा किया गया है और उन्हें स्थानीय समुदायों के परामर्श से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने का काम सौंपा गया है। **जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002** ● जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के तहत भारत के दायित्व के अनुसार जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 बनाया गया था। ● जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग करने और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत की संसद द्वारा जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया गया था। **अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:** ● अधिनियम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है:

- कोई भी व्यक्ति या संगठन (चाहे भारत में स्थित हो या नहीं) अपने अनुसंधान या व्यावसायिक उपयोग के लिए भारत में होने वाले किसी भी जैविक संसाधन को प्राप्त कर रहा हो।
- भारत में होने वाले या यहां से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन से संबंधित किसी भी शोध के परिणामों का हस्तांतरण।
- भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों पर किए गए शोध के आधार पर किसी भी आविष्कार पर बौद्धिक संपदा अधिकार का दावा।

- अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए तीन स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है:
  - राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)
  - राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs)
  - जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) (स्थानीय स्तर पर)
- अधिनियम इन प्राधिकरणों को देश के जैविक प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित किसी भी अनुसंधान परियोजना को पूरा करने के लिए विशेष धन और एक अलग बजट प्रदान करता है।
- यह जैविक संसाधनों के किसी भी उपयोग और उनके सतत उपयोग की निगरानी करेगा और वित्तीय निवेश तथा उनकी वापसी पर नियंत्रण रखेगा एवं उन पूंजी को सही मानकर उनका निपटान करेगा।
- **इस अधिनियम के तहत NBA के परामर्श से केंद्र सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी:**
  - संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में सूचित करेगी और उनके संग्रहण को प्रतिबंधित या विनियमित करने के साथ ही पुनर्वास को संरक्षित करेगी।
  - जैव संसाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिये कोष के रूप में संस्थानों को नामित करेगी।
  - अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय एवं गैर-जमानती रूप में निर्धारित करना।
- इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के आदेश अथवा लाभ के बँटवारे के निर्धारण से संबंधित किसी भी शिकायत को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) के पास ले जाया जाएगा।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए):

- यह एक वैधानिक निकाय है जो जैव संसाधनों के संरक्षण एवं धारणीय उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिये विनियामक एवं सलाहकार संबंधी कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है।
- एनबीए को एक सलाहकारी और नियामक भूमिका निभानी है।
- एनबीए जैव विविधता संरक्षण मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
- यह व्यावसायिक उपयोग के लिए भारत के जैव-संसाधनों तक पहुंच के लिए विदेशी नागरिकों और कंपनियों को मंजूरी देकर एक नियामक भूमिका निभाता है।
- यह भारतीयों और गैर-भारतीयों को जैव संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए मंजूरी भी देता है।

एनबीए की संरचना:

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, अर्थात्:
  - एक अध्यक्ष
  - तीन पदेन सदस्य, एक जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है और दो पर्यावरण और वन से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - केंद्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सात पदेन सदस्य।
  - आवश्यक मामलों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से पांच गैर-आधिकारिक सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।

अवश्य पढ़ें: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा

स्रोत: पीआईबी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

न्यूरोटॉक्सिन

संदर्भ: हाल ही में लुधियाना गैस रिसाव त्रासदी में मौत की वजह न्यूरोटॉक्सिन (नर्वस सिस्टम पर असर करने वाला जहर) हो सकता है।

न्यूरोटॉक्सिन के बारे में:-

- न्यूरोटॉक्सिन सिंथेटिक या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो केंद्रीय और/या परिधीय तंत्रिका तंत्र के कामकाज को प्रभावित करते हैं, नष्ट करते हैं या ख़राब करते हैं।
- न्यूरोटॉक्सिन न्यूरॉन्स, एक्सॉन और/या ग्लिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट केंद्र ((nuclei)) और/या एक्सोनल ट्रैक्ट का नुकसान हो सकता है या डिमाइलिनेशन हो सकता है।
- वे चयापचय (metabolic) असंतुलन का कारण भी बन सकते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सीएनएस) को द्वितीयक रूप से प्रभावित कर सकता है।
- कई न्यूरोटॉक्सिन बाहरी मूल के होते हैं, जो पर्यावरणीय स्रोतों से शरीर में प्रवेश करते हैं।
    - हालाँकि, अन्य अन्तःविकसित हैं, जो शरीर के भीतर उत्पादित और विद्यमान हैं।
    - अन्तःविकसित न्यूरोटॉक्सिन के उदाहरणों में न्यूरोट्रांसमीटर नाइट्रिक ऑक्साइड और ग्लूटामेट शामिल हैं। (यूपीएससी सीएसई: जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन (BTWC))

शरीर पर प्रभाव:-

- न्यूरोटॉक्सिन साँस लेना, अंतर्ग्रहण, त्वचा संपर्क या इंजेक्शन के माध्यम से अवशोषित होते हैं और न्यूरॉन्स में खराबी पैदा करके (malfunction) या इंटिरियरॉन संचार को बाधित करके तुरंत या लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव डाल सकते हैं।
- कुछ न्यूरोटॉक्सिन अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और उन्हें रासायनिक हथियारों के रूप में विकसित किया गया है।
- सरीन एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक है जिसे सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में वर्गीकृत किया गया है (यूपीएससी प्रीलिम्स: लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन)
- आर्सेनिक, क्लोरपाइरीफोस, डीडीटी (डाइक्लोरोडिफेनिलट्राइक्लोरोइथेन), एथिल अल्कोहल, फ्लोराइड, सीसा, पॉलीब्रोमिनेटेड डिफेनिल ईथर (पीबीडीई), पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी), मैंगनीज, मरकरी और टोल्यूनि जैसे न्यूरोटॉक्सिन न्यूरोबिहेवियरल विकारों के प्रसार में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- कुछ न्यूरोटॉक्सिन, जैसे लेड और एथिल अल्कोहल का प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित है।

	अवश्य पढ़ें: भारत में रासायनिक आपदाओं से सुरक्षा उपाय **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
ब्लूबगिंग	**संदर्भ:** हाल ही में, आंध्र प्रदेश पुलिस ने स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को "ब्लूबगिंग" से सावधान रहने के लिए आगाह किया। **ब्लूबगिंग के बारे में:-** 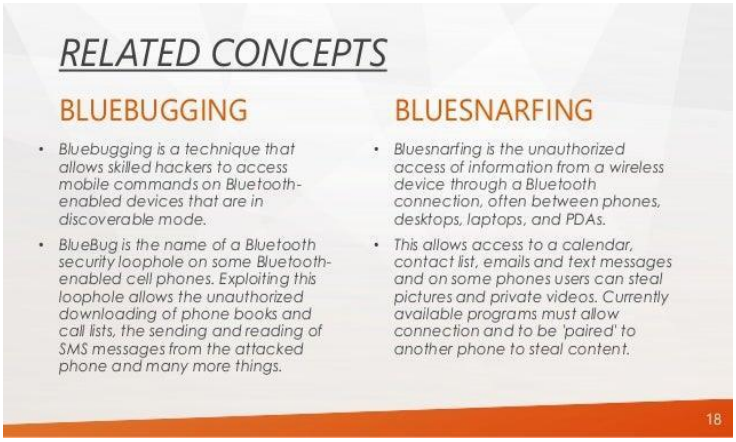 • यह हैकिंग का एक रूप है जो हैकर्स को खोजे जा सकने योग्य चालू ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से डिवाइस तक पहुँच प्रदान करता है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: ब्लूबगिंग को समझना)** • ब्लूबगिंग के माध्यम से हैकर डिवाइस के ऐप्स तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त कर सकता है और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। **(यूपीएससी मेन्स: भारत में साइबर हमले)** • ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) डिवाइस या ईयरबड सहित कोई भी ब्लूटूथ-सक्षम डिवाइस ब्लूबगिंग के लिये अतिसंवेदनशील है। **सुरक्षात्मक उपाय:** • उपयोग में नहीं होने पर ब्लूटूथ को बंद रखना और युग्मित ब्लूटूथ उपकरणों को डिस्कनेक्ट करना। • ब्लूटूथ डिवाइस को ब्लूटूथ सेटिंग्स से बंद करना। • डिवाइस के सिस्टम सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करण में अपडेट करना। • सार्वजनिक वाई-फाई का सीमित उपयोग करना। • अपनी डिवाइस में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के प्रति जागरूक रहना • डेटा उपयोग में अचानक हुई बढ़ोतरी की निगरानी करना। • आधुनिक एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। **अवश्य पढ़ें:** भारत का साइबर बुनियादी ढांचा **स्रोत:** द हिंदू
बेडाक्विलीन	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने जॉनसन एंड जॉनसन के तपेदिक दवा बेडाक्विलिन पर द्वितीयक पेटेंट के दावे को खारिज कर दिया। **बेडाक्विलिन के बारे में:-**

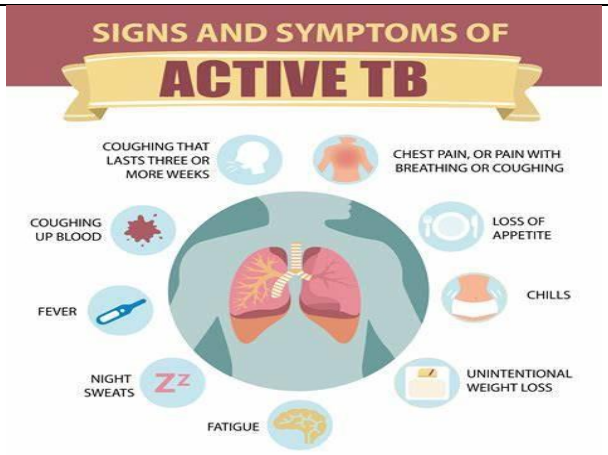

- बेडाक्विलिन एक मौखिक दवा (Oral Medication) है जिसका उपयोग सक्रिय तपेदिक के इलाज के लिए किया जाता है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: तपेदिक)**
- इसका उपयोग विशेष रूप से मल्टी-ड्रग-प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर-टीबी) के इलाज के लिए किया जाता है।
- इसमें क्रिया करने का एक अद्वितीय तंत्र होता है।
    - यह टीबी माइकोबैक्टीरिया के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (एटीपी) सिंथेज़ एंजाइम को लक्षित करता है।
- बेडाक्विलिन डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित टीबी उपचार के नियमों का केंद्र है **(यूपीएससी प्रीलिम्स: WHO और इसकी फंडिंग)**
    - जॉनसन एंड जॉनसन के पास इसका पेटेंट है।
- भारत अनुमानित एचआईवी से जुड़े टीबी मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (दक्षिण अफ्रीका के बाद) वाला देश भी है। **(यूपीएससी सीएसई: 2021 वैश्विक टीबी रिपोर्ट: WHO)**

अवश्य पढ़ें: भारत का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम

स्रोत: डाउन टू अर्थ

लिस्टेरिया कंटैमिनेशन

संदर्भ: हाल ही में, कैडबरी ने लिस्टेरिया कंटैमिनेशन के डर से यूके में चॉकलेट को वापस ले लिया।

लिस्टेरिया कंटैमिनेशन के बारे में:-

- लिस्टेरिया संक्रमण एक खाद्य जनित जीवाणु रोग है।

	• यह आमतौर पर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स बैक्टीरिया से संक्रमित खाद्य पदार्थों के कारण होता है।
	  ○ बैक्टीरिया पर्यावरण में मौजूद हैं।
	  ▪ यह पानी, मिट्टी और कुछ जानवरों की आंतों में पाया जाता है।
	  ▪ लिस्टेरिया बैक्टीरिया प्रशीतन (refrigeration) और यहां तक कि ठंड से भी बचे रह सकते हैं।
	लक्षण:-
	• बुखार
	• ठंड लगना
	• मांसपेशियों में दर्द
	• दस्त
	कारण:-
	• लिस्टेरिया बैक्टीरिया मिट्टी, पानी और जानवरों के मल में पाया जा सकता है।
	• निम्नलिखित चीजों को खाने से लोग संक्रमित हो सकते हैं:
	  ○ कच्ची सब्जियाँ जो मिट्टी से या उर्वरक के रूप में उपयोग की जाने वाली दूषित खाद से दूषित हो गई हैं।
	  ○ दूषित मांस
	  ○ बिना पाश्चुरीकृत दूध (Unpasteurized milk) या बिना पाश्चुरीकृत दूध से बने खाद्य पदार्थ
	  ○ कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे नरम चीज, हॉट डॉग (hot dogs) और डेली मीट (deli meats) जो प्रसंस्करण के बाद दूषित हो जाते हैं।
	  ○ अजन्मे शिशुओं को मां से लिस्टेरिया संक्रमण हो सकता है।
	खतरा-
	• गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को लिस्टेरिया संक्रमण होने का सबसे अधिक खतरा रहता है। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: इम्यून इम्प्रिंटिंग)**
	• 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग
	• जिन लोगों को एड्स है **(यूपीएससी प्रीलिम्स: विश्व एड्स दिवस)**
	• जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं
	• जिन लोगों को मधुमेह या किडनी की बीमारी है
	• जो लोग उच्च खुराक प्रेडनिसोन या कुछ रूमेटोइड गठिया दवाएं लेते हैं
	• जो लोग प्रत्यारोपित अंग की अस्वीकृति को रोकने के लिए दवाएँ लेते हैं
	निवारण:-
	• चीज़ों को साफ़ रखना
	• भोजन को संभालने या तैयार करने से पहले और बाद में हाथों को गर्म, साबुन वाले पानी से अच्छी तरह धोना।
	• खाना पकाने के बाद, बर्तन, कटिंग बोर्ड और भोजन तैयार करने वाली अन्य सतहों को धोने के लिए गर्म, साबुन वाले पानी का उपयोग करना।
	• कच्ची सब्जियों को साफ़ करना।
	• भोजन को अच्छी तरह पकाना।
	अवश्य पढ़ें: अमेरिकन फॉलब्रूड (American Foulbrood-AFB) रोग
	स्रोत: डाउन टू अर्थ

पीतज्वर या 'यलो फीवर' (Yellow	**संदर्भ:** हाल ही में, येलो फीवर के प्रसार को रोकने के लिए सूडान से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी (Quarantine facilities) स्थापित की जा रही हैं।

fever)	**इसके बारे में:-**
	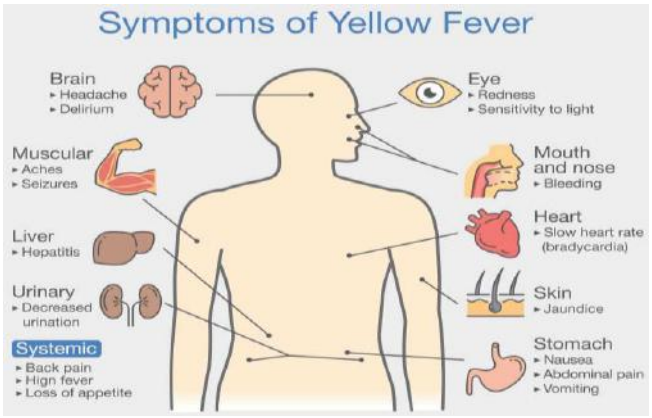
	
	• येलो फीवर वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला एक तीव्र हैमरैजिक रोग है, जो मनुष्यों में संक्रमित मच्छर के काटने से होता है।
	• रोग के नाम में येलो शब्द पीलिया की ओर संकेत करता है जो कुछ रोगियों को प्रभावित करता है।
	• यह ऐसा रोग है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है।
	• **लक्षण:** इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, पीलिया, मांसपेशियों में दर्द, मतली, उल्टी और थकान शामिल है।
	• वायरस से संक्रमित होने वाले रोगियों के एक छोटे से हिस्से में गंभीर लक्षण विकसित होते हैं और उनमें से लगभग आधे लोग 7 से 10 दिनों के भीतर मर जाते हैं।
	• **स्थानिक:** यह वायरस अफ्रीका और मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानिक है। **(यूपीएससी प्रारंभिक: अफ्रीकी स्वाइन बुखार)**
	• **रोकथाम:** येलो फीवर को एक अत्यंत प्रभावी टीके द्वारा रोका जाता है जो सुरक्षित और किफायती है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: डेंगू और डीएनए टीके)**
	• **येलो फीवर महामारी (EYE) 2017-2026 को खत्म करना:** इसे साझेदारों (गावी, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ) के गठबंधन द्वारा विकसित किया गया है जिसका लक्ष्य 2026 तक येलो फीवर की महामारी को समाप्त करना है।
	• आमतौर पर अफ्रीका और मध्य तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में पीत ज्वर-स्थानिक देशों में से किसी की यात्रा करने से पहले टीका लगवाना अनिवार्य है।
	• येलो फीवर के टीके को 17D के नाम से जाना जाता है। (यूपीएससी प्रीलिम्स: मलेरिया वैक्सीन)
	  ○ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार यह सुरक्षित और किफायती है।
	  ○ हालाँकि, टीकाकरण के बाद मल्टीसिस्टम ऑर्गन विफलता की रिपोर्टें हैं।
	अवश्य पढ़ें: लस्सा बुखार (Lassa Fever)
	स्रोत: द हिंदू

स्केरी बार्बी	**संदर्भ:** वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल का नाम "स्केरी बार्बी" रखा है, जो एक प्यारे बच्चों के चरित्र के नाम पर है। **इसके बारे में:-**

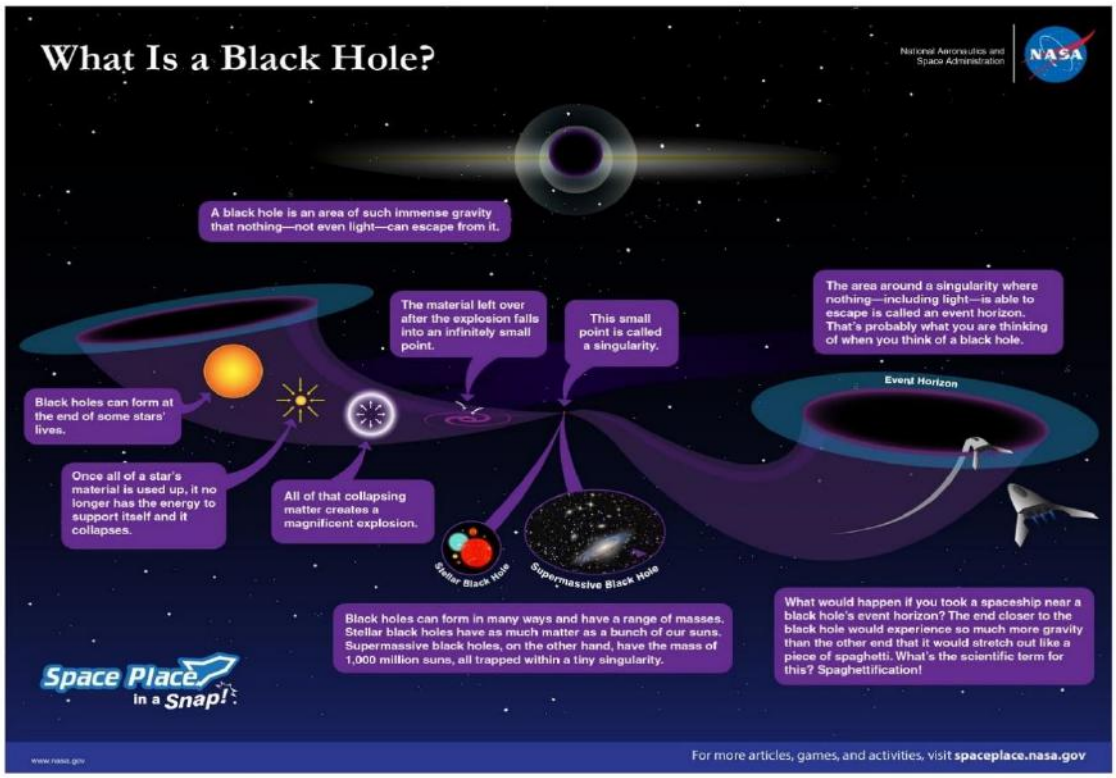

- "स्केरी बार्बी" एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो एक सुपरनोवा की चमक से हजार गुना चमक वाले तारे को निगल रहा है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: ब्लैक होल)**
- इसे पहली बार 2020 में देखा गया था और इसे 'ZTF20abrbeie' नाम दिया गया था।
- यह आकाश में सबसे चमकदार, ऊर्जावान, लंबे समय तक चलने वाली क्षणिक वस्तुओं में से एक है।
- यह बहुत दूर और आकाश के कुछ उपेक्षित कोने में है। **(यूपीएससी मेन्स: क्या बाह्य अंतरिक्ष को एक संसाधन माना जा सकता है)**
- शोधकर्ताओं ने इसे एक एआई इंजन का उपयोग करके खोजा, जिसे REFITT (रिकमेंडर इंजन फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसिएंट ट्रैकिंग) कहा जाता है।
- एआई इंजन दुनिया भर में कई अलग-अलग दूरबीनों से अवलोकन के माध्यम से दिखता है।

अवश्य पढ़ें: IN-SPACe

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

डोनानेमाब

संदर्भ: हाल ही में फार्मास्युटिकल कंपनी एली लिली ने अल्जाइमर बीमारी के इलाज के लिए डोनानेमाब दवा जारी की।

इसके बारे में:-

- डोनानेमाब अमेरिकी फार्मा कंपनी 'एली लिली' द्वारा अल्जाइमर के लिए विकसित की गई एक दवा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।
- डोनानेमाब अल्जाइमर का इलाज नहीं है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: अल्जाइमर)**
- डोनानेमाब का उद्देश्य इन प्लाक को हटाना और रोग की बढ़ने की गति को धीमा करना है।
- यह अल्जाइमर बीमारी के लक्षणों को 35 प्रतिशत तक धीमा कर सकती है।
- **तंत्र:** डोनानेमाब एंटीबॉडी-आधारित उपचारों से संबंधित है जो अमाइलॉइड-बीटा (Aβ) प्रोटीन को लक्षित करती है। ये प्रोटीन मस्तिष्क में अमाइलॉइड प्लाक (शरीर के किसी हिस्से अथवा अंग पर ऊतक का एक छोटा, असामान्य पैच) बना सकते हैं, जिससे संज्ञानात्मक अनुभूति में कमी आ सकती है।
- इसमें लेकानेमैब (lecanemab) की तरह ही एंटीबॉडी-आधारित थेरेपी है, लेकिन यह अमाइलॉइड-बीटा (Aβ) प्रोटीन के विभिन्न रूपों को लक्षित करता है।

	लेकानेमैब:- • यह अल्जाइमर के लिए विकसित की गई दवा है। • यह अमेरिका में स्वीकृत है। • यूरोप में FDA के समकक्ष, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (EMA) द्वारा इसका अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है। • लेकानेमैब परीक्षण के परिणामों से पता चला कि इसने संज्ञानात्मक गिरावट को 27% तक धीमा कर दिया। • डोनानेमैब और लेकानेमैब दोनों अंतःशिरा रूप से दिए जाते हैं। • डोनानेमाब और लेकानेमाब दोनों में साइड इफेक्ट का उच्च जोखिम होता है, जिसमें अमाइलॉइड-संबंधित इमेजिंग असामान्यताएँ (ARIA) जैसे कि मस्तिष्क में सूजन या रक्तस्राव शामिल हैं। **अल्जाइमर रोग के बारे में:-** • अल्ज़ाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (Neurological Disorder) है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। ○ इसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, स्वभाव में लगातार परिवर्तन होता रहता हैआदि। • प्रारंभ में ये लक्षण कम मात्रा में होते हैं लेकिन समय रहते इसका उपचार न कराया जाए तो यह गंभीर और असाध्य हो जाता है। • 55-60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में अल्ज़ाइमर, डिमेंशिया (dementia) का प्रमुख कारण है। **(यूपीएससी सीएसई: नशीली दवाओं की लत)** • **कारण:-** ○ ऐसा पाया गया है कि अल्ज़ाइमर रोग मस्तिष्क कोशिकाओं में और उसके आसपास प्रोटीन के असामान्य निर्माण के कारण होता है। ○ इसमें शामिल प्रोटीनों में से एक को एमिलॉयड (amyloid) कहा जाता है, जिसके जमा होने से मस्तिष्क की कोशिकाओं के चारों ओर छोटे टुकड़े बनते हैं तथा दूसरे प्रोटीन को ताऊ (tau) कहा जाता है। ▪ ताऊ (tau) एक प्रकार का प्रोटीन है जो अल्ज़ाइमर रोगियों के मस्तिष्क में उलझी संरचनाओं में होता है, मस्तिष्क में एक-दूसरे के साथ संवाद करने के लिये न्यूरॉन्स की क्षमता को बाधित करता है। • अल्ज़ाइमर लाइलाज बीमारी है, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं को उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है। • पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अल्ज़ाइमर रोग होने का खतरा अधिक होता है। **अवश्य पढ़ें:** मानसिक स्वास्थ्य **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START)	**संदर्भ:** हाल ही में, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START) नामक एक नए परिचयात्मक-स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। **इसके बारे में:-** • अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा शुरू किया गया है। **(यूपीएससी मेन्स: इसरो की उपलब्धियां)** • यह छात्रों के लिए एक प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। • **उद्देश्य:-** ○ छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना। ○ छात्रों को क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, अनुसंधान के अवसरों और कैरियर विकल्पों का अवलोकन

	कराना। • कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न डोमेन को कवर करेगा, जिसमें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, हेलियोफिजिक्स और सूर्य-पृथ्वी इंटरैक्शन, इंस्ट्रुमेंटेशन और एरोनॉमी शामिल हैं। • इसे भारतीय शिक्षा जगत और इसरो केंद्रों के वैज्ञानिकों द्वारा वितरित किया जाएगा। **(यूपीएससी मेन्स: उपग्रह प्रौद्योगिकी में इसरो द्वारा की गई नवीनतम प्रगति।)** • प्रशिक्षण अंतरिक्ष विज्ञान की अंतर-विषयक प्रकृति पर भी जोर देगा, जिससे छात्रों को यह जानकारी मिलेगी कि व्यक्तिगत योग्यताओं को क्षेत्र में कैसे लागू किया जा सकता है। • चर्चा में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण कार्यक्रम और अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर भी विषय शामिल होंगे। **अवश्य पढ़ें:** IN-SPACe **स्रोत:** द हिंदू
थैलेसीमिया	**संदर्भ** : हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। **इसके बारे में:-** • थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रभावित करता है। **(यूपीएससी मेन्स: थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता और इलाज)** ○ **आनुवंशिक विकार:** यह विकार विरासत में मिलता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। • यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसके कारण शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है। ○ **हीमोग्लोबिन:** यह लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम बनाता है। • थैलेसीमिया से एनीमिया हो सकता है, जिससे थकान का अनुभव होता है। • रक्त के असामान्य उत्पादन का मतलब है कि प्रभावित व्यक्तियों में पर्याप्त मात्रा में कार्यात्मक लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनती हैं। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: दुर्लभ बीमारियाँ)** **लक्षण:-** • थकान, कमजोरी, या सांस लेने में तकलीफ • त्वचा का रंग पीला पड़ना या पीला रूप (पीलिया) • चिड़चिड़ापन • चेहरे की हड्डियों की विकृति • धीमी वृद्धि • सूजा हुआ पेट • गहरे रंग का पेशाब आना **इलाज:-** • अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (BMT) ○ बीएमटी में, उच्च खुराक कीमोथेरेपी मज्जा में थैलेसीमिया-उत्पादक कोशिकाओं को समाप्त कर देती है और उन्हें अस्थि मज्जा या गर्भनाल रक्त से स्वस्थ दाता कोशिकाओं से बदल देती है। • पूरक और दवाएँ (Supplements and Medications) • ब्लड ट्रांसफ़्यूजन **अवश्य पढ़ें:** आनुवंशिक जानकारी और निजता का अधिकार **स्रोत:** टाइम्स ऑफ इंडिया
LIGO-इंडिया	**संदर्भ:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर LIGO-इंडिया की आधारशिला रखी।

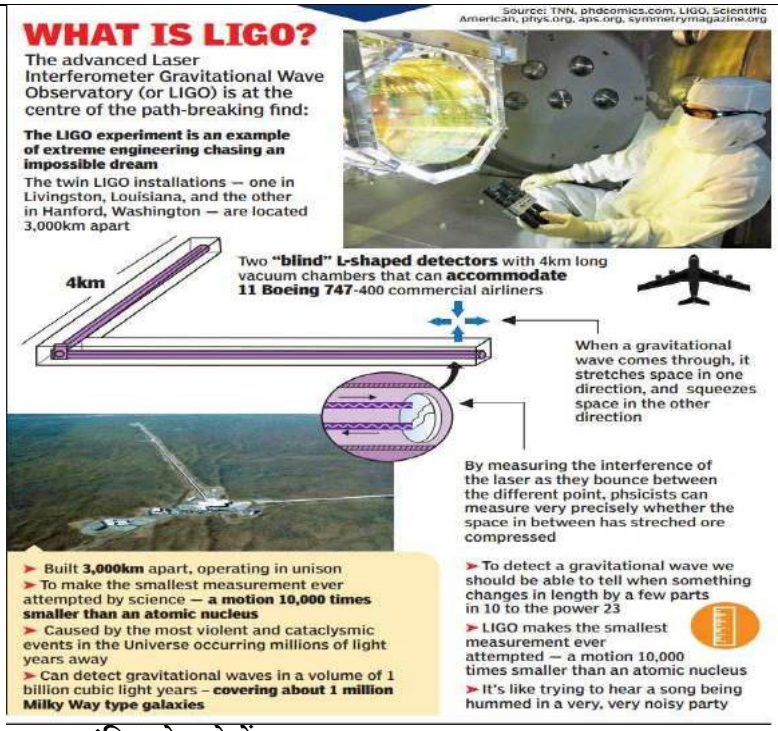

LIGO-इंडिया के बारे में:-

- LIGO दुनिया की सबसे शक्तिशाली वेधशाला है।
- यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति का पता लगाने और समझने के लिए प्रकाश और अंतरिक्ष के भौतिक गुणों का उपयोग करता है।
- LIGO का संक्षिप्त नाम "लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी" है।
- फिलहाल, अमेरिका में ऐसी दो वेधशालाएं हैं।
    - इन्हें 3000 किलोमीटर की दूरी से अलग किया जाता है जो इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं।
- प्रत्येक LIGO डिटेक्टर में दो भुजाएँ होती हैं।
- LIGO इंडिया गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं के इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पांचवां नोड होगा।
- यह मुंबई से लगभग 450 किमी पूर्व में महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में स्थित होगा।
- इसकी परिकल्पना भारतीय अनुसंधान संस्थानों के एक संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में LIGO प्रयोगशाला के साथ-साथ इसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच एक सहयोगी परियोजना के रूप में की गई है।
- इसका निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, अमेरिका के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के साथ किया जाएगा।
- LIGO-इंडिया LIGO प्रयोगशाला (अमेरिका में कैलटेक और MIT द्वारा संचालित) और भारत में तीन संस्थानों के बीच एक सहयोग है:-
    - इंदौर में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (RRCAT)
    - अहमदाबाद में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (IPR)
    - पुणे में इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA)
- जब LIGO-इंडिया पूरा हो जाएगा, तो यह गुरुत्वाकर्षण-तरंग वेधशालाओं के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो जाएगा जिसमें इटली में विर्गो और जापान में KAGRA शामिल हैं।

महत्व:-

- LIGO-इंडिया भारतीय युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान करियर बनाने के

	अवसर प्रदान करेगा। • इससे गुरुत्वाकर्षण-तरंग खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में प्रगति होगी। • इससे अत्याधुनिक तकनीकों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। **(UPSC MAINS: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण)** **गुरुत्वाकर्षण वेव्स :-** • गुरुत्वाकर्षण तरंग अंतरिक्ष में एक अदृश्य (फिर भी अविश्वसनीय रूप से तेज़) तरंग है। **(यूपीएससी मेन्स: गुरुत्वाकर्षण तरंगें)** • ये प्रकाश की गति (186,000 मील प्रति सेकंड) से यात्रा करती हैं। • ये तरंगें पास से गुजरते समय अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को निचोड़ती और खींचती हैं। • आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी कि जब दो पिंड जैसे ग्रह या तारे एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं तो इससे अंतरिक्ष में लहरें पैदा होती हैं। ○ ये लहरें तालाब में पत्थर उछालने पर उठने वाली लहरों की तरह फैल जाएंगी। ○ वैज्ञानिक अंतरिक्ष की इन तरंगों को गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहते हैं। **अवश्य पढ़ें:** India's Space Economy **स्रोत:** AIR
हाइड्रोजन सल्फ़ाइड	**संदर्भ:** हालिया गियासपुरा त्रासदी में जीवित बचे लोगों के पोस्टमार्टम और नैदानिक विशेषताओं से प्राप्त प्रारंभिक साक्ष्यों से पता चलता है कि इसका कारण हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। **हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में:-** • हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) एक रंगहीन, कैल्कोजेन हाइड्राइड गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी तीक्ष्ण गंध होती है। • यह एक अत्यधिक संक्षारक, ज्वलनशील एवं जहरीली गैस है तथा एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन भी है। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू)** • यह गैस वातावरण में दलदली क्षेत्रों, ज्वालामुखीय व प्राकृतिक गैसों, अपरिष्कृत पेट्रोलियम तथा कुएं या गर्म झरनों के कुछ स्रोतों में पाई जाती है। • यह गैस वायु की तुलना में सघन व भारी होती है, किन्तु जल में घुलनशील होती है। **हाइड्रोजन सल्फाइड से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरे:-** • मानव शरीर में इस गैस की उच्च सांद्रता से साँस लेने में कठिनाई, बेहोशी, अंग क्षति और मृत्यु भी हो सकती है। • बहुत अधिक H2S मस्तिष्क में श्वास केंद्र को रोक सकता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। • यह गैस आंख, नाक, गले और फेफड़ों में जलन पैदा कर सकती है। • क्योंकि यह हवा से भारी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड निचले और बंद स्थानों, जैसे मैनहोल (manholes), सीवर और भूमिगत टेलीफोन वॉल्ट में एकत्र हो सकता है। ○ इसकी उपस्थिति सीमित स्थानों में काम को संभावित रूप से बहुत खतरनाक बना देती है। **उपयोग:-** • हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। • इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक सल्फाइड बनाने के लिए भी किया जाता है। • इसका उपयोग कीटनाशक, चमड़ा, रंग और फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए किया जाता है। • इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए भारी जल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। • इसका उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है । • हाइड्रोजन सल्फाइड प्राकृतिक रूप से क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होता है।

	• यह प्राकृतिक रूप से सीवरों, खाद के गड्ढों, तेल और गैस के कुओं और ज्वालामुखियों में होता है। • इसे सीवेज कीचड़, तरल खाद, सल्फर हॉट स्प्रिंग्स और प्राकृतिक गैस से छोड़ा जा सकता है। **अवश्य पढ़ें:** भोपाल गैस त्रासदी **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
आईड्रोन पहल	**संदर्भ:** ICMR ने हाल ही में अपनी 'आईड्रोन पहल' के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैग की डिलीवरी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। **ड्रोन पहल के बारे में:-** • आईड्रोन पहल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की एक अभिनव पहल है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: आई-ड्रोन)** ○ इस 'आई-ड्रोन' का उपयोग पहली बार आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अगम्य क्षेत्रों में टीके पहुंचाने के लिए किया गया था। ○ अब इसका उपयोग ब्लड और ब्लड-संबंधित उत्पादों को वितरित करने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें कम तापमान पर रखा जाना चाहिए। • इस उद्घाटन ट्रायल उड़ान ने विजुअल लाइन ऑफ साइट (वीएलओएस) में सरकारी चिकित्सा विज्ञान संस्थान (जीआईएमएस) और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) से रक्त के पूरे नमूनों की 10 यूनिट्स का परिवहन किया। • इस पहल का उद्देश्य देश के भीतर दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा संसाधनों को पहुंचाना है। • iDrone परियोजना के तहत वितरित चिकित्सा आपूर्ति में COVID-19 टीके, नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले टीके, प्रसवपूर्व देखभाल दवाएं, मल्टी-विटामिन, सीरिंज और दस्ताने शामिल हैं। • ड्रोन डिलीवरी प्रणाली राज्यों के भीतर ड्रोन-आधारित लॉजिस्टिक परिवहन के लिए एंड-टू-एंड पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है। • यह दक्षिण एशिया में जमीन से द्वीपों तक ड्रोन के माध्यम से टीके पहुंचाने का पहला सफल उदाहरण था। • इस परियोजना के तहत सबसे लंबी ड्रोन उड़ान ने मोकोकचुंग से नागालैंड के तुएनसांग जिले (लगभग 40 किमी) तक 3525 यूनिट चिकित्सा आपूर्ति की। • **महत्व:** यह स्वास्थ्य सेवा उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सीमित है। **(यूपीएससी सीएसई: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 को अधिसूचित किया)** **उद्देश्य:-** • ड्रोन का उपयोग करके चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाना। • दुर्गम क्षेत्रों में टीके वितरित करना। • देश में दूर-दराज के स्थानों पर तापमान-संवेदनशील रक्त उत्पादों की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करना। **अवश्य पढ़ें:** ड्रोन पर आयात प्रतिबंध **स्रोत:** द हिंदू
फ़ोमाल्हौट	**संदर्भ:** हाल ही में, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने युवा तारे फ़ोमाल्हौट के चारों ओर एक जटिल और आकर्षक धूल भरी संरचना (एक नई पट्टी) का पता लगाया। **फ़ोमाल्हौट के बारे में:-**

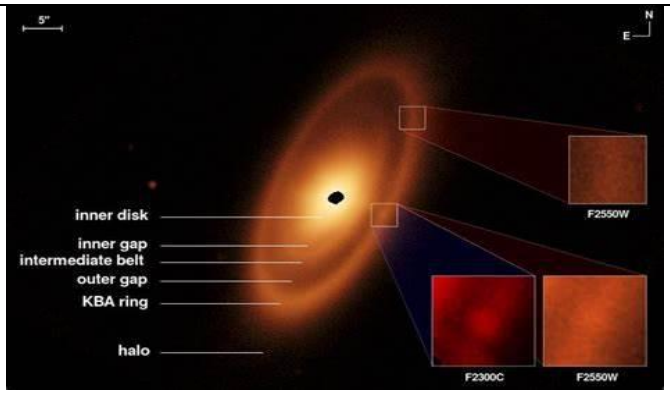

- फ़ोमाल्हौट पृथ्वी से 25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।
- यह 2004 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा दृश्य प्रकाश में खोजे गए पहले एक्सोप्लैनेट में से एक था। (यूपीएससी प्रारंभिक: एक्सोप्लैनेट)
    - **एक्सोप्लैनेट:** वे ग्रह हैं जो सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं।
- इसका उपयोग नेविगेशन में किया जाता है क्योंकि आकाश क्षेत्र में इसका विशिष्ट स्थान होता है अन्यथा चमकीले सितारों की कमी होती है।
- यह एक सफ़ेद तारा है; इसका स्पष्ट परिमाण 1.16 है।
- यह पृथ्वी से 25 प्रकाश वर्ष दूर दक्षिणी तारामंडल पिस्किस ऑस्ट्रिनस में स्थित है।
    - यह दक्षिणी तारामंडल पिस्किस ऑस्ट्रिनस (Piscis Austrinus) का सबसे चमकीला तारा है।
- यह मलबे की डिस्क से घिरा हुआ है जो क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं के समान बड़े पिंडों के बीच टकराव के अवशेष हैं।
- खगोलविदों ने प्रस्तावित किया कि फ़ोमाल्हौट बी एक वास्तविक ग्रह नहीं है, बल्कि दो धूमकेतु जैसे पिंडों के बीच टकराव के कारण फैला हुआ धूल का बादल है।

अवश्य पढ़ें: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप

स्रोत: TIMES NOW

थ्री पेरेंट बेबी

संदर्भ: हाल ही में, यूके में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) का उपयोग करके तीन माता-पिता वाले एक बच्चे का जन्म हुआ।

थ्री-पेरेंट बेबी के बारे में:-

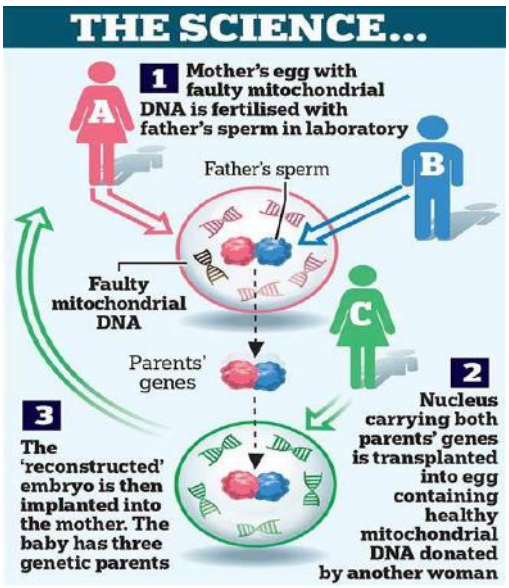

- यह मां के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होने वाली माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों को प्रसारित किए बिना बच्चा पैदा करने की एक तकनीक है।

	○ **माइटोकॉन्ड्रियल रोग:** दीर्घकालिक, आनुवांशिक, अक्सर विरासत में मिले विकार होते हैं जो तब होते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया शरीर को ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन करने में विफल रहता है। ○ **माइटोकॉन्ड्रिया:** सेलुलर संरचनाएं जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती हैं। • **वैज्ञानिक प्रक्रिया:-** ○ शोधकर्ता भावी मां के रोगग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्वस्थ, असंबंधित दाता: 'थर्ड -पैरेंट' के माइटोकॉन्ड्रिया से बदलकर ऐसा करते हैं। ○ यह प्रक्रिया एक मां के अंडे में थोड़ी मात्रा में दोषपूर्ण डीएनए को दूसरी महिला के स्वस्थ डीएनए से बदल देती है, ताकि बच्चे को दो माताओं और एक पिता से जीन विरासत में मिले। ○ इसका उद्देश्य कुछ आनुवांशिक बीमारियों को बच्चों में फैलने से रोकना है। उपयोग की जाने वाली तकनीक को 'मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर' कहा जाता है जिसमें मैटरनल डीएनए को दाता महिला के अंडे में डाला जाता है, जिसे बाद में पिता के शुक्राणु का उपयोग करके निषेचित किया जाता है। **(यूपीएससी सीएसई: टेस्ट ट्यूब बेबीज़)** • यह प्रक्रिया मौजूदा आईवीएफ उपचारों की सहायता के लिए विकसित की गई थी जिनमें माताओं को माइटोकॉन्ड्रियल रोग होते हैं। ○ **इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ):** एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसमें एक महिला से परिपक्व अंडे की कोशिकाओं को निकाला जाता है, और शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है, और सामान्य गर्भधारण के लिए उसी या किसी अन्य महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। **(यूपीएससी सीएसई: भारत में सरोगेसी)** • ब्रिटेन 2017 में तीन माता-पिता वाले बच्चे को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया। • o पहले 3-माता-पिता वाले बच्चे का जन्म हुआ। **अवश्य पढ़ें:** ART और सरोगेसी **स्रोत**: हिंदुस्तान टाइम्स
पौष्टिक-औषध (न्यूट्रास्यूटिकल्स)	**संदर्भ:** भारत में जल्द ही पोषक तत्वों की खुराक के लिए अनिवार्य मानक हो सकते हैं क्योंकि FSSAI इस बेंचमार्क पर काम कर रहा है। **न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में** • मामले से परिचित लोगों के अनुसार, भारत में जल्द ही पोषक तत्वों की खुराक के लिए अनिवार्य मानक हो सकते हैं क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण बेंचमार्क पर काम कर रहा है, भले ही देश में न्यूट्रास्यूटिकल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। • इस महीने की शुरुआत में, FSSAI की नवगठित वैज्ञानिक समिति की मार्च में स्थापना के बाद पहली बार स्थायी खाद्य मानकों, नए क्षेत्रों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैठक हुई। • न्यूट्रास्युटिकल एक व्यापक शब्द है जिसमें लाभकारी स्वास्थ्य प्रभाव वाले खाद्य पदार्थों से प्राप्त खाद्य पदार्थ/उत्पाद शामिल हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स इलाज के बजाय रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। • उत्पादों की इस श्रेणी ने अपने पोषण संबंधी लाभों के अलावा अपने सुरक्षित चिकित्सीय प्रभावों के कारण बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। इनका उपयोग मधुमेह, कैंसर, न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों आदि जैसी कई जीवन-घातक बीमारियों की शुरुआत को रोकने के लिए किया जा सकता है। • न्यूट्रास्यूटिकल्स में आहार अनुपूरक (प्रोटीन, विटामिन और खनिज), शुद्ध यौगिकों से लेकर प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त घटकों तक शामिल हैं। **संभावित लाभ** • पुरानी बीमारियों को रोकना: इनका उपयोग हृदय रोगों, कैंसर, मधुमेह, मोटापा और सूजन-आधारित बीमारियों को रोकने और इलाज के लिए किया जाता है। • **सूजन का उपचार करना :** इनका उपयोग सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। वे पुराने

	ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थमा, रूमेटाइड गठिया (rheumatoid arthritis), कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों जैसी पुरानी सूजन संबंधी बीमारियों में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकते हैं। • **चिंता से राहत पाना (Relieve Anxiety):** विटामिन डी जैसे कुछ विटामिन हमारे मूड को ठीक करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विटामिन बी निश्चित रूप से अवसाद और चिंता के बढ़ते जोखिम से भी जुड़ा है। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है जो ज्यादातर मांस में पाया जाता है। इसलिए शाकाहारी लोग इसके लिए सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं। • **समग्र स्वास्थ्य में सुधार:** न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। जिस प्रकार संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह हमारे शरीर में पोषण मूल्य जोड़ता है और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाने में मदद करता है। **अवश्य पढ़ें:** फूड फोर्टिफिकेशन **स्रोत:** द हिंदुस्तान टाइम्स
जेनरेटिव AI	**संदर्भ:** ChatGPT, स्टेबल डिफ्यूजन, मिडजर्नी और गूगल बार्ड तेजी से हमारे रहने, काम करने और एक-दूसरे के साथ जुड़ने के तरीके को बदल रहे हैं। वे प्लेटफ़ॉर्म स्वयं उपयोगकर्ताओं से जो सीखते हैं उसके आधार पर तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसमें शामिल लागतें बहुत अधिक हैं। **जेनरेटिव AI के बारे में** • जेनरेटिव AI एल्गोरिदम का एक सेट है, जो प्रशिक्षण डेटा से टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो जैसी प्रतीत होने वाली नई, यथार्थवादी सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम होता है। • जेनरेटिव AI मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कोड जैसे इनपुट ले सकते हैं और उल्लिखित किसी भी तरीके में नई सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह टेक्स्ट इनपुट को इमेज में, इमेज को संगीत में , या वीडियो को टेक्स्ट में बदल सकता है। • सबसे शक्तिशाली जेनरेटिव AI एल्गोरिदम फाउंडेशन मॉडल के शीर्ष पर बनाए गए हैं जिन्हें कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अंतर्निहित पैटर्न की पहचान करने के लिए स्व-पर्यवेक्षित तरीके से बड़ी मात्रा में बिना लेबल वाले डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। • उदाहरण के लिए, GPT-3.5, टेक्स्ट की बड़ी मात्रा पर प्रशिक्षित एक फाउंडेशन मॉडल, प्रश्नों के उत्तर देने, टेक्स्ट सारांश या भावना विश्लेषण हेतु व्यावहारिक किया जा सकता है। DALL-E, एक मल्टीमॉडल (टेक्स्ट-टू-इमेज) फाउंडेशन मॉडल, को इमेज बनाने, इमेज को उनके मूल आकार से बहार विस्तारित करने, या मौजूदा पेंटिंग्स की विविधताएं बनाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। • जेनरेटिव AI द्वारा समर्थित क्षमताओं को तीन श्रेणियों में संक्षेपित किया जा सकता है: **(ए) सामग्री और आईडिया उत्पन्न करना :** विभिन्न तरीकों से नए, अद्वितीय आउटपुट जैसे कि वीडियो विज्ञापन या यहां तक कि रोगाणुरोधी गुणों वाला एक नया प्रोटीन बनाना। **(बी) दक्षता में सुधार:** मैन्युअल या दोहराए जाने वाले कार्यों में तेजी लाना, जैसे ईमेल लिखना, कोडिंग करना, या बड़े दस्तावेज़ों का सारांश बनाना। **(सी) अनुभवों को वैयक्तिकृत करना:** विशिष्ट दर्शकों के अनुरूप सामग्री और जानकारी बनाना, जैसे वैयक्तिकृत ग्राहक अनुभवों के लिए चैटबॉट या किसी विशिष्ट ग्राहक के व्यवहार के पैटर्न के आधार पर लक्षित विज्ञापन। • आज, कुछ जेनरेटिव एआई मॉडल को इंटरनेट पर पाए जाने वाले बड़ी मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें कॉपीराइट सामग्री भी शामिल है। इस कारण से, जिम्मेदार एआई प्रथाएं एक संगठनात्मक अनिवार्यता बन गई हैं। • जेनरेटिव AI सिस्टम एआई क्षमताओं का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं जो पहले प्रत्येक संगठन के संदर्भ में काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति की कमी के कारण पहुंच योग्य नहीं थे। AI को व्यापक रूप से अपनाना एक अच्छी बात है, लेकिन यह तब समस्याग्रस्त हो सकता है जब संगठनों के पास उपयुक्त शासन संरचनाएं न हों। **अवश्य पढ़ें:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिम और ख़तरे

अंतर्राष्ट्रीय रोगज़नक़ निगरानी नेटवर्क (IPSN)	**संदर्भ:** WHO ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रोगज़नक़ निगरानी नेटवर्क (IPSN) लॉन्च किया। **इसके बारे में** ● अंतर्राष्ट्रीय रोगज़नक़ निगरानी नेटवर्क (IPSN) विश्व स्वास्थ्य संगठन और भागीदारों द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक नेटवर्क है। ● IPSN रोगज़नक़ जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से लोगों को संक्रामक रोग के खतरों से बचाने में मदद करता है। ● IPSN देशों और क्षेत्रों को जोड़ने, नमूने एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सिस्टम में सुधार करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्णय लेने के लिए इन डेटा का उपयोग करने और उस जानकारी को अधिक व्यापक रूप से साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ● नेटवर्क वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग पैदा करने वाले जीवों के आनुवंशिक कोड का विश्लेषण करने के लिए रोगजनक जीनोमिक्स पर निर्भर करता है ताकि यह समझा जा सके कि वे कितने संक्रामक और घातक हैं एवं वे कैसे फैलते हैं आईपीएसएन नए रोगजनकों का तेजी से पता लगाने, बीमारियों के प्रसार और विकास की बढ़ी हुई ट्रैकिंग को सक्षम बनाएगा । ● देशों, क्षेत्रों और व्यापक हितधारकों को जोड़कर, आईपीएसएन महत्वपूर्ण क्षमता बढ़ाने, क्षेत्रीय और देश-स्तरीय आवाज़ों को बढ़ाने और उनकी प्राथमिकताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। **स्रोत:** WHO
फोर्टिफाइड चावल	**संदर्भ:** सरकार 31 मार्च, 2024 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 800 मिलियन लाभार्थियों को 35 मिलियन टन (एमटी) आयरन फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करेगी। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के अंत तक एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और पीएम पोषण जैसे सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 83 मिलियन लाभार्थियों को 3.4 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। **परिचय :** ● भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) फोर्टिफिकेशन को "भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाना" के रूप में परिभाषित करता है ताकि भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार हो और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके।उदाहरण के लिए, खाने योग्य नमक में आयोडीन और आयरन मिलाना। ● फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान, अनाज में आवश्यक विटामिन और खनिज मिलाए जाते हैं, जिससे इसका पौष्टिक मूल्य बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन बी-1, विटामिन बी-6, विटामिन ई, नियासिन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन बी-12 और विटामिन ए जैसे तत्वों को संरक्षित कर ब्लेंडिंग प्रक्रिया के जरिए सूक्ष्म पोषक तत्वों को संवर्धित किया जाता है। **राइस फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता** ● भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है और हर तीसरा बच्चा अविकसित है। ● कुपोषण के कारण उत्पादकता में कमी, बीमारी और मृत्यु के मामले में भारत को सालाना कम से कम 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ● आयरन की कमी से देश को सकल घरेलू उत्पाद (2.03 लाख करोड़ रुपए) का लगभग 1 प्रतिशत का नुकसान होता है। ● भारत में पोषण संबंधी हस्तक्षेपों पर खर्च किया गया एक रुपया सार्वजनिक आर्थिक रिटर्न में 34.1-38.6 रुपये उत्पन्न कर सकता है। ● चावल भारत के प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है, जिसका सेवन लगभग दो-तिहाई आबादी करती है। भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.8 किलोग्राम प्रति माह है। इसलिए, चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध करना गरीबों के आहार को पूरक करने का एक विकल्प है। **स्रोत:** फाइनेंशियल एक्सप्रेस

लघु मॉड्यूलर रिएक्टर

संदर्भ: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में कहा था कि भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जैसी नई तकनीकों पर काम कर रहा है।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के बारे में;

- वे उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी प्रति यूनिट 300 मेगावाट (e) तक की बिजली क्षमता है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक तिहाई है।
- SMR, जो बड़ी मात्रा में निम्न-कार्बन बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, वे हैं:
  - **छोटा -** भौतिक रूप से पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के आकार का एक अंश।
  - **मॉड्यूलर -** सिस्टम और घटकों को फ़ैक्टरी-एसेंबल करना और स्थापना के लिए एक इकाई के रूप में एक स्थान पर ले जाना संभव बनाता है।
  - **रिएक्टर -** ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गर्मी उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन का उपयोग करना।

लाभ:

- SMR के कई लाभ स्वाभाविक रूप से उनके छोटे और मॉड्यूलर डिजाइन की प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
- उनके छोटे आकार को देखते हुए, एसएमआर को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है जो बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
- SMR लागत और निर्माण समय में बचत प्रदान करते हैं, और बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए उन्हें क्रमिक रूप से तैनात किया जा सकता है।
- ट्रांसमिशन और ग्रिड क्षमता की पर्याप्त लाइनों की कमी वाले क्षेत्रों में, SMR को मौजूदा ग्रिड में या दूरस्थ रूप से ऑफ-ग्रिड में स्थापित किया जा सकता है, इसके छोटे विद्युत उत्पादन के एक फ़ंक्शन के रूप में, उद्योग और आबादी के लिए कम कार्बन वाली बिजली प्रदान की जाती है।
- SMR ने ईंधन आवश्यकताओं को कम कर दिया है। SMR पर आधारित बिजली संयंत्रों को पारंपरिक संयंत्रों के लिए 1 से 2 साल की तुलना में हर 3 से 7 साल में कम बार ईंधन भरने की आवश्यकता होती है।
- कुछ SMR को ईंधन भरने के बिना 30 वर्षों तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अवश्य पढ़ें: भारत की परमाणु ऊर्जा

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर

संदर्भ: पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर आया एलियन सिग्नल।

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर (TGO) ने हाल ही में मंगल ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा से पृथ्वी को एक एन्कोडेड संदेश दिखाया।
- इस प्रोजेक्ट का मकसद ही ये है कि अगर किसी दूसरे ग्रह या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन (एलियन्स) से हमारी धरती पर कोई सिग्नल भेजा जाएगा तो उसे हम रिसीव कर पाएंगे या नहीं।

एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर के बारे में:

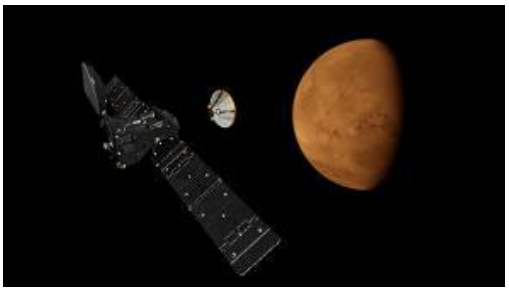

- TGO यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के बीच संयुक्त मिशनों की श्रृंखला में पहला है।
- **लक्ष्य:** मीथेन और अन्य वायुमंडलीय गैसों की बेहतर समझ हासिल करना जो मंगल ग्रह के वातावरण में कम सांद्रता (वायुमंडल के 1% से कम) में मौजूद हैं।
- हाइड्रोजन के प्रति ऑर्बिटर की संवेदनशीलता ने इसे मंगल की मिट्टी की उथली परतों के नीचे दबे पानी की खोज

करने की भी अनुमति दी है।

- यह भविष्य के मिशनों के लिए प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए भी है।
- इसे मार्च 2016 में लॉन्च किया गया था और 19 अक्टूबर, 2016 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के बाद परिचालन शुरू हुआ।
- **लैंडर:** TGO शिआपरेली लैंडर को अपने साथ मंगल ग्रह पर ले गया। हालांकि, लैंडिंग के दौरान यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
- **संचार:** अंतरिक्ष यान स्वयं 3.2 मीटर x 2 मीटर x 2 मीटर बॉक्स है, जिसमें एक एंटीना पृथ्वी के साथ संचार करने के लिए और दूसरा मंगल की सतह पर अंतरिक्ष यान के साथ संचार करने के लिए लगाया गया है।

अवश्य पढ़ें: मंगल ग्रह पर पानी

स्रोत: इंडिया टुडे

इतिहास, कला एवं संस्कृति

शिलाभट्टारिका	**संदर्भ:** पुणे स्थित भंडारकर संस्थान द्वारा डिकोड की गई तांबे की प्लेटों ने प्राचीन संस्कृत कवयित्री शिलाभट्टारिका पर प्रकाश डाला। **शिलाभट्टारिका के बारे में:-** • शिलाभट्टारिका 9वीं शताब्दी की एक संस्कृत कवयित्री थीं। • मैसूर विश्वविद्यालय के विद्वान एम. बी. पद्मा का अनुमान है कि वह 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की रानी शिला-महादेवी के समान हो सकती हैं। ○ उनका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि कवि के नाम के साथ जुड़ा प्रत्यय "भट्टारिका" उनकी उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाता है और रानी को विद्वानों को उदार अनुदान देने के लिए जाना जाता है। • 10वीं सदी के कवि राजशेखर ने पांचाली साहित्यिक शैली (चार प्रमुख समकालीन साहित्यिक शैलियों में से एक) के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में शिलाभट्टारिका की प्रशंसा की। ○ अन्य तीन वैदर्भी, गौड़ी और लाटी हैं। ○ राजशेखर के अनुसार, पांचाली शैली का पता शिलाभट्टारिका की रचनाओं और संभवतः 7वीं शताब्दी के कवि बाना की कुछ रचनाओं से लगाया जा सकता है। • शिलाभट्टारिका को कई शास्त्रीय संस्कृत साहित्यिक आलोचकों द्वारा उद्धृत किया गया है, और उनके छंद अधिकांश प्रमुख संस्कृत संकलनों में दिखाई देते हैं। (यूपीएससी सीएसई: केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक) • उन्हें "प्रेम, नैतिकता, राजनीति, प्रकृति, सौंदर्य, मौसम, कीड़े, क्रोध, आक्रोश, आचार संहिता और विभिन्न प्रकार की नायिकाओं की विशिष्ट विशेषताओं" जैसे विषयों पर कम से कम 46 कविताएँ लिखने के लिए जाना जाता है। • हालाँकि, उनकी अधिकांश रचनाएँ अब लुप्त हो गई हैं। ○ उनकी केवल छह छोटी कविताएँ प्रचलित हैं। • 14वीं शताब्दी का एक संकलन शारंगधारा-पद्धति (Sharngadhara-paddhati) निम्नलिखित शब्दों में उनकी और तीन अन्य महिला कवियों की प्रशंसा करता है। ○ शिलाभट्टारिका, विज्जा, मारुला और मोरिका महान काव्य प्रतिभा और विद्वता वाली प्रसिद्ध कवयितियाँ हैं। (यूपीएससी सीएसई: भारत के भक्ति साहित्य में महिला कवियों के योगदान की जांच।) **अवश्य पढ़ें:** संत तुकाराम मंदिर **स्रोत:** द हिंदू
मृदंग	**संदर्भ:** हाल ही में मृदंगम कलाकार कराईकुडी मणि का निधन हो गया। 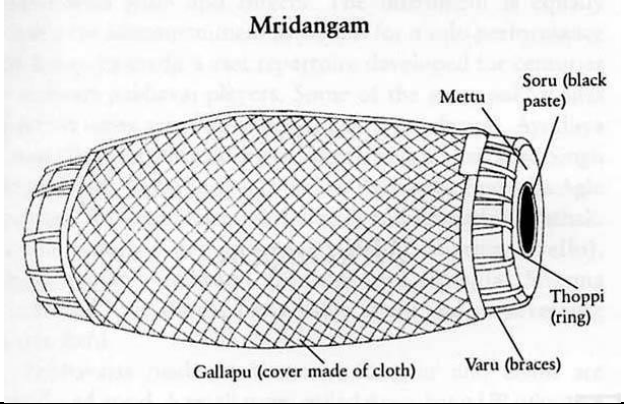

	मृदंग के बारे में:- • यह दक्षिण भारतीय संगीत का शास्त्रीय ढोल है। • इसे मेडल या मद्दलम के नाम से भी जाना जाता है। • यह सबसे पुराने भारतीय ताल वाद्ययंत्रों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 2,000 साल पहले हुई थी। • यह पारंपरिक वाद्ययंत्र दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है। • मृदंगम चमड़े और लकड़ी से बना एक ताल वाद्य यंत्र है। • जैकवुड या रेडवुड मृदंगम निर्माताओं की आदर्श पसंद है, लेकिन मोरोगोसा पेड़ की लकड़ी या नारियल के पेड़ और ताड़ के पेड़ की लकड़ी का भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। • यह कर्नाटक संगीत का एक लोकप्रिय दो चेहरे वाला ड्रम है और इसका उपयोग दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगत के रूप में किया जाता है। (यूपीएससी मेन्स: भारतीय संगीत के सर्वाधिक आवर्ती थीम्स) • इसके समान **पखावज वाद्ययंत्र** उत्तरी भारत के साथ-साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुस्तानी परंपरा में बजाया जाता है। (यूपीएससी मुख्य परीक्षा: हिंदुस्तानी संगीत में घराना परंपरा) **अवश्य पढ़ें:** थिरुकोकर्णम रंगनायकी अम्मल (Thirukokarnam Ranganayaki Ammal) **स्रोत:** द हिंदू
गोपाल कृष्ण गोखले	**संदर्भ:** हाल ही में प्रधानमंत्री ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। **परिचय:** 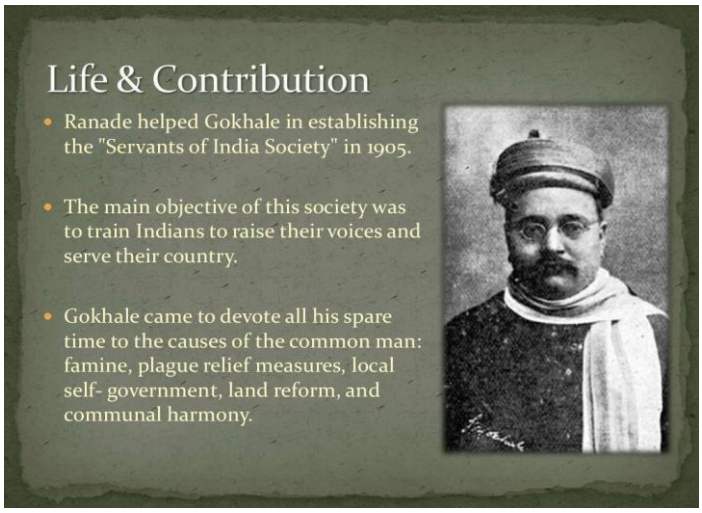 • गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद् थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। • **विचारधारा:-** ○ गोपाल कृष्ण गोखले ने तीन दशकों तक भारत में सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की दिशा में काम किया और प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज कर दिया। • वह 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। • वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) के नरम दल से जुड़े थे। **(UPSC MAINS: नरमपंथियों की प्रमुख उपलब्धियाँ)** ○ बनारस अधिवेशन 1905 में वह INC के अध्यक्ष बने। • **संबंधित सोसाइटी तथा अन्य कार्य:** ○ भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिये वर्ष 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (Servants of India Society) की स्थापना की।

	○ वह महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई 'सार्वजनिक सभा पत्रिका' से भी जुड़े थे। ○ वर्ष 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। ○ उन्होंने अंग्रेज़ी साप्ताहिक समाचार पत्र 'द हितवाद' की शुरुआत की। • **औपनिवेशिक विधानमंडलों में भूमिका:-** ○ वर्ष 1899 से 1902 के बीच वह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और वर्ष 1902 से 1915 तक उन्होंने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया। • एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी ने उन्हें राजनीतिक गुरु माना था।(यूपीएससी मेन्स: असहयोग आंदोलन) ○ महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित एक पुस्तक 'धर्मात्मा गोखले' लिखी। **अवश्य पढ़ें:** महात्मा गांधी **स्रोत:** पीआईबी
संत समर्थ रामदास	**संदर्भ:** हाल ही में, संत समर्थ रामदास के मराठी आइकन छत्रपति शिवाजी महाराज से कथित संबंध को लेकर विवाद खड़ा हो गया। **परिचय:** • संत समर्थ रामदास एक भारतीय मराठी हिंदू संत, कवि, दार्शनिक, लेखक और आध्यात्मिक गुरु थे। **(यूपीएससी सीएसई: स्वामी विवेकानन्द)** • वह हिंदू देवता राम और हनुमान के भक्त थे। • वे पहले नारायण के नाम से प्रसिद्ध थे। • उनका जन्म वर्तमान महाराष्ट्र के जालना जिले के जाम्ब गाँव में हुआ था। • उनका जन्म 1608 में राम नवमी के अवसर पर हुआ था। **कार्य :-** • उनकी साहित्यिक कृतियों में करुणाष्टक, दासबोध, युद्धकांड, सुंदरकांड, पूर्वारंभ, अंतर्भाव, चतुर्थमान, आत्माराम, पंचमान, पंचसमासि, मनपंचक, जनस्वभावगोसावी आदि शामिल हैं। • रामदास को शांतिवादी नहीं माना जाता है। • उनके लेखन में आक्रामक मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने वाली सशक्त अभिव्यक्तियाँ शामिल हैं। **उनकी विरासत (His Legacy):-** • रामदास ने 19वीं और 20वीं सदी के कई भारतीय विचारकों, इतिहासकारों और समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, राजवाड़े, केशव हेडगेवार और रामचन्द्र रानाडे शामिल हैं। **(UPSC MAINS: स्वामी विवेकानन्द का योगदान)** • आध्यात्मिक गुरु नाना धर्माधिकारी ने अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से रामदास के विचारों को बढ़ावा दिया। **अवश्य पढ़ें:** दयानंद सरस्वती **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
रवीन्द्रनाथ टैगोर	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया कि रवींद्रनाथ टैगोर ने दो देशों के "राष्ट्रीय गीतों" की रचना की थी। **रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में:-**

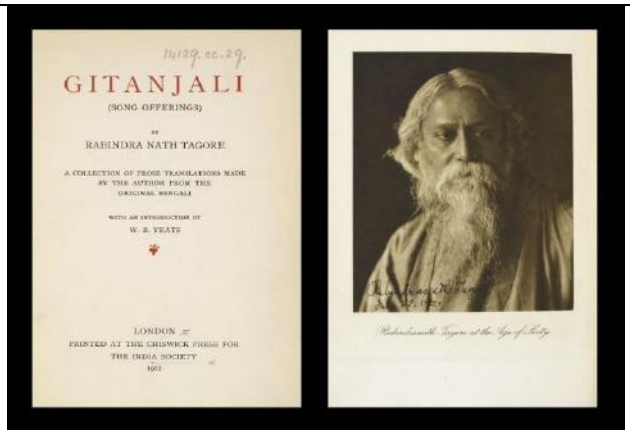

- रवीन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, उपन्यासकार, कलाकार, चित्रकार और शैक्षिक सिद्धांतकार थे।
- उन्हें भारत के राष्ट्रगान की रचना करने का श्रेय दिया जाता है।
- रबींद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्यरचना गीतांजलि के लिये वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
    - यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर-यूरोपीय थे।
- वर्ष 1915 में उन्हें ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम (British King George V) द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया।
    - वर्ष 1919 में जलियाँवाला बाग हत्याकांड (Jallianwala Bagh Massacre) के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। **(UPSC प्रारंभिक: जलियाँवाला बाग)**
- **सामाजिक दर्शन:-**
    - उन्होंने अपने समाज की गरीबी, अंधविश्वास और छुआछूत जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
    - उन्होंने व्यक्तिगत मूल्य, स्वतंत्रता और लोकतंत्र में पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी मान्यताओं का स्वागत किया।
- **स्वतंत्रता आंदोलन:-**
    - उनका मानना था कि राष्ट्रवाद देशभक्ति से अंधराष्ट्रवाद में बदल गया।
    - उन्हें महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने का श्रेय दिया जाता है। **(UPSC MAINS: गांधी एक राजनीतिक विचारक और एक समाज सुधारक के रूप में)**
    - उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया।
    - उन्होंने कई राष्ट्रीय गीत लिखे और बंगाल के विभाजन के फैसले के खिलाफ विरोध सभाओं में भाग लिया।
- **धर्म:-**
    - टैगोर ने मानवता के धर्म की वकालत की।
- **शिक्षा:-**
    - उन्होंने भारत के प्राचीन आश्रम स्कूलों के नाम पर शांतिनिकेतन (शांति का निवास) नाम से एक मॉडल स्कूल शुरू किया।
    - शांतिनिकेतन ने दुनिया भर के कई विद्वानों को शामिल किया, जिनमें उनके अंग्रेजी मित्र, ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर ई जे थॉम्पसन, मिशनरी सी एफ एंड्रयूज और लॉर्ड एल्महर्स्ट शामिल थे।
    - उन्होंने एक विश्वविद्यालय - विश्व भारती की स्थापना करके अपनी शैक्षिक प्रतिबद्धता को भी बढ़ाया।
    - विश्व भारती: विविधता में एकता की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा दिया।
- **साहित्यिक योगदान:-**
    - **कविताएँ:**

	▪ मानसी (द आइडियल वन,1890) ▪ सोनार तारि (द गोल्डन बोट, 1894) ▪ गीतांजलि (गीत प्रस्तुति, 1910) ▪ गीतिमाल्या (गीतों की पुष्पांजलि, 1914) ▪ बालाका (द फ़्लाइट ऑफ़ क्रेन्स, 1916) ○ **नाटक:** ▪ राजा (1910) [द किंग ऑफ़ द डार्क चैंबर], ▪ डाकघर (डाकघर, 1912) ▪ अचलायतन (द इमोवेबल, 1912) ▪ मुक्तधारा (झरना, 1922) ▪ रक्तकारवी (रेड ओलियंडर्स, 1926) ○ **लघु कहानियां और उपन्यास:** ▪ गोरा (1910), ▪ घरे बाइरे (द होम एंड द वर्ल्ड, 1916) और ▪ योगयोग (क्रॉसकरेंट्स, 1929) **अवश्य पढ़ें:** (पुस्तक समीक्षा - रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि) **स्रोत:** द हिंदू
मोनलम चेनमो	**संदर्भ:** विश्व शांति और खुशियां बनाए रखने के उद्देश्य से बौद्ध भिक्षुओं का 5 दिनों तक चलने वाला सामुहिक प्रार्थना शिविर 'मोनलम चेनमो' लेह में शुरू हो चुका है। **मोनलम चेनमो के बारे में:-** ● मोनलम चेनमो लद्दाख का वार्षिक पांच दिवसीय महान प्रार्थना महोत्सव है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: लद्दाख)** ● यह विश्व शांति और खुशी के लिए बौद्ध भिक्षुओं और ननों (साध्वियों) द्वारा एक सामूहिक प्रार्थना शिविर है। ● कोविड के कारण तीन साल तक बंद रहने के बाद इस साल वार्षिक सामूहिक प्रार्थना फिर से शुरू हुई। ● यह कार्यक्रम ऑल लद्दाख गोंपा एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ● यह लद्दाख के संघ समुदाय की एक मंच पर एकत्रित होने वाली प्रमुख वार्षिक प्रार्थना है। ● यह त्यौहार तिब्बती चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने के 21वें से 25वें दिन पर पड़ता है। ● यह 1991 से आयोजित किया जा रहा है। **संघ के लिए सेवा:-** ● यह संघ समुदाय के लिए एक विशेष शिविर है। ● **उद्देश्य:** संघ समुदाय को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करना। ● इसका नेतृत्व जिला प्रशासन लेह के सहयोग से लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य जामयांग त्सेरिंग नामग्याल द्वारा किया जाता है। **(यूपीएससी सीएसई: लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC), लेह)** ● सांगा समाज के लिए पहली बार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ● बैंक समेत विभिन्न सरकारी विभाग आगे आकर साधु-साध्वियों को सरकार की करीब 20 योजनाओं का लाभ देंगे। ● भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने भी शिविर के दौरान चिकित्सा शिविर स्थापित करने के लिए आयोजकों के साथ हाथ मिलाया है। **अवश्य पढ़ें:** लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य **स्रोत:** AIR

सातवाहन

संदर्भ: तेलंगाना में खोजकर्ताओं ने ऐसी कलाकृतियाँ बरामद की हैं जो सिद्दीपेट जिले के चेरियल गाँव को सातवाहन काल से जोड़ती हैं।

खबर के बारे में:

फील्ड शोधकर्ताओं ने पुनः प्राप्त किया है:

- गुड़ियां, यक्षिणी कठपुतलियों आदि की कई टेराकोटा मूर्तियाँ।
- विभिन्न डिज़ाइनों के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े,
- रंगीन पत्थर के मोती और टेराकोटा मोती जो सातवाहन काल के दौरान आभूषणों का हिस्सा थे।
- सातवाहन काल का सिक्का। सिक्के पर एक तरफ उज्जैन का प्रतीक चिन्ह और दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि अंकित है।
- 14 x 12 x 4 इंच की बड़ी ईंटें और देवी-देवताओं की आकृतियाँ इक्ष्वाकु (Ikshvaku) और सातवाहन काल की हैं।

सातवाहन के बारे में:

- क्षेत्र में मौर्यों के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र में सातवाहन सत्ता में आए।
- सातवाहन वंश का प्रथम राजा सिमुक था। गौतमीपुत्र शातकर्णी के अधीन सबसे गौरवशाली काल था।
- **क्षेत्रीय विस्तार:** सातवाहन साम्राज्य में प्रमुख रूप से वर्तमान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल थे। कभी-कभी उनके शासन में गुजरात, कर्नाटक के साथ-साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से भी शामिल थे।
- **मातृशब्द:** सातवाहन राजाओं ने गौतमीपुत्र और वैश्यष्ठिपुत्र जैसे मातृशब्दों का इस्तेमाल किया। यह सातवाहन वंश की एक अनूठी विशेषता है। लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि वे किसी भी दृष्टि से मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय थे।
- **एकाधिक राजधानियाँ:** राज्य की दो राजधानियाँ अमरावती और प्रतिष्ठान (पैठन) थीं।

- उन्होंने दक्षिणापथ पति (दक्षिणापथ के स्वामी) की उपाधि धारण की।
- **अनुदान:** सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि का शाही अनुदान देने की प्रथा शुरू की।
  - उदाहरण के लिए, कार्ले शिलालेख में पुणे, महाराष्ट्र के पास करजिका गांव के अनुदान का उल्लेख है।
- **सिक्के:** सातवाहन पहले मूल भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने सिक्के जारी किए थे।
  - गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इस प्रथा की शुरुआत की।
  - उन्होंने ज्यादातर सीसे के सिक्के जारी किए, जो दक्कन में पाए जाते हैं और चांदी, तांबे और कांस्य के

	सिक्के भी जारी किए। ○ सिक्कों पर शासकों के चित्र थे। ○ इन सिक्कों पर कभी-कभी द्विभाषी किंवदंतियाँ होती थीं, एक तरफ प्राकृत और दूसरी तरफ तमिल, तेलुगु या कन्नड़ में। • **भाषा:** उन्होंने संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत को अधिक संरक्षण दिया। संस्कृत का प्रयोग बहुत कम होता था। उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। • **धर्म:** भले ही शासक हिंदू थे और ब्राह्मणवादी स्थिति का दावा करते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। उन्होंने वैदिक ब्राह्मणवाद और अश्वमेध यज्ञ जैसे संबंधित अनुष्ठानों को पुनर्जीवित किया। • **राजव्यवस्था:** ○ राजा प्रशासनिक पदानुक्रम के शीर्ष पर था और स्थापित सामाजिक व्यवस्था का संरक्षक माना जाता था। ○ राज्य को अहारों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक का शासन अमात्य नामक मंत्री द्वारा किया जाता था। ○ सातवाहन साम्राज्य में तीन प्रकार के सामंत थे - राजा (जिन्हें सिक्के चलाने का अधिकार था), महाभोज और सेनापति। • **कला और वास्तुकला:** अमरावती स्तूप का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। अजंता की गुफाओं 9 और 10 की पेंटिंग सातवाहन काल की हैं। • प्रमुख शिलालेख: ○ सातवाहनों के सबसे पुराने शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं जब उन्होंने कण्वों को हराया और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अपनी शक्ति स्थापित की। ○ **गौतमी बालाश्री द्वारा नासिक प्रशस्ति शिलालेख:** इसमें कहा गया है कि गौतमीपुत्र के घोड़े "तीन महासागरों" (अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर) का पानी पीते थे। यह सातवाहन प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है। ○ **कार्ले शिलालेख:** इसमें बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने का उल्लेख है। **स्रोत**: इंडियन एक्सप्रेस
एक विरासत अपनाएं	• **'विरासत अपनाएं:** अपनी धरोहर, अपनी पहचान'(Adopt a Heritage: Apni Dharohar, Apni Pehchaan) योजना संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ-साथ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। • निजी कंपनियां, कॉर्पोरेट, गैर सरकारी संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां राज्य के स्वामित्व वाले पुरातात्विक स्थलों या स्मारकों को अपनाने और बनाए रखने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौते में प्रवेश कर सकती हैं। • इसका उद्देश्य 'जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन' को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए सभी भागीदारों के बीच तालमेल विकसित करना है। • एजेंसियां/कंपनियां 'विज़न बिडिंग' की अभिनव अवधारणा के माध्यम से 'स्मारक मित्र' बन जाएंगी, जहां विरासत स्थल के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण वाली एजेंसी को अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से स्मारक को बनाए रखने का अवसर दिया जाएगा। • यह परियोजना मुख्य रूप से पर्यटन का बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधाएं, पीने का पानी, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहुंच में आसानी और निगरानी प्रणाली, रात में देखने की सुविधा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। • यह परियोजना 93 एएसआई स्मारकों के साथ शुरू हुई और पूरे भारत में विरासत, प्राकृतिक और पर्यटक स्थलों तक फैल गई है, जिनमें से कुछ वर्तमान में एएसआई के तहत संरक्षित नहीं हैं।

	'विरासत को अपनाने' के पीछे तर्क • **सुविधाओं की आवश्यकता:** तत्काल आधार पर बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक आधार पर पर्यटकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्नत सुविधाओं की आवश्यकता है। • **सरकार के पास सभी स्मारकों के लिए संसाधन न होना:** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) 36 विश्व धरोहर स्थलों सहित 3,686 प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा करता है। विरासत के रख-रखाव के लिए सरकार को अधिक संसाधनों की जरूरत है। • **सीएसआर फंड:** निजी संस्थाओं के पास वैसे भी अपने सीएसआर फंड होते हैं जो अप्रयुक्त पड़े रहते हैं। ऐसी योजना सीएसआर फंड को किसी उद्देश्य में लगाने में उपयोगी होगी। • **सतत पर्यटन रोजगार उत्पन्न करना:** इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में इसके प्रभावों के लिए विरासत की पर्यटन क्षमता का दोहन करना है। • **वैश्विक अनुभव:** इटली में दुनिया में यूनेस्को विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। नकदी की तंगी से जूझ रही सरकार दशकों तक विरासत से दूर रहने के बाद 2014 से विरासत के रखरखाव के लिए कॉरपोरेट्स के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर रही है। **स्रोत**: इंडियन एक्सप्रेस
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट	संदर्भ: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'जन शक्ति: एक सामूहिक शक्ति' प्रदर्शनी देखने के लिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली का दौरा किया। इस प्रदर्शनी में भारत की कलात्मक विविधता का प्रदर्शन किया गया है और यह मन की बात में प्रकाश डाले गए विषयों से प्रेरित है। **इसके बारे में:** • राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) प्रमुख कला गैलरी है जिसका उद्देश्य 1850 के दशक के बाद की आधुनिक कला के कार्यों को प्राप्त करना और संरक्षित करना है। • यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में चलाया और प्रशासित किया जाता है। • इसके संग्रह में राजा रवि वर्मा, रबींद्रनाथ टैगोर, अबनिंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय, अमृता शेर-गिल जैसे कलाकारों के साथ-साथ थॉमस डेनियल जैसे विदेशी कलाकारों की कृतियां शामिल हैं। • नई दिल्ली में मुख्य संग्रहालय की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। • एनजीएमए की दो अन्य शाखाएँ हैं, एक मुंबई में और दूसरी बैंगलोर में। **स्रोत:** पीआईबी
थिरुक्कुरल	**संदर्भ:** भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेम्स मरापे के साथ हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में तमिल क्लासिक किताब 'थिरुक्कुरल' को रिलीज किया। यह किताब टोक पिसिन भाषा में रिलीज की गई है। टोक पिसिन पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक भाषा है। **थिरुक्कुरल के बारे में** • तिरुक्कुरल, (तमिल: "पवित्र दोहे") को कुरल भी कहा जाता है। • यह तमिल साहित्य में पतिरेन-किर्कनक्कु ("अठारह नैतिक कार्य") में सबसे प्रसिद्ध है और एक ऐसा कार्य है जिसका तमिल संस्कृति और जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। • आमतौर पर इसका श्रेय कवि तिरुवल्लुवर को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे छठी शताब्दी में भारत में रहते थे। • पारंपरिक विवरण इसे तीसरे संगम का अंतिम कार्य बताते हैं, लेकिन भाषाई विश्लेषण 450 से 500 ईस्वी के बाद की तारीख का सुझाव देते हैं और कहते हैं कि इसकी रचना संगम काल के बाद हुई थी। • इसमें 10 दोहों के 133 खंड हैं, प्रत्येक को तीन पुस्तकों में विभाजित किया गया है: आराम (सदाचार), पोरुल (सरकार और समाज), और कामम (प्रेम)।

	तिरुक्कुरल के महत्वपूर्ण संदेश ● इसे नैतिकता और सदाचार पर सबसे महान कार्यों में से एक माना जाता है, यह अपनी सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के लिए जाना जाता है। ● पहला खंड ईश्वर की स्तुति, वर्षा, त्याग और सदाचार के जीवन से शुरू होता है। इसके बाद यह एक विश्व-पुष्टि दृष्टिकोण, मानवीय सहानुभूति का ज्ञान प्रस्तुत करता है जो किसी के परिवार और दोस्तों से लेकर उसके कबीले, गांव और देश तक विस्तार करता है। ● पोरुल अनुभाग एक आदर्श राज्य की दृष्टि पेश करता है और अच्छी नागरिकता को सदाचारी निजी जीवन से जोड़ता है। काम अनुभाग "गुप्त प्रेम" और विवाहित प्रेम दोनों को संबोधित करता है; ● दांपत्य प्रेम पर अनुभाग पति-पत्नी के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। ● यह व्यक्ति के गुणों के रूप में अहिंसा और नैतिक शाकाहार (moral vegetarianism) पर जोर देता है। ● यह सत्यता, आत्म-संयम, कृतज्ञता, आतिथ्य, दयालुता, पत्नी की अच्छाई, कर्तव्य, दान आदि पर प्रकाश डालता है। ● इसके अलावा, राजा, मंत्रियों, करों, न्याय, किले, युद्ध, सेना की महानता और सैनिकों के सम्मान, दुष्टों के लिए मौत की सजा, कृषि, शिक्षा, शराब और नशीली दवाओं से परहेज जैसे सामाजिक और राजनीतिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। ● इसमें दोस्ती, प्यार और घरेलू जीवन पर अध्याय भी शामिल हैं **अवश्य पढ़ें:** संगम युग (यूपीएससी मेन्स - संगम युग) **स्रोत:** द हिंदू
मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति	**संदर्भ:** अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर, प्रधान मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर का अनावरण किया जो मोहनजो-दारो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल का "समसामयिक" संस्करण है। **अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में:** ● अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो प्रतिवर्ष 18 मई को या उसके आसपास आयोजित किया जाता है, जिसका समन्वय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा किया जाता है। ● यह आयोजन एक विशिष्ट विषय पर प्रकाश डालता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालयों के सामने आने वाले प्रासंगिक विषय या मुद्दे को प्रतिबिंबित करते हुए प्रत्येक वर्ष बदलता है। **अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 शुभंकर के बारे में:** ● इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 शुभंकर सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल से प्रेरित एक आदमकद (मूल 10 सेमी की तुलना में 5 फीट) आकृति थी। ● इस शुभंकर को बनाने के लिए चन्नापटना खिलौनों के पारंपरिक शिल्प का उपयोग किया गया था। Mohenjo-Daro's Dancing Girl figurine;

- सिंधु सभ्यता (3300-1300 ईसा पूर्व और इसकी परिपक्व अवस्था 2600-1900 ईसा पूर्व की है), जिसे हड़प्पा-मोहनजो-दारो सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, 1924 में इसकी खोज की घोषणा होने तक लंबे समय तक भुला दिया गया था।
- एक प्राचीन सभ्यता के रूप में प्रारंभिक मान्यता के बाद, दो प्रमुख स्थलों जो तब तक ज्ञात थे - हड़प्पा और मोहनजो-दारो में कई खुदाई की गई।
- डांसिंग गर्ल की खोज 1926 में ब्रिटिश पुरातत्वविद् अर्नेस्ट मैके द्वारा मोहनजो-दारो के गढ़ में ऐसी ही एक खुदाई में की गई थी।
- डांसिंग गर्ल एक प्रागैतिहासिक कांस्य मूर्तिकला है जो 2300-1750 ईसा पूर्व के दौरान खोई हुई मोम की ढलाई में बनाई गई थी।
- इसकी ऊंचाई 10.5 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी और गहराई 2.5 सेमी है।
- विभाजन के बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पाकिस्तान में शामिल होने के बावजूद डांसिंग गर्ल, एक समझौते के तहत भारत को प्राप्त हुई।
- वर्तमान में इस काँस्य मूर्ति को भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है, जो संग्रहालय की सिंधु-घाटी सभ्यता गैलरी में आगंतुकों को "स्टार ऑब्जेक्ट" के रूप में आकर्षित करती है।

अवश्य पढ़ें: चन्नापट्टना खिलौना निर्माता

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चोल सेनगोल परंपरा

संदर्भ: 1947 में भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राप्त और इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखी गई 'सेन्गोल' को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा।

खबर के बारे में:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के दौरान नए संसद भवन में तमिलनाडु का ऐतिहासिक राजदंड 'सेन्गोल' स्थापित करेंगे।
- स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करने के लिए 'सेंगोल' प्राप्त किया गया था।
- इसके बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरू गैलरी में रखा गया।
- इसकी उत्पत्ति चोल राजवंश से हुई जो भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंशों में से एक था।
- इसका उपयोग एक राजा से उसके उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किया जाता था।

सेंगोल के बारे में:

- यह सोने और चांदी से बना एक राजदंड है और कई कीमती पत्थरों से सजाया गया है।
- सेंगोल 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर एक सुनहरा गोला है। गोला में नंदी बैल की नक्काशी है, जो भगवान शिव का प्रिय है।

	• सेंगोल चोल राजाओं के अधिकार और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। • 'सेंगोल' निष्पक्ष और न्यायसंगत शासन के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। • राजदंड भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की याद दिलाता है। **अवश्य पढ़ें:** चोल राजवंश **स्रोत:** द हिंदू

विविध

गोल्डन ग्लोब रेस	**संदर्भ:** हाल ही में, अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय के रूप में इतिहास रचा। **गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में:-** • गोल्डन ग्लोब रेस का संचालन यूके के सर रॉबिन नॉक्स जॉन्सटन द्वारा किया जा रहा है। • **उद्देश्य:** वर्ष 1968 में भारत निर्मित नाव सुहैली पर उनके द्वारा की गई दुनिया की पहली एकल नॉन-स्टॉप जलयात्रा का स्मरण करना। • जीजीआर में प्रतिभागियों को अकेले और बिना रुके दुनिया भर में यात्रा करनी होती है। • दौड़ की विशिष्टता यह है कि 1968 से नए नाव डिजाइन और तकनीक की अनुमति नहीं है। • इसके अलावा, 30,000 मील की यात्रा में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), उपग्रह संचार और नेविगेशनल सहायता का उपयोग निषिद्ध है। **(यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: NavIC को समझना)** • प्रत्येक नाविक के पास एक सैटेलाइट फोन और आपातकालीन लोकेटर बीकन होता है जिसका उपयोग केवल चिकित्सा आपात स्थिति के लिए किया जाता है। (यूपीएससी सीएसई: भारत की समुद्री सुरक्षा) • एन्ट्रेंट्स (Entrants) 32 फीट से 36 फीट के बीच समान नौकाओं तक ही सीमित हैं, जिन्हें 1988 से पहले पतवार के साथ पूरी लंबाई की कील के साथ डिजाइन किया गया था। • उस पहली दौड़ में सर रॉबिन के पास जो उपकरण उपलब्ध थे, उसी के समान उपकरण का उपयोग किया जाता है। • 11 देशों के 16 नाविक लेस सेबल्स-डी'ओलोन, फ्रांस से रवाना हुए। **अवश्य पढ़ें:** समुद्री वातावरण में नेविगेट करने के लिए एक भारतीय सेल **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
बुलंद भारत अभ्यास	**संदर्भ:** हाल ही में, सेना ने नकली युद्ध स्थितियों में तालमेल का परीक्षण करने के लिए अरुणाचल में 'बुलंद भारत' अभ्यास आयोजित किया। **इसके बारे में:-** 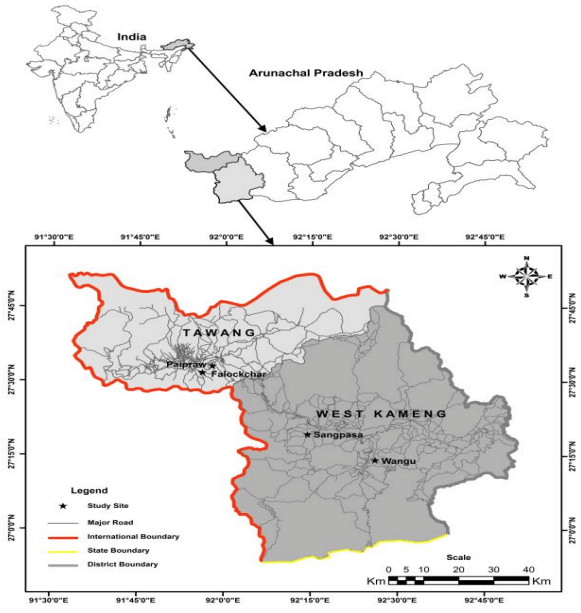 • बुलंद भारत एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास है। • **उद्देश्य:** अरुणाचल प्रदेश में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नकली युद्ध स्थितियों का परीक्षण करना।

	• प्रशिक्षण, जो एक महीने तक चला, एक परीक्षण अभ्यास में समाप्त हुआ जिसमें सैनिकों और उपकरणों का उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और चरम मौसम की स्थितियों में नकली युद्ध स्थितियों के तहत परीक्षण किया गया। • इस अभ्यास के दौरान, इन्फैंट्री और आर्टिलरी राडार, हथियार प्रणालियों और मारक क्षमता का अभ्यास किया गया। • इस अभ्यास ने तोपखाने की बंदूकों और पैदल सेना के अग्नि समर्थन घटकों द्वारा समकालिक फायरिंग को व्यवस्थित करके एकीकृत गोलाबारी को कम करने की योजना को मान्य किया, जिसका उद्देश्य निर्दिष्ट लक्ष्यों को नष्ट करना था। • इसमें अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में तैनात विशेष बलों, विमानन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ निकट समन्वय में तोपखाने और पैदल सेना की निगरानी तथा मारक क्षमता का समन्वित अनुप्रयोग शामिल था। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: अरुणाचल-असम सीमा विवाद)** • गजराज कोर, जिसके तहत यह अभ्यास आयोजित किया गया था, प्रमुख जिम्मेदारियों को संभालता है जो तवांग क्षेत्र सहित पश्चिम अरुणाचल प्रदेश में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा तक फैली हुई है। **(यूपीएससी प्रीलिम्स: भारत-चीन तवांग झड़प)** **अवश्य पढ़ें:** कैसर-ए-हिंद: अरुणाचल का राज्य तितली **स्रोत**: टाइम्स ऑफ इंडिया
वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)	**संदर्भ:** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी) को 10 भारतीय भाषाओं में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली तैयार करनी है। **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी) के बारे में:-** • यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। • इसकी स्थापना दिसंबर 1960 में संविधान के प्रावधान अनुच्छेद 344(4) के तहत भारत सरकार के संकल्प द्वारा की गई थी। • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। • **उद्देश्य:** मानक शब्दावली विकसित करना, इसके उपयोग का प्रचार करना और इसे व्यापक रूप से वितरित करना। • आयोग को राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, क्षेत्रीय पाठ्यपुस्तक बोर्डों और राज्य 'ग्रंथ अकादमियों' के साथ सहयोग करने का अधिकार है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्थानीय भाषाओं में अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों के अनुवाद प्रदान करने के प्रभारी नोडल निकाय हैं। • CSTT ने विभिन्न विषयों में लगभग नौ लाख तकनीकी शब्दों की शब्दावली का मानकीकरण किया है। **(यूपीएससी सीएसई: भारत की भाषाएँ)** • CSTT ने बड़ी संख्या में परिभाषात्मक शब्दकोश, शब्दावलियाँ, पाठ्य-पुस्तकें, संदर्भ सामग्री और मोनोग्राफ, 'विज्ञान गरिमा सिंधु' और 'ज्ञान गरिमा सिंधु' नामक त्रैमासिक पत्रिकाएँ और समान प्रकृति के कई अन्य कार्य प्रकाशित किए हैं। • CSTT ने प्रशासनिक और विभिन्न विभागीय शब्दावलियों का भी ध्यान रखा है जिनका व्यापक रूप से विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, स्वायत्त संगठनों, पीएसयू आदि द्वारा उपयोग किया जाता है। • CSTT हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की मानक शब्दावली के उपयोग को बढ़ाने और लोकप्रिय बनाने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाओं, सेमिनारों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। **(यूपीएससी सीएसई: त्रिभाषा फॉर्मूला/hree-language formula)** **आयोग के कार्य:-**

	• हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को विकसित और परिभाषित करना तथा तकनीकी शब्दावली, परिभाषा शब्दकोश, विश्वकोश आदि प्रकाशित करना। • यह देखना भी शामिल है कि विकसित शब्द और उनकी परिभाषाएँ छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुँचें। • फीडबैक प्राप्त करके (कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/अभिविन्यास कार्यक्रमों/सेमिनारों के माध्यम से) किए गए कार्यों का उचित उपयोग/आवश्यक अद्यतनीकरण/सुधार/सुधार सुनिश्चित करना। • वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर सेमिनार/सम्मेलन/संगोष्ठियों को प्रायोजित करके हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करना। **अवश्य पढ़ें:** भाषा पैनल की सिफ़ारिशें **स्रोत:** द हिंदू
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)	**संदर्भ:** DGCA ने हाल ही में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया के एक पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया। **नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के बारे में:-** • नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। o इसका गठन विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत किया गया था। • यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। **(यूपीएससी सीएसई: नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के नए महानिदेशक नियुक्त)** • इसका उद्देश्य भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करना है। • यह मुख्य रूप से नागरिक उड्डयन में सुरक्षा मुद्दों से संबंधित है। • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। o भारत के विभिन्न हिस्सों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। • **अधिदेश:** डीजीसीए भारत से/भारत के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। (यूपीएससी मेन्स: नागरिक उड्डयन उद्योग में सुधार) • **कार्य:-** o नागरिक विमानों का पंजीकरण करना । o भारत में पंजीकृत नागरिक विमानों के लिए उड़ानयोग्यता के मानक तैयार करना और ऐसे विमानों को उड़ानयोग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करना। o पायलटों, विमान रखरखाव इंजीनियरों और उड़ान इंजीनियरों को लाइसेंस देना और उस उद्देश्य के लिए परीक्षण और जांच आयोजित करना। o हवाई यातायात नियंत्रकों को लाइसेंस देना। o दुर्घटनाओं/घटनाओं की जाँच करना। o दुर्घटना रोकथाम के उपाय करना। o नागरिक और सैन्य हवाई यातायात एजेंसियों द्वारा हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करना। o भारतीय हवाई क्षेत्र के माध्यम से नागरिक उपयोग के लिए अधिक हवाई मार्गों के प्रावधान के लिए आईसीएओ के साथ चर्चा करना। o विमान के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देना। **अवश्य पढ़ें:** अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना (आईएसीएस) योजना **स्रोत**: हिंदुस्तान टाइम्स
स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल	**संदर्भ:** यूनाइटेड किंगडम ने रूसी बलों के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूक्रेन को लंबी

	दूरी की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें (Storm Shadow Cruise Missile) प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। **स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल के बारे में:** • स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें MBDA मिसाइल (फ्रांस स्थित) सिस्टम्स द्वारा निर्मित हैं और इनमें उल्लेखनीय क्षमताएं हैं। • इन पारंपरिक रूप से सशस्त्र, लंबी दूरी की इन मिसाइलों की रेंज 250 किमी से अधिक है। • इन्हें डीप-स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है और ये एयरबेस, रडार इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन हब और पोर्ट सुविधाओं सहित उच्च मूल्य की संपत्ति को निशाना बना सकती हैं। • उन्नत नेविगेशन सिस्टम से लैस, स्टॉर्म शैडो मिसाइलें उच्च परिशुद्धता प्रदान करती हैं और सभी मौसम की स्थिति में काम करने में सक्षम हैं। • यह हर मौसम में दिन-रात संचालित करने में सक्षम है। **स्रोत**: इंडियन एक्सप्रेस
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची	**संदर्भ:** केंद्रीय रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स (एलआरयू), उप-प्रणालियों, स्पेयर्स और घटकों की चौथी और सबसे बड़ी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दे दी है, जिसमें उच्च-स्तरीय सामग्री और स्पेयर शामिल हैं। **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के बारे में:** • सूची का मतलब है कि रक्षा सार्वजनिक उपक्रम अपने सामने बताई गई समयसीमा से परे निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात नहीं कर सकते हैं। • ये वस्तुएं केवल घरेलू निर्माताओं से ही खरीदी जाएंगी। • डीपीएसयू 'मेक' श्रेणी के तहत विभिन्न मार्गों से इन वस्तुओं का स्वदेशीकरण करेंगे और एमएसएमई और निजी भारतीय उद्योग की क्षमताओं के माध्यम से इन-हाउस विकास करेंगे। • पिछले दो वर्षों में, रक्षा मंत्रालय ने 351, 107 और 780 वस्तुओं की तीन सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ लाई हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु के सामने उल्लिखित समयसीमा के बाद केवल स्वदेशी स्रोतों से ही खरीदना होगा। **ऐसी सूची की क्या जरूरत है?** • मूल विचार रक्षा वस्तुओं और उपकरणों के आयात को कम करते हुए रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। o यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक है और बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए भविष्य में बेहतर रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ने वाली है। • डीपीएसयू, एमएसएमई और निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे जिससे अर्थव्यवस्था में विकास को गति मिलेगी। • रक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ने से रक्षा प्रौद्योगिकी में और अधिक शोध को बढ़ावा मिलेगा। • शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करके घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। **स्रोत**: इंडियन एक्सप्रेस
अभ्यास समुद्र शक्ति-23	**संदर्भ:** भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति - 23 का चौथा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ। **अभ्यास के बारे में:** • भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसरण में, अभ्यास 'समुद्र शक्ति' की कल्पना 2018 में द्विपक्षीय भारतीय नौसेना-इंडोनेशियाई नौसेना अभ्यास के रूप में की गई थी। • इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना है।

	• **भारत की भागीदारी:** o INS कावारत्ती: भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी-सबमरीन वारफेयर (एएसडब्ल्यू) स्टील्थ कार्वेट मुख्य आकर्षण है। • यह प्रोजेक्ट 28 (कामोर्टा क्लास) के तहत निर्मित 4 कार्वेट में से एक है। अन्य तीन आईएनएस कामोर्टा, आईएनएस कदमट्ट और आईएनएस किल्टान (INS Kamorta, INS Kadmatt and INS Kiltan) हैं। o भारतीय नौसेना का डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भी भाग ले रहा है। **इंडोनेशिया के साथ अन्य अभ्यास:** • गरुड़ शक्ति (सैन्य अभ्यास) • IND-INDO CORPAT (समुद्री अभ्यास) **स्रोत:** पीआईबी
धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण के लिए टेलीकॉम एनालिटिक्स (TAFCOP)	**संदर्भ:** दूरसंचार विभाग (DoT) ने TAFCOP (धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण के लिए टेलीकॉम एनालिटिक्स) मॉड्यूल लॉन्च किया, जो एक मोबाइल ग्राहक को उसके नाम पर लिए गए मोबाइल कनेक्शन की संख्या की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। **TAFCOP पोर्टल के बारे में-** • भारत सरकार ने धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण के लिए टेलीकॉम एनालिटिक्स के लिए टैफकॉप पोर्टल gov.in विकसित किया है। • इसे ग्राहकों और उपभोक्ताओं की मदद करने, उनके नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शनों की संख्या की जांच करने और उनके पास मौजूद किसी भी अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन को नियमित करने के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु विकसित किया गया है। **संचार साथी पोर्टल के बारे में** • दूरसंचार विभाग (DoT) ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया, जो पूरे भारत में लोगों को अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने में सक्षम बनाता है। • इस पोर्टल के माध्यम से, लोग खरीदारी करने से पहले उपयोग किए गए उपकरणों की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकते हैं, और ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी जानकारी के बिना कितने नंबर उनकी पहचान से जुड़े हैं। • पोर्टल के मुख्य अनुभागों में फोन को ब्लॉक करने और ट्रैक करने के संबंध में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर), 'नो योर मोबाइल' सुविधा शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को सेकेंड-हैंड मोबाइल फोन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की अनुमति देती है, और पहचान से जुड़े नंबरों की जांच करने के लिए TAFCOP (धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण के लिए टेलीकॉम एनालिटिक्स) सुविधा देती है।
76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा	**संदर्भ: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मंडाविया ने जिनेवा में आयोजित 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में "हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया" विषय पर एक साइड इवेंट सत्र में मुख्य भाषण दिया।** **विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में;** • विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है। • WHO संविधान का अनुच्छेद 19 विश्व स्वास्थ्य सभा को WHO की क्षमता के भीतर किसी भी मामले पर सम्मेलनों या समझौतों को अपनाने का अधिकार प्रदान करता है। • विश्व स्वास्थ्य सभा का मुख्य कार्य संगठन की नीतियों का निर्धारण करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना और अनुमोदन करना है। • स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है।

	• आज तक अनुच्छेद 19 के तहत स्थापित एकमात्र साधन तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, जिसने 2005 में लागू होने के बाद से लोगों को तंबाकू से बचाने में महत्वपूर्ण और तेजी से योगदान दिया है। **76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में;** • 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 21-30 मई 2023 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। • इस वर्ष स्वास्थ्य सभा का विषय- WHO at 75: जीवन बचाना, सभी के लिए स्वास्थ्य चलाना। • 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन भविष्य की महामारियों के प्रति विश्व की सामूहिक प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए देशों पर एक वैश्विक महामारी संधि पर हस्ताक्षर करने पर जोर दे रहा है। • महामारी संधि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देशों द्वारा अपनाया जाने वाला एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। • विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) में महामारी से निपटने के लिए नए नियमों पर बातचीत चल रही है, जिसकी लक्ष्य तिथि मई 2024 है। • इसका उद्देश्य लगभग 7 मिलियन लोगों की जान लेने वाली COVID 19 महामारी के बाद नए रोगजनकों के खिलाफ दुनिया की सुरक्षा को मजबूत करना है। **अवश्य पढ़ें:** WHO **स्रोत:** पीआईबी
आईएनएस सिंधुरत्न	**संदर्भ:** किलो-क्लास (Kilo Class) की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरत्न रूस में बड़ी मरम्मत के बाद भारत पहुंची। **आईएनएस सिंधुरत्न के बारे में;** • आईएनएस सिंधुरत्न (एस59) (समुद्र का गहना) भारतीय नौसेना की सिंधुघोष श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। • नौसेना की आठ डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां रूस से किलो वर्ग या सिंधुघोष वर्ग की हैं, जिन्हें 1984 और 2000 के बीच प्राप्त किया गया था और आईएनएस सिंधुरत्न बेड़े में सबसे पुरानी किलो वर्ग की पनडुब्बियों में से एक है। • इसे दिसंबर 1988 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। **सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बियां;** • सिंधुघोष-श्रेणी की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के साथ सक्रिय सेवा में किलो-श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। • किलो श्रेणी रूस में निर्मित नौसैनिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के लिए नाटो पदनाम है। • किलो श्रेणी पनडुब्बियां मुख्य रूप से अपेक्षाकृत उथले पानी में एंटी-शिपिंग और एंटी-सबमरीन ऑपरेशन के लिए बनाई जाती हैं। • किलो श्रेणी की पनडुब्बियों का विस्थापन 2,300 टन, अधिकतम गोता गहराई 300 मीटर और अधिकतम गति 18 समुद्री मील है। वे 50 से अधिक लोगों के दल के साथ 45 दिनों तक अकेले काम करने में सक्षम होती हैं। **अवश्य पढ़ें:** प्रोजेक्ट 75I **स्रोत:** द हिंदू
उड़ान 5.1	**संदर्भ:** नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने तथा हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए UDAN 5.1 लॉन्च किया है। • क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के चार सफल दौरों के बाद - उड़े देश का आम नागरिक (यूडीएएन) और पांचवें दौर का संस्करण 5.0 चल रहा है। **उड़ान 5.1 के बारे में:**

- UDAN 5.1 विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **प्राथमिकता क्षेत्र:** ऑपरेटरों के लिए संचालन के दायरे में वृद्धि जिसमें योजना अब उन मार्गों की अनुमति देगी जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिकता क्षेत्र में है। (पहले दोनों बिंदु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होने थे।)
- यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान को और अधिक किफायती बनाने के लिए हवाई किराया सीमा में 25% तक की कमी की गई है।
- आवंटित मार्गों के संचालन के लिए वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सिंगल और ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर दोनों के लिए ऑपरेटरों के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) कैप में काफी वृद्धि की गई है।
- योजना के पिछले दौर के तहत अब तक 46 हेलीकॉप्टर मार्गों का संचालन किया गया है, जिससे कई पहाड़ी और उत्तर पूर्व राज्यों को लाभ हुआ है।

उड़ान के बारे में:

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) 2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार की गई थी।
- उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को 'उड़े देश का आम नागरिक' के दृष्टिकोण का पालन करते हुए टियर II और टियर III शहरों में उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी।
- इसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड (आरसीएफ) के विकास के साथ एक स्व-वित्तपोषण तंत्र है।
- इस योजना के तहत, आरसीएफ बनाया गया था, जो कुछ घरेलू उड़ानों पर लेवी के माध्यम से योजना की VGF (viability gap funding) आवश्यकताओं को वित्तपोषित करता है। इस तरह, क्षेत्र से उत्पन्न धनराशि स्वयं क्षेत्र की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करती है।
- **UDAN ने आवश्यकता के आधार पर एक रूपरेखा तैयार की और निम्नलिखित को तैयार किया:**
  - **लाइफलाइन उड़ान -** महामारी के दौरान मेडिकल कार्गो के परिवहन के लिए।
  - **कृषि उड़ान (Krishi UDAN) -** विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और आदिवासी जिलों में कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए।
  - गुवाहाटी और इम्फाल तक अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का पता लगाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए **अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्ग**।

उड़ान 1.0:

- इस चरण के तहत, 5 एयरलाइंस कंपनियों को 70 हवाई अड्डों के लिए 128 उड़ान मार्ग प्रदान किए गए।
- इसमें 36 नव निर्मित परिचालन हवाई अड्डे शामिल थे।

उड़ान 2.0:

- 2018 में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 73 कम सेवा वाले और बिना सेवा वाले हवाई अड्डों की घोषणा की।
- उड़ान योजना के चरण 2 के तहत पहली बार हेलीपैड को भी जोड़ा गया।

उड़ान 3.0:

- इसमें पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से उड़ान 3 के तहत पर्यटन मार्गों को शामिल किया गया।
- जल हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए समुद्री विमान शामिल हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई मार्गों को उड़ान के दायरे में लाया गया।

उड़ान 4.0:

- 2020 में, देश के दूरदराज और क्षेत्रीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए RCS-

	UDAN के चौथे दौर के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई। ○ लक्षद्वीप के कावारत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप उड़ान 4.0 के नए मार्गों से जुड़ेंगे। **उड़ान 4.1:** ○ UDAN 4.1 विशेष हेलीकॉप्टर और सीप्लेन मार्गों के साथ-साथ छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने पर केंद्रित है। ○ सागरमाला सीप्लेन सेवाओं के तहत कुछ नए मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं। ○ सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। **अवश्य पढ़ें:** कृषि उड़ान **स्रोत:** पीआईबी
समर्थ (SAMARTH) अभियान	**संदर्भ:** केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया। **समर्थ अभियान के बारे में:** • समर्थ अभियान, जिसका अर्थ है सशक्त महिला, आत्मनिर्भर राष्ट्र। • यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) की एक संयुक्त पहल है। • **कवरेज:** यह अभियान देश भर की सभी 2.6 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करेगा और इसमें प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी। • स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की 1.25 करोड़ महिला सदस्यों सहित 2.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। **समर्थ अभियान की विशेषताएं:** • इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने और डिजिटल लेनदेन के लाभों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। • विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड जैसे आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप, भारत क्यूआर कोड आदि पर प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करता है। • निर्बाध लेनदेन के लिए बैंक खाते खोलने और आधार तथा मोबाइल नंबरों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। • बचत, ऋण, प्रेषण, सामाजिक सुरक्षा लाभ, सरकारी सब्सिडी आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजिटल लेनदेन को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। • पूर्वनिर्धारित संकेतकों के आधार पर ग्राम पंचायतों, एसएचजी, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), बैंक मित्रों आदि के प्रदर्शन की निगरानी और पुरस्कार देता है। **अवश्य पढ़ें:** कपड़ा मंत्रालय की समर्थ योजना, महिलाओं के लिए समर्थ पहल **स्रोत:** पीआईबी

IAS BABA
ONLINE
Baba's ILP Students 3 RANKS in TOP 30
KRITIKA GOYAL
Rank 14
G V S PAVANDATTA
Rank 22
GUNJITA AGRAWAL
Rank 26
Most Trusted
Integrated Learning Program (ILP) - 2024
The Most Comprehensive Self-Study Program
VAN (Comprehensive Notes for entire UPSC Syllabus)
1
2
Mains Tests-59 and Discussion Videos
Daily MICRO Planning
3
4
Dedicated Portal and App
5
Prelims Tests-67
6
Effective NewsPaper Reading Sessions
7
Answer writing forum & Model Answers
8
Infographics on important topics
ADMISSION OPEN
www.iasbaba.com
support@iasbaba.com
91691 91888

MAINS

राजव्यवस्था और शासन

भारत के स्मार्ट बिजली भविष्य पर स्विचिंग

संदर्भ: भारत में जल्द ही एक स्मार्ट ट्रांसमिशन सिस्टम होगा जिसमें दक्षता, आपदा तैयारी आदि में सुधार कर सकने वाली जैसी विशेषताएं शामिल होंगी।

स्मार्ट मीटर के बारे में:

- स्मार्ट मीटर उन्नत मीटर डिवाइस हैं जो विभिन्न अंतरालों पर ऊर्जा, पानी और गैस के उपयोग के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं और निश्चित संचार नेटवर्क के माध्यम से यूटिलिटी को डेटा संचारित कर सकते हैं,
- साथ ही मूल्य निर्धारण संकेतों जैसी उपयोगिताओं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं।

भारत का दृष्टिकोण:

- आंकड़ों के अनुसार, भारत में अभी 5.5 मिलियन से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और 100 मिलियन से अधिक स्वीकृत किए गए हैं।
- सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक 250 मिलियन पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में बदलना है।
- इस पहल का समर्थन करने के लिए, भारत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में वित्तीय रूप से मजबूत और कुशल बनने के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को परिणाम-लिंक्ड अनुदान-सह-वित्तपोषण प्रदान कर रहा है।

पारंपरिक बिजली मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटर के लाभ: ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं को पहले से ही कुछ प्रौद्योगिकी लाभ शुरू हो गया है।

- **सटीक बिल निकालना (Accurate billing):** स्मार्ट मीटर सटीक बिल निकालने में सक्षम होते हैं और अनुमानित बिल की आवश्यकता को समाप्त करते हैं, जिससे ग्राहकों को उनके ऊर्जा उपयोग के बारे में सटीक और पारदर्शी जानकारी मिलती हैं।
- **रीयल-टाइम डेटा:** स्मार्ट मीटर ऊर्जा खपत पर रीयल-टाइम डेटा प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक अपने उपयोग की निगरानी कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा खपत के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।
- **गतिशील मूल्य निर्धारण (Dynamic pricing):** स्मार्ट मीटर में गतिशील मूल्य निर्धारण को सक्षम करने की क्षमता होती है, जहां बिजली की दरें दिन के समय, मौसम या अन्य कारकों के आधार पर भिन्न होती हैं, जिससे ग्राहकों को सस्ती होने पर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और पीक आवर्स के दौरान मांग कम हो जाती है।
- **बेहतर ऊर्जा प्रबंधन:** स्मार्ट मीटर उपयोगिताओं को ऊर्जा आपूर्ति और मांग को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, बिजली कटौती को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की अनुमति देते हैं।
- **ऊर्जा चोरी का पता लगाना:** स्मार्ट मीटर ऊर्जा चोरी का पता लगाने और उस पर प्रतिक्रिया देने, उपयोगिताओं के नुकसान को कम करने और ऊर्जा लागत का उचित वितरण सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।
- **ग्राहक नियंत्रण:** स्मार्ट मीटर ग्राहकों को उनकी ऊर्जा खपत पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने ऊर्जा उपयोग को बेहतर ढंग से प्रबंधित और अपने बिल कम कर सकते हैं।

चुनौतियाँ:

- **उच्च पूंजीगत लागत:** स्मार्ट मीटरों की पूर्ण पैमाने पर तैनाती के लिए सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों, नेटवर्क बुनियादी ढांचे और नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर पर खर्च के साथ-साथ स्थापना और रखरखाव तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों से जुड़ी लागत की आवश्यकता होती है।
- **एकीकरण:** स्मार्ट मीटर को उपयोगिताओं की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें ग्राहक सूचना प्रणाली (सीआईएस), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), आउटेज प्रबंधन प्रणाली (ओएमएस), मोबाइल कार्यबल प्रबंधन (एमडब्ल्यूएम), वितरण स्वचालन प्रणाली (डीएएस) आदि शामिल हैं।
- **मानकीकरण:** अंतरसंचालनीयता मानकों को परिभाषित करने की आवश्यकता है, जो प्रौद्योगिकी, तैनाती और सामान्य संचालन के लिए समान आवश्यकताएं निर्धारित करते हैं।
- **विकिरण जारी करना (Release of Radiation):** इलेक्ट्रॉनिक मीटर के विपरीत, स्मार्ट मीटर उपभोक्ता और मीटर के बीच 'संचार' की अनुमति देता है, इसलिए विकिरण निकलने की संभावना होती है।

आगे की राह :

- भारत अपने उत्पादन स्रोतों को डीकार्बोनाइज करते हुए अपनी बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने की एक अनूठी राह पर है। स्मार्ट मीटर जिम्मेदार खपत, कुशल ऊर्जा प्रबंधन और वितरित ऊर्जा संसाधनों के लागत प्रभावी एकीकरण को सक्षम करने के माध्यम से संक्रमण टूलबॉक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल करते हैं।
- इसलिए, प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, भारत स्मार्ट मीटर तैनाती और उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार कर सकता है, जिससे स्मार्ट-मीटर क्रांति वास्तविकता बन सकती है।

भारत में ड्रग रिकॉल कानून

संदर्भ: विदेशों में भारतीय निर्मित दवाओं की हालिया विफलताओं (जैसे गाम्बिया घटना) ने भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग में ड्रग रिकॉल कानून के अभाव के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है।

ड्रग रिकॉल के बारे में:

- ड्रग रिकॉल से तात्पर्य वितरण या उपयोग से उत्पाद के एक बैच को हटाने या वापस लेने की कार्रवाई से है, जिसे निर्माता को वापस किया जाना है।
- यह कार्रवाई आम तौर पर उन मामलों में की जाती है जहां दवाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता या प्रभावकारिता में कमियां पाई जाती हैं।
- भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादकों का संगठन (ओपीपीआई) रिकॉल को इस प्रकार परिभाषित करता है।

भारत में ड्रग रिकॉल कानून की स्थिति:

- भारत 1976 से घटिया दवाओं के लिए एक अनिवार्य रिकॉल कानून बनाने पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई कानून बना नहीं है जो ऐसी दवाओं को बाजार से हटाने का आदेश देता हो।
- 1976 में, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) ने विभिन्न राज्य नियामकों के साथ ड्रग रिकॉल के मुद्दे पर चर्चा की, हालांकि, उनमें से किसी ने भी अनिवार्य रिकॉल तंत्र बनाने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में संशोधन नहीं किया।
- 2012 में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने ड्राफ्ट रिकॉल दिशानिर्देशों का एक सेट प्रस्तावित किया था, लेकिन राष्ट्रीय नियामक के पास दिशानिर्देशों को बाध्यकारी कानून में बदलने की शक्ति नहीं है।
- रिकॉल का मुद्दा 2016 में डीसीसी की बैठकों और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) नामक एक अन्य समिति में फिर से उठा।
    - जमीनी आधार पर कुछ नहीं बदला। यही मुद्दा 2018 और 2019 में डीसीसी की बैठकों में फिर से उठा, लेकिन 46 साल बाद भी भारत में अभी भी रिकॉल कानून का अभाव है।

भारत में ड्रग रिकॉल कानून के अभाव के कारण:

- **अधिकारियों की अक्षमता (Incompetence of authorities):** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का औषधि विनियमन अनुभाग उदासीनता, विशेषज्ञता की कमी आदि कारकों के संयोजन के कारण जटिल दवा नियामक मुद्दों से निपटने में असमर्थ है।
- **निहित स्वार्थ:** ऐसे संकेत मिले हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने की तुलना में दवा उद्योग के विकास को सक्षम बनाने में अधिक रुचि है।
    - ऐसा माना जाता है कि कड़े विनियमन से फार्मास्युटिकल उद्योग की वृद्धि धीमी हो सकती है।

- **खंडित नियामक संरचना:** भारत में नियामक संरचना अत्यधिक खंडित है, प्रत्येक राज्य का अपना दवा नियामक है।
    - लेकिन विखंडन के बावज़ूद एक राज्य में निर्मित दवाएँ देश भर के सभी राज्यों में बेची जा सकती हैं।
- **केंद्रीकृत नियामक का विरोध:** दवा उद्योग और राज्य दवा नियामकों दोनों ने नियामक शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण का विरोध किया है।
    - एक राज्य में नियामक की अक्षमता दूसरे राज्यों के रोगियों के लिये प्रतिकूल हो सकती है, जहाँ नागरिकों के पास अक्षम नियामक को जवाबदेह ठहराने की शक्ति अथवा चयन क्षमता की कमी होती है।
- **फार्मा कंपनियों के लिए खराब प्रचार:** दवा वापसी से कंपनियों को मीडिया में उत्पाद का प्रचार करना अनिवार्य हो जाएगा, जिससे फार्मा कंपनियों के लिए खराब प्रचार होगा।
    - इससे न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान होगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को भी ठेस पहुंचेगा।

भारत में औषधि और फार्मास्युटिकल क्षेत्र को विनियमित करने वाले वर्तमान कानून:

- **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन:** यह भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) है।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के विनियमन के लिए केंद्रीय और राज्य नियामकों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
    - इसमें दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों को विनियमित करके रोगियों की सुरक्षा, अधिकार और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के समान कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।
- CDSCO, राज्य नियामकों के साथ, रक्त और रक्त उत्पादों, आई. वी. तरल पदार्थ, टीके एवं सीरम (Sera) जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिये ज़िम्मेदार है।
- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940:** यह भारत में दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है।
- **फार्मेसी अधिनियम, 1948:** इसका उद्देश्य भारत में फार्मेसी के पेशे को विनियमित करना है।
- **ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954:** यह दवाओं से संबंधित विज्ञापनों को नियंत्रित करने का प्रावधान करता है; यह जादुई गुणों वाले कथित उपचारों के विज्ञापन पर रोक लगाता है।
- **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:** यह स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन से संबंधित अधिनियम है।
- **राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण:** यह भारत सरकार का एक संगठन है जिसकी स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ नियंत्रित थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय/संशोधित करने तथा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत देश में दवाओं की कीमतों और उपलब्धता को लागू करने के लिए की गई थी।
    - संगठन को उपभोक्ताओं से नियंत्रित दवाओं के लिए निर्माताओं द्वारा अधिक वसूली गई राशि की रिकवरी करने का भी काम सौंपा गया है। यह अनियंत्रित दवाओं की कीमतों को उचित स्तर पर रखने के लिए उनकी निगरानी भी करता है।

सुझावात्मक उपाय

राष्ट्रीय ड्रग रिकॉल कानून :

- भारत को यह सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ड्रग रिकॉल कानून होना आवश्यक है कि एक बार दवा का मानक गुणवत्ता विहीन (Not of Standard Quality- NSQ) होने का पता चलने पर पूरे बैच को बाज़ार से हटा दिया जाना चाहिये।

केंद्रीय औषधि नियामक:

- एक केंद्रीय दवा नियामक की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय रिकॉल को क्रियान्वित और समन्वयित कर सके।

विनिर्माण सुविधाओं का निरीक्षण:

- गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टरों को वार्षिक आधार पर विनिर्माण सुविधाओं का निरीक्षण करना आवश्यक है।
- संभव है कि कई राज्यों में ऐसा करने की क्षमता और प्रशिक्षण की कमी हो।
- लेकिन बड़ी समस्या, वास्तव में जीएमपी मानकों को लागू करने की अनिच्छा है क्योंकि यह कई एसएमई फार्मा कंपनियों को व्यवसाय से बाहर कर देगी।

स्वास्थ्य सक्रियता

- भारतीय समाज के किसी भी अन्य पहलू की तरह, सक्रियता किसी भी नीतिगत मुद्दे पर सुई को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यह स्वीकार करना होगा कि दवा विनियमन में कोई समस्या और प्रणालीगत सुधार के लिए पूछना होगा।
- फिलहाल, यह स्वीकार करने में भी अनिच्छा दिखाई देती है कि भारत में दवा की गुणवत्ता को लेकर कोई समस्या है।

स्रोत: द हिंदू

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून

संदर्भ: द केरल स्टोरी फिल्म पर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के संबंध में आंकड़े जारी किए हैं।

- सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच धर्मांतरण से जुड़े 427 मामले सामने आए।

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून की स्थिति:

- भारत में कई धर्मांतरण विरोधी कानून हैं जो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। ये कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं, और कानूनों के विशिष्ट प्रावधान काफी भिन्न हो सकते हैं।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद-25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
  o यह सभी धार्मिक समूहों को सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य और व्यवस्था के अधीन अपने धार्मिक मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार भी देता है।
- **मौजूदा कानून:** धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।
  o हालाँकि वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने हेतु संसद में निजी विधेयक पेश किये गए।
- इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी शक्ति नहीं है।
  o वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने हेतु 'धार्मिक स्वतंत्रता' संबंधी कानून बनाए हैं।
- सामान्य तौर पर, हालांकि, भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के अनुसार दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के इच्छुक व्यक्तियों को ऐसा करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।
  o कुछ राज्यों में दूसरों की तुलना में अधिक कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून हैं, और कुछ राज्यों में ऐसे प्रावधान हैं जो विशेष रूप से कुछ धार्मिक समूहों या गतिविधियों को लक्षित करते हैं।
- हाल के वर्षों में, भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के उपयोग पर महत्वपूर्ण विवाद और बहस हुई है।
  o कुछ लोगों का तर्क है कि ये कानून देश की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की रक्षा के लिए आवश्यक हैं,
  o जबकि दूसरों का मानना है कि उनका उपयोग अल्पसंख्यक धर्मों को दबाने और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए किया जाता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून तब तक संवैधानिक हैं जब तक उनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जाता है।
  o हालाँकि, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इन कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों को निशाना बनाने और उन पर अत्याचार करने के लिए किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 1960 के दशक में रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अक्सर हवाला दिया जाता है।
- भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे ने अनुच्छेद 25 का विच्छेदन करते हुए कहा कि "अनुच्छेद अन्य व्यक्तियों को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि अपने सिद्धांतों की व्याख्या करके किसी के धर्म को प्रसारित या फैलाने का अधिकार देता है।"
- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जबरन धर्म परिवर्तन "खतरनाक" है और वे राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
- इसने केंद्र सरकार से "कदम उठाने" का आग्रह किया और अदालत को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों से अवगत

कराया।

धर्मांतरण विरोधी के पक्ष में तर्क:

- ये कानून केवल जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाते और दंडित करते हैं।
- अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार 'किसी धर्म का प्रचार करने का अधिकार' जबरन धर्मांतरण तक विस्तारित नहीं है।
- किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

धर्मांतरण विरोधी तर्क:

- कुछ कार्यकर्ताओं के अनुसार "ऐसे कानूनों का इस्तेमाल धार्मिक अल्पसंख्यकों और अंतरधार्मिक जोड़ों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है"।
- इन कानूनों का उपयोग स्वैच्छिक धर्मांतरण को भी लक्षित करने और अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकारों "विवेक की स्वतंत्रता (Freedom of conscience)" पर अंकुश लगाने के लिए किया जाएगा।
- ये अधिनियम तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21" के तहत मौलिक अधिकारों के भी विरुद्ध हैं।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- भारतीय संविधान व्यक्तियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है जैसा कि वे इनकी व्याख्या करते हैं।
- सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए, भारत ने भी धर्म की शक्ति और राज्य की शक्ति को अलग करने की रणनीति अपनाई।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 28: कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता।

आगे की राह :

धर्म के अधिकार में अन्य लोगों को विशेष रूप से धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन और अन्य तरीकों से किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं था। प्रलोभन और बल के प्रयोग को रोकने के लिए धर्मांतरण कानूनों को मजबूत किया जाना चाहिए और यह उचित भी है, लेकिन अपराधियों की पहचान करते समय उन्हें धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।

स्रोत: द हिंदू

क्या भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार करना चाहिए?

संदर्भ: वैश्विक स्तर पर सौर और पवन ऊर्जा के अधिक लोकप्रिय होने के साथ, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या परमाणु ऊर्जा, जो कि जीवाश्म मुक्त है, लागत और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के साथ, विशेष रूप से भारत में भविष्य के लिए एक प्रासंगिक विकल्प है।

परमाणु ऊर्जा के बारे में:

- परमाणु ऊर्जा एक परमाणु के नाभिक या कोर में पाया जाने वाला ऊर्जा स्रोत है। एक बार निकाले जाने के बाद, इस ऊर्जा का उपयोग दो प्रकार की परमाणु प्रतिक्रिया के माध्यम से रिएक्टर में परमाणु विखंडन बनाकर बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है:
  - परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन।

परमाणु ऊर्जा के लिए वैश्विक दृष्टिकोण:

- पिछले दो वर्षों में परमाणु ऊर्जा के लिए एक प्रकार का पुनर्जागरण हुआ है, यहां तक कि यूरोप और अमेरिका में भी इसे देखा जा सकता है, विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के बाद।
- चीन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने 2030 तक देश के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाने के लिए ऊर्जा नीति में बदलाव किया है।
- फुकुशिमा दुर्घटना का सामना करने के बावजूद जापान ने रिएक्टरों को फिर से चालू कर दिया है और दस और रिएक्टर शुरू करने की योजना बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान को अन्यथा महंगे आयातित कोयले या प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर निर्भर रहना

पड़ता।

- ब्रिटेन ने भी कहा है कि बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए परमाणु ऊर्जा को बढ़ाना आवश्यक है।

भारत की परमाणु शक्ति:

- भारत में वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर हैं और एक दर्जन से अधिक परियोजनाओं की योजना है।
- सभी मौजूदा रिएक्टर राज्य के स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा संचालित होते हैं।
- वर्तमान में परमाणु ऊर्जा भारत की कुल बिजली उत्पादन का 3% शामिल है और वर्तमान नीति 2032 तक परमाणु-स्थापित क्षमता में तीन गुना वृद्धि का लक्ष्य रखती है।
- निर्माणाधीन और स्वीकृत परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक 6,780 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी।

परमाणु दायित्व को नियंत्रित करने वाला कानून

अनुपूरक मुआवजे पर कन्वेंशन (सीएससी):

- अनुपूरक मुआवज़े पर छत्र कन्वेंशन (सीएससी) को न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवज़ा राशि स्थापित करने के उद्देश्य से 1997 में अपनाया गया था।
- परमाणु घटना से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राष्ट्रीय राशि अपर्याप्त होने पर राशि को सार्वजनिक धन के माध्यम से और बढ़ाया जा सकता है, (अनुबंध करने वाले दलों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा)।

परमाणु क्षति अधिनियम (सीएलएनडीए) के लिए भारत का नागरिक दायित्व:

- भले ही भारत सीएससी का हस्ताक्षरकर्ता था, संसद ने केवल 2016 में इस सम्मेलन की पुष्टि की।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप रहने के लिए, भारत ने परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा तंत्र स्थापित करने हेतु 2010 में परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (सीएलएनडीए) लागू किया।
- सीएलएनडीए परमाणु संयंत्र के संचालक पर सख्त और बिना किसी गलती वाले दायित्व का प्रावधान करता है, जहां उसे अपनी ओर से किसी भी गलती की परवाह किए बिना क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

परमाणु ऊर्जा के लाभ:

कुशल बिजली आपूर्तिकर्ता:

- परमाणु ऊर्जा में ऊर्जा घनत्व अधिक होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे कोयला या प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्रों की तुलना में कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है।
- यह अंतरिक्ष अभियानों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिसमें भारी माल नहीं होना चाहिए, जिससे उनके लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचना मुश्किल हो जाए।

अन्य ऊर्जा स्रोतों के साथ सह-अस्तित्व:

- कई देशों का मानना है कि परमाणु ऊर्जा मिश्रण में होना अच्छा होगा क्योंकि यह दृढ़, प्रेषण योग्य शक्ति प्रदान करता है, जबकि हवा और सौर रुक-रुक कर या परिवर्तनशील होते हैं।
- फर्म पावर वह पावर है जिसे जरूरत पड़ने पर आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिड में भेजा जा सकता है।

नई मशीनों की दक्षता:

- पुराने डिज़ाइनों के लिए सक्रिय शीतलन पंपों की आवश्यकता होती थी, लेकिन दुनिया में अब ऐसी प्रणालियाँ हैं जो, भले ही बिजली विफल हो जाए, धीरे-धीरे और शानदार ढंग से तापमान, अपशिष्ट-गर्मी आदि को नियंत्रित करेगी।
- इतिहास की सबसे भयानक परमाणु आपदा, चेरनोबिल, एक ऐसा डिज़ाइन था जिसे फिर कभी दोहराया नहीं जाएगा।

परमाणु ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियाँ:

सुरक्षा चिंताएं:

- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जिसका मुख्य कारण परमाणु दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणाम हैं।
- चेर्नोबिल और फुकुशिमा में हुए हादसे आज भी लोगों के दिमाग में ताजा हैं।

- भले ही तब से परमाणु सुरक्षा में सुधार हुआ है, मानवीय त्रुटि, प्राकृतिक आपदाओं, या परमाणु दुर्घटनाओं की ओर ले जाने वाली अन्य घटनाओं की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

परमाणु प्रसार:

- परमाणु ईंधन उत्पादन के लिए यूरेनियम के संवर्धन का उपयोग परमाणु हथियार विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है।
- इसलिए, जिन देशों के पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, उन्हें परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अपनी परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा के बारे में बेहद सतर्क रहना चाहिए।

दायित्व संबंधी मुद्दे:

- परमाणु दायित्व कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है। परमाणु दुर्घटना की स्थिति में दायित्व का प्रश्न उठता है।
- यह मुद्दा महाराष्ट्र के जैतापुर में यूरोपीय दबावयुक्त रिएक्टर स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ भारत के सौदे में बाधा बन गया है।

लागत में वृद्धि:

- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन की लागत एक और महत्वपूर्ण चुनौती है।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की लागत सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की लागत से अधिक है।

रेडियोधर्मी कचरे:

- परमाणु ऊर्जा संयंत्र रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं जिन्हें पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है।
- परमाणु कचरे का निपटान एक विवादास्पद मुद्दा है, जिसका अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाया है।

आगे की राह :

- हालाँकि परमाणु ऊर्जा से जुड़ी सुरक्षा, लागत और अपशिष्ट के बारे में चिंताएँ हैं, यह बेस-लोड बिजली का कम कार्बन स्रोत बना हुआ है। भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले का प्रभुत्व है, जिसका पर्यावरण और स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से कोयले पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिसके गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य परिणाम होंगे।
- इसलिए, परमाणु ऊर्जा को कम से कम अल्प से मध्यम अवधि में भारत के ऊर्जा मिश्रण का हिस्सा बने रहना चाहिए। हालाँकि, भारत को लंबी अवधि में जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश जारी रखना चाहिए।

स्रोत: द हिंदू

आदर्श कारागार अधिनियम 2023

संदर्भ: गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) की सिफारिशों पर 'मॉडल जेल अधिनियम 2023' तैयार किया है।

आदर्श कारागार अधिनियम 2023 के बारे में:

- मॉडल कारागार अधिनियम 2023 में 'जेल अधिनियम, 1894', 'कैदी अधिनियम, 1900' और 'कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950' के प्रासंगिक प्रावधानों को समाहित किया गया है।
  o इन तीन अधिनियमों को मॉडल कारागार अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- यह राज्यों के लिए और उनके अधिकार क्षेत्र में अपनाने के लिए एक "मार्गदर्शक दस्तावेज़" के रूप में काम करेगा।
- इसका उद्देश्य कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेल प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन करना है।

नए अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:

- कारागारों में मोबाइल फोन जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं के इस्तेमाल पर कैदियों और कारागार कर्मचारियों के लिये दंड का प्रावधान।
- उच्च सुरक्षा वाले कारागारों, खुले कारागारों (खुले एवं अर्द्ध खुले) की स्थापना एवं प्रबंधन।
- कुख्यात और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज को सुरक्षित रखने के प्रावधान।
- अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिये कैदियों को कानूनी सहायता, पैरोल, फर्लो और समय से पहले रिहाई प्रदान करना।
- कैदियों का सुरक्षा मूल्यांकन और अलगाव, किसी व्यक्ति की सज़ा का निर्धारण; शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव एवं महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर आदि के लिये अलग आवास का प्रावधान।

- कारागार प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान, न्यायालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान, कारागारों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी हस्तक्षेप आदि का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान कानूनी स्थिति:

- **संविधान:** 'जेल'/'उनमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत एक "राज्य-सूची" विषय है।
  o जेलों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
- **कानून:** जेल अधिनियम-1894 आजादी से पहले के काल का अधिनियम है और लगभग 130 वर्ष पुराना है।
  o दो अन्य संबंधित कानून - कैदी अधिनियम, 1900 और कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 भी दशकों पुराने हैं।
  o कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 भी है।
- **जेलों के प्रकार:** भारत में जेलों की संख्या 1,000 से अधिक है जिन्हें केंद्रीय जेलों, जिला जेलों, उप-जेलों, किशोर और महिला जेलों के साथ-साथ खुली जेलों/शिविरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत में कारागार से संबंधित मुद्दे: :

- **मौजूदा कानूनों के मुद्दे:** मौजूदा अधिनियम मुख्य रूप से अपराधियों को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था लागू करने पर केंद्रित है।
  o मौजूदा अधिनियम में कैदियों के सुधार और पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है।
- **विचाराधीन कैदी:** कैदियों में अधिकतर विचाराधीन कैदी शामिल होते हैं। ये अक्सर कानून के छोटे और तकनीकी उल्लंघनों में शामिल वंचित पृष्ठभूमि के लोग होते हैं जिन्हें जमानत और/या अच्छे कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए भुगतान करने में असमर्थता के कारण जेल में रखा जाता है।
- **कारागार में क्षमता से अधिक भीड़:** भारत की जेलें अत्यधिक भीड़भाड़ से पीड़ित हैं। 31.12.2004 को भारत की जेलों की आबादी 331,391 थी, जो प्रति एक लाख भारतीयों पर 30 की जेल आबादी को दर्शाती है और जेल की ऑक्यूपेंसी (jail occupancy) स्तर क्षमता का 139% था।
- **ख़राब स्थितियाँ:** कई जेलों की स्थिति इतनी भयावह है कि इसे मानवीय गरिमा के साथ-साथ कैदियों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।
  o अपर्याप्त आवास और स्वच्छता सुविधाओं के कारण दोषियों को ढहती इमारतों में लंबे समय तक कैद में रखा जाता है।
- **शक्तिशाली लोगों के लिए विशेषाधिकार:** विरोधाभासी रूप से, कुछ व्यक्ति, जो शक्तिशाली हैं, उन्हें असाधारण सुविधाओं का आनंद लेने की अनुमति है जो नियमों के तहत अनुमति नहीं है।
- **पैरोल का दुरुपयोग:** पैरोल और सजाओं में छूट के प्रावधानों के दुरुपयोग के मुद्दे का सार्वजनिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि अंधाधुंध और लापरवाही से पैरोल देने या सजाओं में छूट देने से सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सुझावात्मक उपाय:

- अहिंसक अपराधियों के लिए कारावास के विकल्प, जैसे डायवर्जन कार्यक्रम और समुदाय-आधारित सजा, की खोज करके जेल में भीड़भाड़ की समस्या का समाधान करना।
- **कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच:** यह सुनिश्चित करना कि कैदियों को अपने अधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्ष सुनवाई की सुविधा के लिए कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व तक पहुंच मिले।
  o कैदियों के बीच उनके कानूनी अधिकारों और निवारण पाने के तरीकों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- **जेल स्वास्थ्य देखभाल:** मानसिक स्वास्थ्य सहायता और मादक द्रव्यों के सेवन उपचार कार्यक्रमों सहित जेलों के भीतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ाना।
- **जेलों में महिलाएं और बच्चे:** महिला कैदियों के लिए लैंगिक-उत्तरदायी नीतियां और अलग आवास बनाना, उनकी सुरक्षा, गोपनीयता और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **सामुदायिक पुनर्एकीकरण:** समाज में रिहा किए गए कैदियों के पुनर्एकीकरण का समर्थन करने के लिए समुदाय-आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग करना।
- प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधान: जेल प्रबंधन, रिकॉर्ड-कीपिंग और संचार प्रणालियों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

स्रोत: द हिंदू

सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के रुख को कैसे वैध ठहराया है?

अब तक की कहानी: बैलों से जुड़े पारंपरिक ग्रामीण खेल जल्लीकट्टू को न्यायिक मंजूरी मिल गई है।

- सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि कड़े नियमों के साथ खेल के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में 2017 में किया गया संशोधन वैध है।
- इस प्रकार, अदालत ने इस सवाल का निपटारा किया है कि क्या इस खेल को इस आधार पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि इसमें जानवरों के प्रति अनावश्यक क्रूरता शामिल है और पशु अधिकारों का उल्लंघन होता है।
- यह फैसला गोवंश से जुड़े अन्य खेलों जैसे कर्नाटक में कंबाला (भैंस दौड़) और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर भी लागू है।

जल्लीकट्टू के बारे में:

- यह एक प्राचीन 'खेल' या बैल को वश में करने की घटना है जो आमतौर पर तमिलनाडु में चार दिवसीय पोंगल त्योहार के तीसरे दिन, मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में प्रचलित है।
- जल्ली सोने या चांदी के सिक्कों को संदर्भित करता है, कट्टू का मतलब है 'बांध'।
- इसलिए, एक साथ मिलकर इसमें सिक्कों को बैल के सींग से बाँधा जाता है, जो कि बैल को वश में करने वाले के लिए पुरस्कार माना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इसका अभ्यास लगभग 2500 साल पहले किया गया था।
- यह विवादास्पद है क्योंकि इस खेल के परिणामस्वरूप अक्सर गंभीर चोटें और यहां तक कि मौत भी हो जाती हैं।
- यह जनवरी के महीने में तमिल फसल उत्सव, पोंगल के दौरान मनाया जाता है।

क्या जल्लीकट्टू के प्राचीन काल से आयोजित होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है?

- जल्लीकट्टू को तमिल शास्त्रीय काल (400-100 ईसा पूर्व) के दौरान प्रचलित माना जाता है।
- यह प्राचीन तमिल देश के 'मुल्लई' भौगोलिक डिवीज़न में रहने वाले अय्यर लोगों के बीच आम था।
- बाद में, यह बहादुरी के प्रदर्शन का एक मंच बन गया और भागीदारी प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार राशि की शुरुआत की गई।
- इस प्रथा को दर्शाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुहर राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संरक्षित है।
- मदुरै के पास सफेद काओलिन की एक गुफा पेंटिंग मिली है जिसमें एक अकेले आदमी को बैल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, जो लगभग 1,500 साल पुराना है।

तमिल संस्कृति में जल्लीकट्टू क्यों महत्वपूर्ण है?

- **देशी नस्लों का संरक्षण:** जल्लीकट्टू को किसान समुदाय के लिए अपने शुद्ध नस्ल के देशी बैलों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है।
- **वध को रोकना:** ऐसे समय में जब मवेशी प्रजनन अक्सर एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है, संरक्षणवादियों और किसानों का तर्क है कि जल्लीकट्टू इन नर जानवरों की रक्षा करने का एक तरीका है, जो अन्यथा केवल मांस के लिए उपयोग किया जाता है यदि जुताई के लिए नहीं होता है।
- **प्रीमियम नस्लों के पालन से जुड़ा गौरव:** कंगायम, पुलिकुलम, उम्बालाचेरी, बरुगुर और मलाई माडु जल्लीकट्टू के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय देशी मवेशियों की नस्लों में से हैं। इन प्रीमियम नस्लों के मालिकों को स्थानीय स्तर पर सम्मान मिलता है।
- **कृषि अर्थव्यवस्था:** ऐसे खेलों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था मवेशियों की गुणवत्ता, पशुपालकों के प्रजनन कौशल, कृषि अर्थव्यवस्था में मवेशियों की केंद्रीयता और किसानों के लिए उनके द्वारा लाई जाने वाली शक्ति और गौरव को प्रदर्शित करने के बारे में है।
- **तमिल संस्कृति का प्रतीक:** पोंगल के साथ जल्लीकट्टू के जुड़ाव ने इसे इसके क्षेत्रीय और सामुदायिक मूल से ऊपर कर दिया है और इसे तमिल संस्कृति और गौरव के प्रतीक में बदल दिया है। ऐसे खेल इस राजनीतिक अर्थव्यवस्था की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हैं। एक परंपरा के रूप में, यह कृषक लोगों को उनके व्यवसाय के मौलिक पहलू से जोड़ता है।
- **राजनीतिक विमर्श को आकार देना:** तमिल संस्कृति पर गर्व द्रविड़ राष्ट्रवाद का केंद्र है, जो तमिलनाडु में राजनीतिक विमर्श को आकार देता है।
- **सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और निरंतरता:** यह दिखाने के लिए ठोस सबूत मौजूद हैं कि मनुष्य और जानवर के बीच यह लड़ाई एक सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व है।

जल्लीकट्टू पर क्या हैं विवाद?

- **नैतिक मुद्दे:** भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की एक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि "जल्लीकट्टू स्वाभाविक रूप से जानवरों के लिए क्रूर है"।

- **मानव मृत्यु:** इस घटना के कारण कई मानव मौतें और चोटें हुई हैं और बैलों की मृत्यु के भी कई उदाहरण हैं।
- **जानवरों के प्रति क्रूरता:** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एडब्ल्यूबीआई द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में दी गई अकल्पनीय यातना पर प्रकाश डाला गया - पूंछ को मोड़ना और अलग करना, आंखों में रसायन डालना, कानों को विकृत करना, जानवर को मारने के लिए तेज धार वाले हथियारों का इस्तेमाल करना।
- **जानवरों के साथ दुर्व्यवहार:** पशु कल्याण संबंधी चिंताएँ सांडों को छोड़ने से पहले और सांड को वश में करने के प्रतिस्पर्धी के प्रयासों के दौरान उनकी देखभाल से संबंधित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने खेल पर प्रतिबंध क्यों लगाया?

- संविधान के तहत जानवरों के लिए अधिकार न्यायशास्त्र स्थापित करने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू और जानवरों से जुड़े इसी तरह के खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया।
- इसने खेल को विनियमित करने वाले तमिलनाडु कानून को जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के केंद्रीय कानून के प्रतिकूल माना।
- इसने कहा कि अधिनियम इस अर्थ में "मानवकेंद्रित" था कि यह आयोजकों, दर्शकों और प्रतिभागियों के हितों की रक्षा करना चाहता था, न कि जानवरों की।
- दूसरी ओर, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पीसीए) एक "इकोसेंट्रिक" कानून था। बेंच ने फैसला सुनाया कि राज्य कानून के प्रावधान तीन तरीकों से केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थे:
    - यह किसी भी जानवर की देखभाल या देखभाल करने वाले किसी भी व्यक्ति के उसकी भलाई सुनिश्चित करने और अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकने के वैधानिक कर्तव्य के खिलाफ था।
    - केवल मनोरंजन के लिए जानवरों का उपयोग करने और उन्हें लड़ने के लिए उकसाने पर रोकना
    - प्रदर्शन करने वाले जानवरों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध।
- अदालत ने पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जानवरों के लिए मान्यता प्राप्त 'पांच स्वतंत्रताओं' का हवाला दिया और कहा कि इन स्वतंत्रताओं को पीसीए में पाए गए पशु अधिकारों के पक्ष में प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए-
    - भूख, प्यास और कुपोषण से मुक्त ;
    - भय और संकट से मुक्त;
    - शारीरिक और तापीय असुविधा से मुक्त;
    - दर्द, चोट और बीमारी से मुक्ति;
    - व्यवहार के सामान्य पैटर्न को व्यक्त करने की स्वतंत्रता
- इसके अलावा, ये अधिकार और स्वतंत्रताएं संविधान में मौलिक कर्तव्यों से आती हैं, अर्थात, अनुच्छेद 51ए(जी), जो नागरिकों पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करने और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने का कर्तव्य रखता है।

तमिलनाडु की प्रतिक्रिया क्या थी?

- लगातार वर्षों तक जल्लीकट्टू के आयोजन को सुविधाजनक बनाने में सरकार की विफलता के खिलाफ जनवरी 2017 में एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया, जिसमें हजारों लोगों, विशेषकर युवाओं ने कई दिनों तक चेन्नई में मरीना की रेत पर कब्जा कर लिया। इससे जल्लीकट्टू के लिए समर्थन में वृद्धि हुई।
- तत्कालीन मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम की सरकार विधायी कदम उठाने पर सहमत हुई। केंद्र सरकार के सहयोग से, उसने एक अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व निर्देश प्राप्त किया, जिसमें 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार को हटाने की मांग की गई थी।
- केंद्रीय कानून के प्रति प्रतिकूलता से बचने के लिए, अध्यादेश, जिसे कुछ ही दिनों में एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, को पीसीए में राज्य-विशिष्ट संशोधन के रूप में अपनाया गया।
- इसे इस तरह से तैयार किया गया था कि जल्लीकट्टू को परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने और पालन करने तथा बैलों की देशी नस्लों को संरक्षित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- जल्लीकट्टू पर पीसीए प्रावधानों की प्रयोज्यता को हटाने के लिए इसके खंड तैयार किए गए थे।
- इसने खेल को उन कृत्यों की सूची में एक और अपवाद के रूप में जोड़ा, जिन्हें पीसीए स्वयं अनुमति देता है, जो क्रूरता की श्रेणी में नहीं आते हैं (अन्य अपवादों में सींग काटना, बधिया करना और आवारा कुत्तों तथा अन्य जानवरों को खत्म करना शामिल है)।
- इसने प्रदर्शन के लिए जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध को जल्लीकट्टू के लिए अनुपयुक्त बना दिया, इसके अलावा खेल को कुछ जानवरों

को प्रदर्शन करने वाले जानवरों के रूप में उपयोग करने के नियम से 'छूट' की सूची में शामिल किया।

- राष्ट्रपति की सहमति के साथ, संशोधन तमिलनाडु में कानून बन गया।

अब SC का फैसला क्या कहता है?

संविधान पीठ ने अपने ताजा फैसले में इस बुनियादी तर्क को स्वीकार कर लिया है कि जल्लीकट्टू तमिलों की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है।

- यह देखा गया कि न्यायपालिका इस सवाल की जांच नहीं कर सकती है कि क्या कुछ परंपरा और संस्कृति का हिस्सा था, और वह इस संबंध में विधायिका के दृष्टिकोण को मानेगी।
- इस बिंदु पर, यह 2014 के फैसले से भिन्न था जिसने इस दावे को खारिज कर दिया था कि खेल का सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्य था। इसने संशोधन अधिनियम को बरकरार रखते हुए कहा कि इसने अब गोजातीय खेल को वैध बना दिया है और इसे छद्म विधायन (colorable legislation) का टुकड़ा नहीं कहा जा सकता है।
- अदालत ने याद दिलाया कि 2014 के फैसले में उस समय क्रूरता के समान कृत्यों का हवाला देकर खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालाँकि, स्थिति अब अलग थी, संविधान पीठ ने कहा, क्योंकि राज्य संशोधन के बाद जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं।
- इसने फैसला सुनाया कि राज्य कानून को इन आयोजनों के आयोजन के लिए बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, अब ऐसा कोई वैधानिक उल्लंघन नहीं है जिसके लिए जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- विशेष रूप से, इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा बनाए गए कड़े नियमों ने संबंधित राज्यों में जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ के "अपमानजनक तत्वों" को समाप्त कर दिया है। इसमें कहा गया है कि ये बदलाव क्रूरता की संभावना को कम और पशु अधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं को दूर करते हैं।

स्रोत: द हिंदू

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत के बहु-संरेखण स्टैंड के साथ समस्या

संदर्भ: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता की नीति एक बहु-संरेखण दृष्टिकोण में विकसित हुई है।

भारत के बहु-संरेखण स्टैंड के बारे में

भारत के गुटनिरपेक्ष स्टैंड की उत्पत्ति:

- 1950 के दशक में "गुटनिरपेक्ष" आंदोलन के बाद से क्षेत्रीय आर्थिक और सुरक्षा समूहों के गठन और इसमें शामिल होने की भारतीय सोच में एक प्रगतिशील विकास हुआ है।
- इसके बाद, भारत "गुटनिरपेक्ष आंदोलन" (NAM) में एक अग्रणी खिलाड़ी बना रहा।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के 120 सदस्यों ने दावा किया कि वे अमेरिका और USSR के बीच "महान शक्ति" प्रतिद्वंद्विता में नहीं फंसेंगे।

भारत का वर्तमान बहु-संरेखण स्टैंड:

रूस के साथ:

- 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के कारण नए समूह और गठबंधन बने।
- लेकिन अब हम खुशी-खुशी उस स्थिति में हैं जहां हम सभी प्रमुख वैश्विक शक्ति केंद्रों के साथ अलग-अलग तरीकों से भागीदार हैं। आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक एकीकरण आज सहयोग के पुल के रूप में कहीं अधिक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

पश्चिम एशिया:

- हाल के दिनों में लिया गया सबसे उल्लेखनीय निर्णय, हाल ही में स्थापित I2U2 समूह की पहली शिखर बैठक के बाद था, जिसमें भारत, इज़राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे।
- यह पहली बार है जब भारत और अमेरिका ने जल संसाधनों, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अंतरिक्ष के उपयोग पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दो पश्चिम एशियाई देशों की भागीदारी की है।

यूएसए और क्वाड:

- भारत खुद को अमेरिका और जापान के साथ अतीत की तुलना में कहीं अधिक निकटता से जुड़ा हुआ पाता है, एक ऐसी विश्व व्यवस्था में जो पहले की तुलना में अधिक चीन-केंद्रित होती जा रही है।
- यह चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड का तर्क रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं।

दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र:

- भारत का आसियान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है, जबकि नई दिल्ली ने, समझने योग्य कारणों से, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में शामिल नहीं होने का विकल्प चुना है, जिसमें आसियान सदस्यों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन सहित 15 पूर्वी एशियाई और प्रशांत राष्ट्र शामिल हैं।

यूरेशिया:

- भारत के पास शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की सदस्यता है, जो बीजिंग में सचिवालय के साथ यूरेशियाई राष्ट्रों का एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

यूक्रेन-रूस संघर्ष पर भारत का दृष्टिकोण:

- भारत सक्रिय रूप से यूक्रेन के साथ जुड़ रहा है और रूस के साथ चल रहे संघर्ष के सामने राष्ट्र के साथ एकजुटता व्यक्त करता रहा है।
  o यह रूस के साथ चीन के संबंधों को मजबूत करने के लिए मास्को के साथ चीन के कदम के विपरीत है।
- भारत यूक्रेन में शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और खुद को संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में देखता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका इस जुड़ाव को महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि यह संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के साथ संरेखित होता है और दोनों देशों की स्थिति को करीब लाने में मदद करता है।

भारत की अस्पष्टता के कारण:

- यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति सूक्ष्म है और रूस के साथ उसके पारंपरिक संबंधों और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच एक संतुलनकारी कार्य को दर्शाती है।
- जबकि भारत ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई पर असहमति जताई है।
  o इसने संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों में इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने से परहेज किया है, जो रूस पर भारत की सैन्य और भू-राजनीतिक निर्भरता के कारण हो सकता है।
  o हालाँकि, संप्रभुता पर भारत के विचार सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य वेस्टफेलियन धारणाओं के साथ संरेखित हैं और चीन के 'शक्ति ही सही है' के राजनीतिक दर्शन के साथ टकराव है, जिसके कारण संघर्ष में रूस को चीन का समर्थन मिला है।

भारत के बहु-संरेखण स्टैंड के साथ समस्या

- भारत के पास कठोर शक्ति का अभाव है। हाल ही में यह तर्क दिया गया है कि यदि भारत पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होता तो वह यूक्रेन संघर्ष को रोक सकता था।
- जबकि भारत ने यूक्रेन युद्ध पर अस्वीकृति व्यक्त की है लेकिन उसने संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों में कोई स्पष्ट स्टैंड अपनाने से परहेज किया है।
- यह समझने योग्य है कि भारत अक्सर उन विवादों पर टालमटोल वाला स्टैंड अपनाता रहा है जिनमें पारंपरिक सहयोगी शामिल होते हैं।
- हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि भारत की अस्पष्टता यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले राष्ट्र को शोभा नहीं देती है, जिसका तात्पर्य रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे क्षेत्रीय आक्रामकता और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ वैश्विक आवाज के रूप में बोलने की प्रतिबद्धता है।
- यह भारत की सैन्य निर्भरता पर आधारित है क्योंकि यह भारत के रणनीतिक स्वायत्तता सिद्धांत के उपनिवेशवाद विरोधी मानक पर है।

आगे की राह :

'बहु-संरेखण' की खोज ने भारत को यूक्रेन में चल रहे युद्ध में कुछ राजनयिक स्थान दिला सकता है। हालाँकि, भारत के लिए रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना पर्याप्त नहीं है। भारत के पास वर्तमान में चीन की आर्थिक और सैन्य क्षमता की सीमा से मेल खाने के लिए भौतिक संसाधनों की कमी है।

स्रोत: द हिंदू

2023 में G7 देशों की बैठक

खबरों में क्यों : हाल ही में हिरोशिमा में "जी-7" की बैठक हुई, जिसमें शांति के लिए वैश्विक एकजुटता का संदेश दिया गया।

प्रतीकवाद: वर्ष 1945 में हुई परमाणु बमबारी के पीड़ितों के शांति स्मारक में यूरोपीय संघ और जी-7 के नेताओं को लाने की सांकेतिक अहमियत के अलावा, इस समूह ने "परमाणु निरस्त्रीकरण पर हिरोशिमा विजन बयान" भी जारी किया।

बैठक का महत्व:

- बैठक के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इस शहर का दौरा करने वाले मात्र दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन ने इस सम्मेलन में शिरकत कर एक खास संदेश दिया है।
- यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अचानक पहुंचने से यूक्रेन पर रूस के हमले की भयावहता की ओर भी लोगों का ध्यान गया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान भी महत्वपूर्ण था कि यह संकट, "मानवता" का संकट है।

समग्र G7 बैठक:क्या अच्छा हुआ और क्या बेहतर परिणाम हो सकते थे?

A. रूस पर:

- G7 सदस्यों ने यूक्रेन पर एक अलग बयान जारी किया, जिसमें रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाए गए। [यूपीएससी मेन्स - रूस-यूक्रेन युद्ध]
- वे "रूस को G7 प्रौद्योगिकी, औद्योगिक उपकरण और सेवाओं से वंचित कर देंगे जो उसकी युद्ध मशीन का समर्थन करते हैं" + अपने मौजूदा प्रतिबंध शासन के उल्लंघन को रोकने के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें "सामने की ओर सामग्री ले जाने वाली संस्थाओं को लक्षित करना भी शामिल है"।
- **आलोचना:** यह बातचीत और युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक मार्ग को उजागर करने में विफल रहा।

B. 'स्थिर' संबंध चाहने वाले चीन पर 'सैन्यीकरण' पर चेतावनी:

- तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र सहित चीन में मानवाधिकारों के बारे में चिंता व्यक्त करने में एकजुट, जहां जबरन श्रम का मुद्दा एक बारहमासी मुद्दा है।

- नेताओं ने पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में "गंभीर चिंता" व्यक्त की, जहां बीजिंग अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार कर रहा है और स्व-शासित ताइवान पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए बल प्रयोग की धमकी दे रहा है। उन्होंने ताइवान पर चीन के दावे के "शांतिपूर्ण समाधान" का आह्वान किया, जो 1949 में कम्युनिस्टों द्वारा चीनी मुख्य भूमि पर सत्ता हासिल करने के बाद से अनसुलझा है।
- रूस पर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालना।
- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, कमजोर देशों की ऋण और वित्तपोषण आवश्यकताओं, वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं और आर्थिक स्थिरता जैसी चुनौतियों पर एक साथ काम करने की अपील में, चीन की वैश्विक भूमिका तथा आर्थिक आकार को देखते हुए उसके साथ सहयोग की आवश्यकता है।
- G7 सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के "आर्थिक दबाव" के खिलाफ खड़े होने की कसम खाई और कहा कि वे नाजायज प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या डेटा प्रकटीकरण जैसी घातक प्रथाओं का मुकाबला करेंगे, साथ ही व्यापार और निवेश को अनावश्यक रूप से सीमित करने से भी बचेंगे।

चीन ने अमेरिका और अन्य सदस्यों पर पाखंड (hypocrisy)का आरोप लगाकर जवाब दिया।

C. परमाणु स्थिति पर:

- अकेले ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हजारों हथियार हैं, और जापान सहित ब्लॉक के शेष सदस्य वाशिंगटन के "परमाणु छत्र" द्वारा कवर किए गए हैं।
- ऐसा प्रतीत होता है कि अन्यत्र भंडार को कम करने की कोई इच्छा नहीं है, मॉस्को हथियारों के इस्तेमाल की परोक्ष धमकियां दे रहा है, चीन अपने शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है और उत्तर कोरिया मिसाइल प्रक्षेपणों की बौछार के साथ एक नए परमाणु परीक्षण की आशंका पैदा कर रहा है।

D. जलवायु इच्छा सूची (Climate Wishlist):

- G7 ने 2025 तक उत्सर्जन में वैश्विक शिखर की आवश्यकता पर जोर दिया।
- G7 - अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस और कनाडा - ने दावा किया कि उनका उत्सर्जन पहले ही "चरम" पर पहुंच गया है, और सभी "प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं" से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनका व्यक्तिगत उत्सर्जन 2025 से आगे न बढ़े।
  - o "प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं" परिभाषित नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, इसमें आमतौर पर भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देश शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक है।
  - o चीन ने कहा है कि वह 2060 में ही नेट-शून्य हो जाएगा, जबकि भारत ने 2070 का लक्ष्य रखा है।
  - o रूस और सऊदी अरब जैसे बड़े उत्सर्जकों सहित कुछ अन्य देशों का नेट-शून्य लक्ष्य 2060 है।
  - o यदि ये देश 2050 तक नेट-शून्य नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब होगा कि अन्य प्रमुख उत्सर्जक, मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ, को बहुत पहले वहां पहुंचना होगा।
  - o अब तक, केवल जर्मनी ने कहा है कि वह 2045 तक नेट-शून्य स्थिति प्राप्त कर लेगा।
- G7 ने 2050 तक नेट-शून्य होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, और सभी 'प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं' को उस वर्ष तक नेट-शून्य स्थिति प्राप्त करने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विस्तृत रोड मैप के साथ आने के लिए कहा।

आलोचनाएँ:

- G7 देशों ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी है, केवल यह कहा है कि वे 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रक्षेप पथ के अनुरूप "निरंतर जीवाश्म ईंधन" के चरणबद्ध उन्मूलन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  - o "अनिवार्यता" स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है।
  - o उन्होंने यह भी कहा कि वे "अकुशल सब्सिडी" को परिभाषित किए बिना, 2025 या उससे पहले "अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी" को समाप्त कर देंगे।
- G7 ने यह भी दावा किया कि उन्होंने "सीमित परिस्थितियों को छोड़कर" नई जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण बंद कर दिया है।
  - o इन परिस्थितियों में रूसी गैस पर निर्भरता समाप्त करने की आवश्यकता शामिल है, जिसके कारण गैस क्षेत्र में नए निवेश को वैध माना जाएगा।

E. दुनिया का दृश्य: अभी भी ध्रुवीकृत; भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों की मौजूदगी के बावजूद जहां दुनिया का दृश्य कम ब्लैक एंड वाइट है।

- यदि जी-7 समूह अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना चाहता है, तो उसे यह पहचानना होगा कि वह आज दुनिया का पूरी तरह से प्रतिनिधित्वहीन है।
- इसके सदस्य मिलकर दुनिया की आधे से अधिक शुद्ध संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि जी-7 का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में

एक तिहाई से भी कम और दुनिया की आबादी का सिर्फ दसवां हिस्सा है।

- जापान के अलावा, जी-7 सदस्यता में अनिवार्य रूप से यूरो-अमेरिकी विश्वदृष्टिकोण शामिल है।
- ऐसे आर्थिक समूह को उचित ठहराना भी कठिन है जिसमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं (चीन और भारत), सबसे तेजी से बढ़ती जीडीपी, या सबसे बड़े वैश्विक ऊर्जा प्रदाता शामिल नहीं हैं।

भारत द्वारा उठाए गए बिंदु

- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता को उठाया।
- **उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना:** वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला में उभरी राजनीतिक बाधाओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है।
  - o उर्वरकों के विकल्प के रूप में प्राकृतिक खेती का समर्थन करना चाहिए।
  - o यूक्रेन में संकट के परिणामों को संबोधित करने का एक प्रयास जिसने दुनिया भर में उर्वरक आपूर्ति को प्रभावित किया है।
- समावेशी खाद्य प्रणाली का निर्माण: बाजरा पोषण आवश्यकताओं, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने में मदद करता है। एक समावेशी खाद्य प्रणाली का निर्माण सबसे कमजोर लोगों और सीमांत किसानों के कल्याण पर केंद्रित होगा।
- "यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों" के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया गया।
- **संयुक्त राष्ट्र पर:** पिछली सदी में बनी संस्थाएँ इक्कीसवीं सदी की व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं। वे वर्तमान की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि यूएन जैसी बड़ी संस्थाओं में सुधारों को मूर्त रूप दिया जाए। इसे ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनना होगा।

निष्कर्ष

- जबकि हिरोशिमा में G-7 की भूमिका को पहचानने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे, उदाहरण के लिए, विकासशील दुनिया के लिए पारदर्शी वित्तपोषण और ऋण स्थिरता को बढ़ावा देना, या ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में विकसित दुनिया के योगदान की भरपाई करना, शिखर सम्मेलन इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करने के लिए ठोस उपायों का प्रस्ताव करने में विफल रहा।
- समूह को अधिक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में काम करने और आज दुनिया के सामने मौजूद कुछ बड़ी चुनौतियों पर अधिक व्यापक वैश्विक सहमति बनाने में मदद करने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार (UN Security Council Reforms)

संदर्भ: चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों पर अपना रुख बरकरार रखते हुए कहा है कि विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन इसके विस्तार और उनके समावेश के लिए भारत और अन्य देशों के आह्वान पर सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज किया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में:

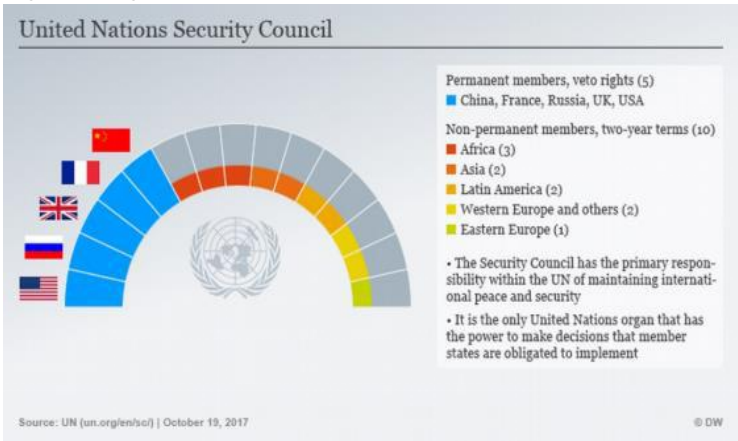

- यूएनएससी की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है।
- यूएनएससी में 15 सदस्य हैं: 5 स्थायी सदस्य (P5) और 10 गैर-स्थायी सदस्य ये 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
- 5 स्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम।
- भारत ने UNSC में सात बार गैर-स्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया है और जनवरी 2021 में 8वीं बार पुनः अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।

UNSC चुनाव:

- हर साल महासभा दो साल के कार्यकाल के लिए पांच गैर-स्थायी सदस्यों (कुल 10 में से) का चुनाव करती है।
- 10 गैर-स्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर निम्नानुसार वितरित की जाती हैं:
  - o अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए पाँच
  - o पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए एक
  - o लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों के लिए दो
  - o पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए दो
- परिषद में निर्वाचित होने के लिए, उम्मीदवार देशों को विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य राज्यों के मतपत्रों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- UNSC चुनाव परंपरागत रूप से महासभा हॉल में आयोजित किए गए थे, जिसमें 193 सदस्य देशों में से प्रत्येक ने गुप्त मतदान में अपना वोट डाला था।

ज़रूरत:

बदलती विश्व व्यवस्था:

- संयुक्त राष्ट्र के 77 साल पुराने इतिहास में सुरक्षा परिषद की संरचना में केवल एक बार बदलाव किया गया है।
- अर्थात, 1963 में जब महासभा ने चार गैर-स्थायी सीटों के साथ, परिषद को 11 से 15 सदस्यों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया।
- तब से, दुनिया बदल गई है। दुनिया में भू-राजनीतिक संबंध बदल गए हैं, दुनिया के देशों की आर्थिक जिम्मेदारियां भी बदल गई हैं।

न्यायसंगत विश्व व्यवस्था:

- वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के सिद्धांतों को कायम रखने के लिए एक अधिक न्यायसंगत दुनिया की आवश्यकता है।
- अफ्रीकी जैसे विकासशील देशों को बहुपक्षीय संस्थानों में हितधारक बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता है।

नये खतरों का शमन:

- बढ़ते संरक्षणवाद, आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के खतरे के साथ, बहुपक्षीय प्रणाली को अधिक लचीला और उत्तरदायी बनना चाहिए।

UNSC के संबंध में मुद्दे:

पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव:

- कई वक्ताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कम प्रभावी है क्योंकि यह कम प्रतिनिधिक है। 54 देशों के महाद्वीप अफ्रीका की अनुपस्थिति इसमें सर्वाधिक प्रासंगिक है।
- वर्तमान वैश्विक मुद्दे जटिल और परस्पर संबद्ध हैं। भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधित्त्व की कमी के कारण विश्व के एक बड़े भाग के लोग विश्व के सर्वोच्च सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अपनी राय अभिव्यक्त करने से वंचित हैं।
- इसके अलावा यह चिंता का विषय है कि भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण देशों का UNSC के स्थायी सदस्यों की सूची में प्रतिनिधित्त्व नहीं है।

वीटो पावर का दुरुपयोग:

- कई विशेषज्ञों के साथ-साथ अधिकांश देशों द्वारा वीटो पावर की सदैव आलोचना की गई है जो इसे 'विशेषाधिकार प्राप्त देशों के स्व-चयनित क्लब' और गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। P5 देशों में से किसी की भी असंतुष्टि की स्थिति में परिषद आवश्यक निर्णय लेने में सक्षम नहीं है।
- यह वर्तमान वैश्विक सुरक्षा वातावरण के लिये उपयुक्त नहीं है कि यह निर्णय लेने वाली विशिष्ट या अभिजात संरचनाओं द्वारा निर्देशित हो।

P5 देशों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:

- स्थायी सदस्यों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिये एक प्रभावी तंत्र का विकास करने की UNSC की राह को अवरुद्ध कर रखा है।
- P5 सदस्य देशों के रूप में वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को देखें तो इनमें से तीन देश- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ऐसे देश हैं जो कुछ वैश्विक भू-राजनीतिक मुद्दों के केंद्र बिंदु हैं जैसे- ताइवान मुद्दा और रूस-यूक्रेन युद्ध का मुद्दा।

राज्य की संप्रभुता के लिये खतरा:

- अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना और संघर्ष समाधान के प्रमुख अंग के रूप में UNSC शांति बनाए रखने तथा संघर्ष के प्रबंधन हेतु ज़िम्मेदार है। इसके निर्णय (जिन्हें संकल्प कहा जाता है) महासभा के विपरीत सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं।
- इसका अर्थ यह है कि प्रतिबंध लगाने जैसी कार्रवाई कर यदि आवश्यक हो तो किसी भी राज्य की संप्रभुता का अतिक्रमण किया जा सकता है।

UNSC के स्थायी सदस्य के रूप में भारत का महत्व:

- **वैश्विक निर्णय लेना:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के स्थायी सदस्य के रूप में, भारत की वैश्विक निर्णय लेने को आकार देने और अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
- **वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व:** यह परिषद में विकासशील देशों के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित करेगा।
  o 1.3 अरब से अधिक लोगों की आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत की स्थायी सदस्यता यह सुनिश्चित करेगी कि वैश्विक दक्षिण की आवाज़ और हितों को यूएनएससी में बेहतर प्रतिनिधित्व मिले।
- **नए युग की चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका:** भारत की स्थायी सदस्यता से उसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से निपटने में अधिक लाभ मिलेगा।
  o भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है।
- **शांति स्थापना प्रयास:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रयासों में लगातार योगदान दिया है। इसके बावजूद, शांति स्थापित करने वाली सेनाओं को कैसे तैनात किया जाएगा और जनादेश का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इस पर उसका कोई अधिकार नहीं है।
  o यूएनएससी में भारत के शामिल होने से भारत को शांति अभियानों और संघर्ष क्षेत्रों में हस्तक्षेप से संबंधित निर्णयों में अधिक हिस्सेदारी मिलेगी।
- **एक उभरती हुई शक्ति के रूप में मान्यता:** भारत की स्थायी सदस्यता इसके बढ़ते वैश्विक महत्व और बहुपक्षवाद के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की भी मान्यता होगी।
  o यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता दुनिया के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उसके स्थान की पुष्टि

होगी।

सुझावात्मक उपाय:

- सुरक्षा परिषद को वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं पर बेहतर विचार करना चाहिए और भौगोलिक दृष्टि से अधिक विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए।
  o इसे अधिक विश्वसनीयता और वैधता के नाम पर लचीलापन और समझौता करने की इच्छा प्रदर्शित करनी चाहिए।
- विकासशील देशों के दक्षिण के विकास के दृष्टिकोण और इस तरह के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को दृढ़ता से और लगातार व्यक्त करने की आवश्यकता है।
- मुख्य वैश्विक शासन संस्थान के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को संयुक्त राष्ट्र सुधार द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस तरह की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्राथमिक वैश्विक शासन संस्थान के रूप में संयुक्त राष्ट्र के लिए एक मजबूत जनादेश होना चाहिए जो विश्व बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ जैसे प्रमुख बहुपक्षीय आर्थिक नीति निर्माण संस्थानों के काम पर समन्वयात्मक कार्य करने में सक्षम हो।
- भारत को यूएनएससी सुधारों के लिए कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। विदेश नीति विशेषज्ञों का सुझाव है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि वीटो की शक्ति के बिना स्थायी स्थिति को स्वीकार किया जाए।

आगे की राह :

- जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, 21वीं सदी की बदली हुई भू-राजनीति में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा एक वास्तविक मांग है। स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए भारत संभवतः सबसे स्पष्ट और कम से कम विवादास्पद विकल्प है, और शायद एक सीट के लिए लंबे समय से अपेक्षित विकल्प है।
- हालाँकि, अपनी योजनाओं और कार्यों के लिए इसकी लगातार आलोचना हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि यह निर्विवाद अधिकार के साथ एकतरफा तरीके से केवल हिस्सेदारी के लिए काम कर रहा है और गैर-स्थायी सदस्यों को अपने निर्णय लेने में शामिल नहीं कर रहा है।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

पर्यावरण

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना

संदर्भ: दिल्ली के मुख्यमंत्री ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने पर ध्यान देने के साथ गर्मी के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 14-सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की।

कार्य योजना की मुख्य बातें:

- दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्रोतों और उन पर अंकुश लगाने के समाधान खोजने के लिए 13 चिन्हित हॉटस्पॉट का रियल टाइम अपॉर्शन्मन्ट (real-time apportionment) अध्ययन करेगी।
- 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य करने के लिए लोगों को पंजीकरण कराना होगा।
- सरकार 59 लाख पौधे लगाकर हरित आवरण बढ़ाएगी।
- शहरी कृषि को भी बढ़ाया जाएगा और 400 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और लोगों को मुफ्त प्रशिक्षण किट दिए जाएंगे।
- सरकार औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक कचरे को एकत्र करने तथा वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने की तकनीकों से निपटने के लिए एक नई नीति तैयार कर रही है।

वायु प्रदूषण के बारे में:

- वायु प्रदूषण का तात्पर्य हवा में प्रदूषकों के उत्सर्जन से है जो मानव स्वास्थ्य और संपूर्ण ग्रह के लिए हानिकारक है।

वायु प्रदूषण का स्रोत

- **नाइट्रोजन डाइऑक्साइड:** यह प्रमुख प्रदूषकों में से एक है और NOx के प्रमुख स्रोतों में मोटर वाहन निकास, औद्योगिक सुविधाओं और रासायनिक सॉल्वैंट्स से उत्सर्जन शामिल है।
- **कृषि और संबद्ध स्रोत:** अमोनिया (NH3) - यह एक अन्य गैसीय प्रदूषक है जिसकी निगरानी की जाती है।
  - यह प्राकृतिक रूप से हवा, मिट्टी और पानी में पाया जाता है और इसका उपयोग कृषि उर्वरक और सफाई उत्पादों में किया जाता है।
  - अमोनिया के उच्च स्तर के अल्पकालिक साँस लेने से मुँह, फेफड़ों और आँखों में चुभन और गंभीर जलन हो सकती है।
- **पराली जलाना:** यह भी उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है, यह खासकर सर्दियों में किया जाता है ।
- **सल्फर डाइऑक्साइड (SO2):** जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित, ऐतिहासिक रूप से, दुनिया के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण का मुख्य घटक रहा है।
  o वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन जलाना है।
  o SO2 का अल्पकालिक संपर्क श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सांस लेना अधिक कठिन हो जाता है।
- **पार्टिकुलेट मैटर:** पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) सांस लेने योग्य और श्वसन योग्य कण हैं जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज धूल और पानी से बने होते हैं।
  o PM2.5 और PM10 दोनों फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करने में सक्षम होते हैं, लेकिन PM2.5 रक्तप्रवाह में भी प्रवेश कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य रूप से हृदय और श्वसन संबंधी प्रभाव होते हैं, और अन्य अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है।
  o 2013 में, WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) द्वारा बाहरी वायु प्रदूषण और पार्टिकुलेट मैटर को कार्सिनोजेनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO):** यह एक जहरीली, रंगहीन और गंधहीन गैस है, जो लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन युक्त ईंधन जलाने पर निकलती है।
  o मीथेन के प्रमुख स्रोतों में अपशिष्ट और जीवाश्म ईंधन तथा कृषि उद्योग शामिल हैं।
- **ओजोन (O3):** यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और जमीनी स्तर दोनों में होता है। जमीन पर, O3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOx) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है।

o यह तब बनता है जब कारों, बिजली संयंत्रों, रिफाइनरियों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं।

o यह सीने में दर्द, गले में जलन और वायुमार्ग में सूजन सहित कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।

संबद्ध जोखिम

- वायु प्रदूषण सभी देशों में स्वास्थ्य के लिए खतरा है, लेकिन यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
- हर साल, वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से 70 लाख लोगों की असामयिक मृत्यु होने का अनुमान है और इसके परिणामस्वरूप जीवन के लाखों स्वस्थ वर्ष नष्ट हो जाते हैं।
- बच्चों में, इसमें फेफड़ों की वृद्धि और कार्य में कमी, श्वसन संक्रमण और अस्थमा का बढ़ना शामिल हो सकता है।
- वयस्कों में, इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक, बाहरी वायु प्रदूषण के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु के सबसे आम कारण हैं, और मधुमेह तथा न्यूरोडीजेनेरेटिव स्थितियों जैसे अन्य प्रभावों के प्रमाण भी सामने आ रहे हैं।
- यह वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के बोझ को अन्य प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों जैसे अस्वास्थ्यकर आहार और तंबाकू धूम्रपान के बराबर रखता है।
- यह साबित करने के लिए कई वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और पूरी वैश्विक आबादी का 90% प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) आपातकालीन उपायों का एक सेट है जो निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने, सम-विषम योजना लागू करने आदि जैसे आवश्यक कदम उठाने के लिए शुरू होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की पहल के आधार पर, जीआरएपी जैसे उपायों को लागू करने और शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ अंतर-राज्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए कानून लाया गया है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) 2017 के स्तर की तुलना में 2024 तक गैर-प्राप्ति वाले शहरों में प्रदूषण को कम करेगा।
- टर्बो हैप्पी सीडर मशीनों को वितरित करने का प्रयास, यथास्थान पराली प्रबंधन के लिए बायो डीकंपोजर के तहत क्षेत्र का विस्तार।
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा STAR (सुरक्षित थर्माइट क्रैकर) और SWAS (सुरक्षित जल रिलीजर) जैसे सुरक्षित कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का विकास।

आगे की राह :

- वायु किसी एक राज्य की नहीं है इसलिए वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सभी को पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम करना होगा। वायु प्रदूषण को कम करने की नीतियां जलवायु और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक विन-विन की रणनीति प्रदान करती हैं, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के बोझ को कम करती हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन के निकट और दीर्घकालिक शमन में योगदान देती हैं।
- WHO ने वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कुछ कदम भी बताए। इसने देशों से WHO के दिशानिर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को लागू करने, स्वच्छ घरेलू ऊर्जा के उपयोग और अन्य उपायों के बीच सख्त वाहन उत्सर्जन और दक्षता मानकों को लागू करने का आग्रह किया।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

ग्रीनवॉशिंग

संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (GFIN) के पहले ग्रीनवॉशिंग टेकस्प्रिंट में 12 अंतरराष्ट्रीय नियामकों के साथ शामिल होगा, जो नियामकों और बाजार को वित्तीय सेवाओं में ग्रीनवॉशिंग के जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए एक उपकरण विकसित करेगा।

ग्रीनवॉशिंग के बारे में:

- यह आम जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए भ्रामक है कि कंपनियाँ, संप्रभु या नागरिक प्रशासक पर्यावरण के लिए वास्तव में जितना कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक कह रहे हैं।
- इसमें किसी उत्पाद या नीति को वास्तविकता की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल या कम हानिकारक बनाना शामिल हो सकता है।

- यह शब्द 1986 में पर्यावरणविद् जे वेस्टरवेल्ट द्वारा गढ़ा गया था।
- यह घटना तब व्यवहार में आई जब उपभोक्ताओं और नियामकों ने तेजी से ग्रह-अनुकूल, पुनर्चक्रण योग्य और टिकाऊ 'हरित' उत्पादों का पता लगाने की मांग की।
- 2015 तक, 66% उपभोक्ता ऐसे उत्पाद के लिए अधिक खर्च करने को तैयार थे जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो।
- **उदाहरण:**
    - अप्रैल 2022 में, अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग ने बांस से बने अपने घरेलू साज-सज्जा उत्पादों के बारे में ग्राहकों को गुमराह करने के लिए खुदरा विक्रेताओं कोहल (Kohl) और वॉलमार्ट पर 5.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।
    - वास्तव में, वे रेयान से बने होते थे, जो सेलूलोज़ से बना फाइबर होता है जिसके निर्माण में सोडियम हाइड्रॉक्साइड जैसे हानिकारक रसायनों का उपयोग होता है जो पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं।

ग्रीनवॉशिंग क्यों होती है?

- ग्रीनवॉशिंग मुख्य रूप से किसी कंपनी के लिए खुद को 'पर्यावरण-अनुकूल' इकाई के रूप में प्रस्तुत करने या अधिकतम लाभ कमाने के लिए की जाती है।
- यह पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की अंतर्निहित मांग को पूरा करते हुए एक उत्पाद पेश करके हासिल किया जाता है।
- कुछ उदाहरणों में, यह कुछ परिचालन रसद में कटौती करने और उपभोक्ता को आवश्यक चीजें प्रदान करने के लिए एक बड़े विचार का उपयोग करके किया जाता है।

ग्रीनवॉशिंग की आलोचना:

- COP27 सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के महासचिव, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, "हमें नेट-शून्य ग्रीनवॉशिंग के लिए शून्य सहिष्णुता रखनी चाहिए।"
    - हालांकि कई कंपनियों, शहरों, राज्यों और क्षेत्रों ने नेट-शून्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, विनियमन के अभाव में, इनमें से कई प्रतिज्ञाएं इसे हासिल करने के लिए विज्ञान के साथ संरेखित नहीं हैं और विश्वसनीय होने के लिए पर्याप्त विवरण नहीं हैं।
- इसके अतिरिक्त, 'नेट-जीरो', 'नेट-जीरो एलाइन्ड', 'इको-फ्रेंडली', 'ग्रीन' और 'इकोलॉजिकल' जैसे शब्दों का असंगत उपयोग उनके दावों को साबित करने के लिए संतोषजनक सबूत के साथ नहीं है।
- यदि निम्न-गुणवत्ता वाले शुद्ध शून्य वादों पर आधारित ग्रीनवॉश को संबोधित नहीं किया जाता है, तो यह वास्तविक नेताओं के प्रयासों को कमजोर कर देगा, जिससे भ्रम, संशय और तत्काल जलवायु कार्रवाई करने में विफलता दोनों पैदा होगी।

ग्रीनवाशिंग और वित्तीय क्षेत्र:

- **नैतिक निवेश:** सतत निवेश सहस्राब्दियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है और 'नैतिक निवेश' से संबंधित निवेशकों पर प्रभाव डाल रहा है।
- **ईएसजी क्रेडेंशियल्स की भूमिका (Role of ESG credentials):** वित्तीय सेवा प्रदाता नियामकों, शेयरधारकों, ग्राहकों के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कंपनी के पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) क्रेडेंशियल्स की बढ़ती जांच की उम्मीद करते हैं।
- **ट्रांज़िशन फ़ंडिंग:** वित्तीय संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन को वित्तपोषित करें और कोयला, तेल और गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन में निवेश को हतोत्साहित करें।

भारत में पालिसी मूव्स

- यदि वित्तीय क्षेत्र को उन उत्पादों की मांग का प्रभावी ढंग से जवाब देना है जो अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, तो यह जरूरी है कि 'ग्रीनवॉशिंग' को रोका जाए।
- मई 2022 में, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ESG से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया।

'ग्रीनवाशिंग' से निपटने के लिए सुझावात्मक उपाय:

- गैर-राज्य अभिनेता नई जीवाश्म ईंधन आपूर्ति का निर्माण या निवेश जारी रखते हुए नेट-शून्य होने का दावा नहीं कर सकते।
    - इस प्रकार, कंपनियों को अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए और प्रयास को श्रृंखला के केवल एक हिस्से तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

- कंपनियों को किसी भी माध्यम से जीवाश्म ईंधन के दोहन में निवेश नहीं करना चाहिए या वनों की कटाई और अन्य पर्यावरणीय विनाशकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- इसके अलावा, कंपनियां सस्ते क्रेडिट के माध्यम से इस निवेश की भरपाई नहीं कर सकती हैं, जिसमें "अक्सर प्रामाणिकता की कमी होती है"।
    - परिप्रेक्ष्य में, कार्बन क्रेडिट एक परमिट के रूप में काम करता है जो धारक को निर्धारित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है।
- समिति स्वैच्छिक प्रकटीकरण (शुद्ध उत्सर्जन से संबंधित) से नियामक मानदंडों में बदलाव की भी सिफारिश करती है।
    - स्वैच्छिक क्षेत्र में सत्यापन और प्रवर्तन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

स्रोत: द हिंदू

जलवायु परिवर्तन निर्णय लेने में महिलाओं के समावेश का महत्व
(Why women must have a seat at the climate change decision-making table)

संदर्भ: जलवायु परिवर्तन हर किसी को प्रभावित करता है, लेकिन इसके सबसे गंभीर परिणाम सबसे कमजोर लोगों यानी महिलाओं, बच्चों और समाज के उन वर्गों के लोगों को महसूस होते हैं जिनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगभग कोई भूमिका नहीं होती है।

- संकट के समय में, महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती हैं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और घरेलू देखभाल के असमान बोझ के कारण उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
- जब हम संकट से निपटने के लिए अनुकूलन और शमन रणनीतियों को डिजाइन करते हैं तो कमजोर आबादी के सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों को देखने वाले एक इंटरसेक्शनल लेंस की आवश्यकता होती है।

"When there are more women in boardrooms and in high-level positions in institutions, you get decisions that are wiser… there is a tendency for women to be more collaborative… (Women) have the first duty of care of our newborn children and hence, biologically, we're geared towards that stewardship. But it is just plain stupid, frankly, not to use 50 per cent of human potential."

- *The Costa Rican diplomat Christiana Figueres*

[Christiana Figueres successfully steered the global diplomatic effort that culminated in the 2015 Paris Agreement that made most of the world's governments commit to limiting global temperature rise by 1.5 degrees Celsius]

महिलाओं को निर्णय लेने वाली मेज पर क्यों बैठना चाहिए?

A. **पहुंच का अभाव:** महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, फिर भी उन्हें उन तक पहुंचने में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, महिलाएं चरम मौसम की घटनाओं के दौरान भोजन, चारा और पानी सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं, जिसके कारण अक्सर लड़कियों को अपनी मां की मदद के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है।
- यदि विकासशील देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो, तो वे कृषि उपज बढ़ा सकती हैं।
  o हालाँकि, कानूनी और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण, 20 प्रतिशत से भी कम भूमिधारक महिलाएँ हैं।
  o उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में तो और भी कम।

B. स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं: जलवायु आपदाएं स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सीमित करके और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित जोखिमों को बढ़ाकर महिलाओं के स्वास्थ्य को खराब करती हैं।

- उभरते शोध से पता चलता है कि फ्रांस, चीन और भारत में हीटवेव से और बांग्लादेश और फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से महिलाओं की मृत्यु होने की अधिक संभावना रहती है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया में 60 प्रतिशत भूखी और कुपोषित महिलाएं हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 1.2 मिलियन अतिरिक्त बच्चे अविकसित हो सकते हैं।
- भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच में लैंगिक असमानताओं के कारण लड़कियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती

है।

- अत्यधिक गर्मी से मृत बच्चे के जन्म की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
- वेक्टर-जनित बीमारियों के बड़े पैमाने पर फैलने से मातृ और नवजात शिशु के परिणाम खराब हो जाते हैं।
- इसलिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावी और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं पर असंगत प्रभाव को पहचानना और उन्हें निर्णय लेने की मेज पर एक सीट प्रदान करना आवश्यक है।

C. किसानों के रूप में महिलाओं ने बार-बार अपनी उत्कृष्टता साबित की है:

- महिला किसान पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवारों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों का ख्याल रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- इसलिए, महिलाओं के निर्णय को शामिल करना महत्वपूर्ण है, और उन स्वदेशी समुदायों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का व्यावहारिक अनुभव है।
- हालाँकि, महिलाएँ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती हैं क्योंकि उनके पास सीमित भूमि-स्वामित्व अधिकार और लगभग कोई वित्तीय संसाधन नहीं हैं।

D. जेंडर और वन्य जीवन के उपयोग के बीच संबंध विविध हैं और विशेष आर्थिक, सांस्कृतिक और जातीय संदर्भों पर निर्भर करते हैं। लेकिन महिलाएं संरक्षण गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती हैं क्योंकि या तो उन्हें निहित स्वार्थों के कारण ऐसा करने से बाहर रखा जाता है या क्योंकि वे अपने सांस्कृतिक संदर्भों में बोलने के लिए सशक्त महसूस नहीं करती हैं। समझ की यह कमी संरक्षण परियोजनाओं के लिए अत्यधिक समस्याग्रस्त है। इसके अलावा, महिलाओं के उत्पादक और प्रजनन अवैतनिक कार्य (reproductive unpaid work) तथा निर्णय लेने में उनकी भागीदारी का वन्यजीवन के उपयोग पर सीधा प्रभाव पड़ता है:

- ऐसे समय में जब कृषि में श्रम की मौसमी मांग चरम पर होती है, शिकार या मछली पकड़ने के लिए पुरुष श्रमिकों को उपलब्ध कराना।
- पारिवारिक रिप्रोडक्शन की मौद्रिक लागत को कम करना और आय के वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न करना तथा खाद्य उत्पादन का समर्थन करना, ये सभी वाइल्ड लाइफ पर दबाव को कम कर सकते हैं।

घर, समुदाय और समाज में महिलाओं की विशेष भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ महिलाओं को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर जैव विविधता से संबंधित अद्वितीय ज्ञान विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार वे जैव विविधता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और नए समाधान लाने की अद्वितीय स्थिति में हैं।

E. महिलाएं और नेतृत्व की स्थिति: दुर्भाग्य से, महिलाओं को उन बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो नेतृत्व की स्थिति में उनकी प्रगति में बाधा डालती हैं। लेकिन जब महिलाएं निर्णय लेने में शामिल होती हैं, तो इसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- संसद में अधिक महिला प्रतिनिधित्व वाले देशों में अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों का समर्थन करने की अधिक संभावना है, और अधिक कठोर जलवायु नीतियां हैं।
- कार्यस्थलों पर भी, महिला नेतृत्व ने पर्यावरणीय पदचिह्नों और उत्सर्जन के प्रकटीकरण के संबंध में अधिक पारदर्शिता के साथ सकारात्मक सहसंबंध (correlation) दिखाया है।

सफल मामले

कृषि जैव विविधता के संरक्षण में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई है।

- 2003 में ओडिशा की एक आदिवासी महिला कोमला पुजारी ने धान की स्थानीय भूमि प्रजातियों के संरक्षण और कोरापुट जिले के जयपोर में किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों में स्थानांतरित करने के लिए भूमध्य रेखा पहल पुरस्कार जीता था।

आगे की राह : अब यह केवल लैंगिक समानता के बारे में नहीं है!

जलवायु संकट के प्रति लैंगिक-जानबूझकर की गई प्रतिक्रिया से जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देते हुए सतत आर्थिक विकास होगा। हालाँकि, महिला नेताओं को ऊपर उठाना केवल लैंगिक समानता के बारे में नहीं है।

SOURCE: Indian Express

अर्थव्यवस्था

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)

संदर्भ: ONDC (डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क) उपयोगकर्ताओं को समान खाद्य पदार्थों के लिए सस्ती कीमतों की पेशकश करके धीरे-धीरे ज़ोमैटो और स्विगी के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है।

ओएनडीसी परियोजना के बारे में:

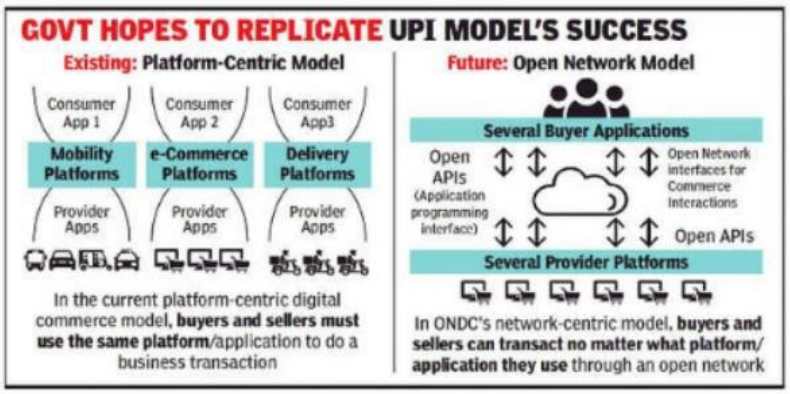

- डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) एक पहल है जिसका लक्ष्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है।
- ओएनडीसी किसी भी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र ओपन विनिर्देशों और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए ओपन-सोर्स पद्धति पर आधारित होगा।
- यह वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की एक गैर-लाभकारी पहल है।
- वर्तमान में, किराने और खाद्य पदार्थों के व्यापारी ज्यादातर इसका हिस्सा हैं, लेकिन सौंदर्य, फैशन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य धीरे-धीरे इसमें शामिल हो रहे हैं।
- वर्तमान में, पेटीएम, मीशो (Meesho), मैजिकपिन, मायस्टोर (Mystore), क्राफ्ट्सविला (Craftsvilla) और स्पाइस मनी जैसे साझेदार हैं, जो ऑनलाइन स्टोरफ्रंट के रूप में कार्य करते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध व्यवसाय से भोजन या कोई अन्य उत्पाद ऑर्डर करने की अनुमति देते हैं।

महत्व:

- ONDC पर खरीदार और विक्रेता इस तथ्य के बावजूद लेनदेन कर सकते हैं कि वे एक विशिष्ट ई-कॉमर्स पोर्टल से जुड़े हुए हैं।
  o यह छोटे ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और नए प्रवेशकों को प्रोत्साहित कर सकता है।
- हालांकि यदि यह अनिवार्य किया जाता है तो यह बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये समस्यायुक्त हो सकता है, क्योंकि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने संचालन के इन क्षेत्रों हेतु अपनी प्रक्रियाएंँ और प्रौद्योगिकी स्थापित कर रखे हैं।
- ONDC से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज़ करने, संचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं के समावेशन को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स में दक्षता प्राप्त करने और उपभोक्ताओं के लिये मूल्य बढ़ाने की अपेक्षा है।
- यह मंच समान अवसर भागीदारी की परिकल्पना करता है और उपभोक्ताओं के लिये ई-कॉमर्स को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की अपेक्षा रखता है क्योंकि वे संभावित रूप से किसी भी संगत एप्लीकेशन/प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा की खोज कर सकते हैं, जिससे उनकी पसंद की स्वतंत्रता बढ़ जाती है।
- यह किसी भी मूल्यवर्ग के लेनदेन को सक्षम करेगा, इस प्रकार ONDC को वास्तव में 'लोकतांत्रिक वाणिज्य हेतु खुला नेटवर्क' बना देगा।
- अगले पांच वर्षों में ONDC नेटवर्क पर 90 करोड़ उपयोगकर्त्ताओ और 12 लाख विक्रेताओं को जोड़ने की अपेक्षा करता है, जिससे 730 करोड़ अतिरिक्त खरीदारी हो सकेगी।

ओएनडीसी के साथ चुनौतियाँ:

- **लंबे समय हेतु स्थानीय व्यवसायों के लिए खतरा:** स्थानीय व्यवसाय के लिए प्रमुख ई-कॉमर्स खिलाड़ियों द्वारा दी जा रही छूट, बिक्री और अन्य आकर्षक प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय में स्थानीय व्यवसाय नेटवर्क से बाहर हो सकता है।
- **खराब उत्पाद हेतु जिम्मेदारी पर शांत:** यदि उपभोक्ताओं को लेनदेन, घटिया उत्पादों की डिलीवरी और सेवा के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो रणनीति पत्र नेटवर्क पर दायित्व से संबंधित मुद्दों पर शांत है।
- **मौजूदा कानून कैसे लागू होंगे इस पर कोई स्पष्टता न होना :** नेटवर्क पर मौजूदा ई-कॉमर्स कानूनों की प्रयोज्यता पर भी स्पष्टता का अभाव है।

भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग:

- **विकास:** भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग तेजी से विकास मार्ग पर है। 2021 में भारतीय ई-कॉमर्स बाजार का सकल व्यापारिक मूल्य $55 बिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था।
  o 2030 तक, इसका वार्षिक सकल व्यापारिक मूल्य $350 बिलियन होने की उम्मीद है।
- **विकास के कारक:** ई-कॉमर्स विकास को बढ़ावा देते हुए, भारत में 2023 तक 907 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता होने की उम्मीद है, जो देश की कुल आबादी का ~64% है।
  o भारत में ई-कॉमर्स उद्योग स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, बढ़ी हुई समृद्धि और कम डेटा कीमतों जैसे लीवरों (levers) पर बढ़ रहा है, जो ई-रिटेल विकास को गति प्रदान करता है।
  o भारत 2022 में ~62 बिलियन यूपीआई लेनदेन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है।
  o जब लेनदेन मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और परिधान (apparel) ई-कॉमर्स बाजार का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।
  o ई-कॉमर्स के भीतर अन्य नई आगामी श्रेणियों में एड-टेक, हाइपरलोकल और फूड-टेक शामिल हैं।
- **टियर-2 और टियर-3 शहरों में लोकप्रियता हासिल करना:** ई-कॉमर्स का चलन टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी बड़ी लोकप्रियता हासिल कर रहा है क्योंकि अब वे सभी खरीदारों का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं और अग्रणी ई-रिटेल प्लेटफॉर्म के लिए हर पांच ऑर्डर में से तीन का योगदान करते हैं।
  o टियर-2 और छोटे शहरों में औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) टियर-1/मेट्रो शहरों की तुलना में थोड़ा ही कम है।

आगे की राह :

ओएनडीसी को उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने और रिटर्न, रिफंड और कैंसिलेशन हेतु पारदर्शी नीतियों को लागू करने के लिए मजबूत तंत्र के माध्यम से उपभोक्ता विश्वास बनाना चाहिए। एक ऑपरेटर-संचालित मोनोलिथिक प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से एक फैसिलिटेटर-संचालित, इंटरऑपरेबल विकेन्द्रीकृत नेटवर्क में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। नीतियों को नेटवर्क स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।

स्रोत: द हिंदू

अवश्य पढ़ें: (यूपीएससी सीएसई: ई-कॉमर्स)

भारत का विमानन उद्योग

संदर्भ: वाहक गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड (गो फर्स्ट) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के साथ स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही के लिए दायर किया।

स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही के बारे में:

- स्वैच्छिक दिवालियापन का मतलब है कि कंपनी ने स्वीकार कर लिया है कि उसका व्यवसाय दिवालिया है।
- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी कहती है कि वह कर्ज नहीं चुका सकती और इसे सुलझाने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत है।
  o जब कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो वह स्वैच्छिक परिसमापन के लिए आगे बढ़ सकती है।
- यह प्रक्रिया कंपनी के शेयरधारकों और लेनदारों की मंजूरी के साथ कंपनी के विघटन को संदर्भित करती है।
  o यह एक समयबद्ध प्रक्रिया है जिसे स्वैच्छिक परिसमापन शुरू होने की तारीख से 270 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत स्टेप क्रम:

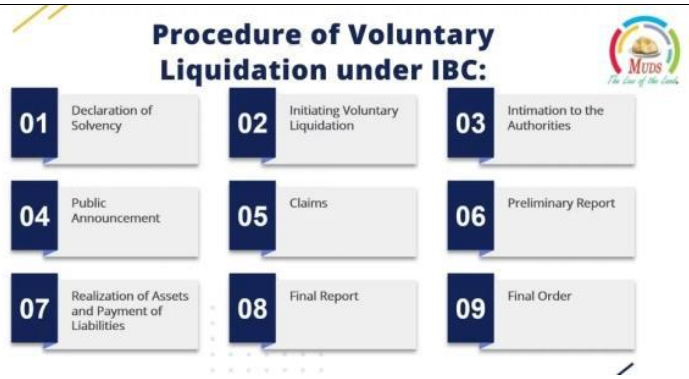

- **बड़े बाजार का आकार:** भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है और 2024 तक यूके को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बनने की उम्मीद है।
- **आर्थिक योगदान:** भारतीय विमानन ने भी सकल घरेलू उत्पाद में 5% का योगदान दिया, जिससे कुल 4 मिलियन नौकरियां पैदा हुईं।
- **तीव्र वृद्धि:** पिछले 6 वर्षों में, भारत का घरेलू यात्री यातायात लगभग 14.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात लगभग 6.5% की CAGR से बढ़ा है।
- भारत का घरेलू यात्री यातायात वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले वित्त वर्ष के अनुमानित 13.75 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ होने की संभावना है।
  o 2029-30 तक, भारत का घरेलू यात्री यातायात 35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।
- **बुनियादी ढांचा:** भारत में नागरिक उड़ानों वाले हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2023 में 148 हो गई है।
  o भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा संचालकों ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों और नए टर्मिनलों के निर्माण, मौजूदा टर्मिनलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 2025 तक पूरे भारत में हवाईअड्डा क्षेत्र में लगभग 98,000 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय का लक्ष्य रखा है।

विमानन क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ?

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: पिछले कुछ महीनों में उड़ानों से पहले/उड़ानों के दौरान खराबी की कई घटनाएं देखी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप मार्ग परिवर्तन/विलंब हुआ।
  o महामारी-प्रेरित मंदी के बाद मुनाफे को अधिकतम करने के लिए एयरलाइंस द्वारा कम टर्नअराउंड समय में खराबी (malfunctions) को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
  o विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि कम लागत वाली एयरलाइंस (जो इस क्षेत्र पर हावी हैं) लागत बचाने के लिए रखरखाव को कम प्राथमिकता देती हैं, उदाहरण के लिए, कई समस्याओं को ठीक करने का काम योग्य इंजीनियरों के बजाय तकनीशियनों द्वारा किया जा रहा है।
  o इसके अलावा, चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण स्पेयर पार्ट्स, विशेषकर टाइटेनियम युक्त पार्ट्स की कमी हो गई है।
- **क्षेत्र की लाभप्रदता:** अधिकांश एयरलाइन ऑपरेटरों की वित्तीय स्थिति खराब है। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन और उड़ान प्रतिबंधों के कारण स्थिति और खराब हो गई।
  o लगातार घाटे से ऑपरेटरों की संख्या कम हो रही है, जिससे प्रतिस्पर्धा और दक्षता प्रभावित हो रही है।
  o घाटे को कम करने के लिए, ऑपरेटर विमान के टर्नअराउंड समय को बढ़ाते हैं और रखरखाव/सुरक्षा पहलुओं में कटौती करते हैं।
- **मजबूत प्रतिस्पर्धा का अभाव:** जबकि नीति को उदार बनाया जा रहा है; फिर भी, कड़े नियम हैं जो इस क्षेत्र के विस्तार में बाधा के रूप में कार्य करते हैं।
  o श्री जीआर गोपीनाथ (एयर डेक्कन के संस्थापक) के अनुसार, नए प्रवेशकों के लिए कठिन प्रवेश बाधाएं प्रतिस्पर्धा को कम करती हैं, करों के कारण उच्च ईंधन की कीमतें एयरलाइनों की लाभप्रदता को कम करती हैं जो क्षेत्र को पूरी दक्षता से संचालित करने से रोकती हैं।
  o सार्वजनिक क्षेत्र के हवाईअड्डे अकुशल हैं और हवाईअड्डा क्षेत्र में अभी भी उनका एकाधिकार है।
- **ख़राब ग्रामीण कनेक्टिविटी:** बड़े हवाई अड्डों द्वारा वायु और ज़मीनी स्थान को नियंत्रित करने के कारण, ग्रामीण और छोटे शहरों को बड़े महानगरों से जोड़ना लगभग असंभव है।
  o यद्यपि UDAN ने कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाया है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अभी भी खराब बनी हुई है।

- **नीतिगत खामियां:** कई नीतिगत खामियां हैं जिन्हें संबोधित किया जाना बाकी है, उदाहरण के लिए, विमान अधिनियम, 1934 और विमान नियम, 1937 एयरोस्पेस में आधुनिक तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं।
  o इससे उद्योग की लागत बढ़ गई है और अंततः यात्री वृद्धि प्रभावित हुई है।

विमानन क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिए भारत सरकार की पहल:

- **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS):** यह पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और COVID-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के संदर्भ में अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है।
- **डिजी यात्रा (Digi Yatra):** डिजी यात्रा नीति यात्रियों को कई संपर्क बिंदुओं पर टिकट और आईडी के सत्यापन की आवश्यकता के बिना हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की पहल है।
- **उड़ान (UDAN):** केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) का उद्देश्य टियर II और टियर III शहरों में उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
  - सरकार ने इस योजना के तहत 2024 तक 100 हवाई अड्डे विकसित करने की भी योजना बनाई है।
- **ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति:** भारत सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है।
- **बेहतर नीतियां:** भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय राज्यों को (विमानन टरबाइन ईंधन) एटीएफ पर वैट कम करने के लिए प्रोत्साहित और एटीएफ को जीएसटी के तहत लाने की वकालत कर रहा है।
- **रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) नीति:** केंद्र सरकार ने 2021 में एक एमआरओ नीति पेश की थी जिसका उद्देश्य भारत को विमान रखरखाव और ओवरहाल के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है, जो अब बड़े पैमाने पर विदेशों में होता है।
- **NABH (नेक्स्टजेन एयरपोर्ट्स फॉर भारत):** यह योजना भारत में हवाई अड्डों की संख्या और यातायात को संभालने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए 2018 में शुरू की गई थी।
  o इसका लक्ष्य निजी क्षेत्र और राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) दोनों द्वारा हवाई अड्डे के उन्नयन में किए जाने वाले निवेश के माध्यम से प्रति वर्ष एक अरब यात्राओं को संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता को पांच गुना से अधिक विस्तारित करना है।

स्रोत: द हिंदू

नीति शास्त्र

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना (Recusal by Judges)

संदर्भ: हाल ही में, न्यायाधीशों द्वारा मामलों की सुनवाई से खुद को अलग करने के कई उदाहरण सामने आए हैं।

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखने के बारे में:

- जब हितों का टकराव होता है, तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का फैसला करते समय पक्षपात किया है।
- कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (conflict of interest) कई तरह से हो सकता है - एक वादी कंपनी में शेयर रखने से लेकर मामले में शामिल किसी पक्ष के साथ पूर्व या व्यक्तिगत संबंध रखने तक।
- खुद को अलग करने का एक अन्य उदाहरण तब होता है जब उच्च न्यायालय के किसी फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाती है, जिसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने तब सुनाया हो जब वह उच्च न्यायालय में थी।
- यह प्रथा कानून की उचित प्रक्रिया के मुख्य सिद्धांत से उपजी है कि कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है।

खुद को सुनवाई से अलग रखने संबंधी नियम:

- सुनवाई से हटने को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में इस मुद्दे पर विचार किया गया है।
- रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रति तर्कों को बल प्रदान करता है।
- न्यायालय को अपने सामने मौजूद पक्ष के तर्क को देखना चाहिये और तय करना चाहिये कि वह पक्षपाती है या नहीं।

खुद को सुनवाई से अलग रखने का कारण:

- खुद को अलग करने का निर्णय आम तौर पर स्वयं न्यायाधीश द्वारा लिया जाता है क्योंकि हितों के किसी भी संभावित टकराव का खुलासा करना न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है।
- हितों का टकराव कई तरह से हो सकता है जैसे:
  - o मामले में शामिल किसी पक्ष के साथ पूर्व या व्यक्तिगत संबंध होना।
  - o न्यायाधीश की पृष्ठभूमि या अनुभव, जैसे वकील के रूप में न्यायाधीश का पूर्व कार्य;
  - o पक्षों या मामले के तथ्यों के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान;
  - o किसी मामले में शामिल पक्षों में से एक के लिये पेश किया वकीलों या गैर-वकीलों के साथ एकतरफा संचार।
  - o न्यायाधीश के फैसले, टिप्पणियाँ या आचरण;
- कुछ परिस्थितियों में, वकील या मामले के पक्ष इसे न्यायाधीश के सामने लाते हैं।
  - o यदि कोई न्यायाधीश सुनवाई से अलग कर लेता है, तो मामले को नई पीठ को आवंटित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।

सुनवाई से अलग रहने की प्रक्रिया:

- सामान्यतः सुनवाई से अलग होने का फैसला न्यायाधीश खुद करता है क्योंकि यह हितों के किसी भी संभावित टकराव का खुलासा करने के लिये न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है।
  - o कई न्यायाधीश मामले में शामिल वकीलों को मौखिक रूप से खुद को अलग करने के कारणों की व्याख्या नहीं करते हैं। कुछ कालानुक्रमिक क्रम में कारण बताते हैं।
- कुछ परिस्थितियों या मामलों में वकील या पक्ष इसे न्यायाधीश के सामने लाते हैं। एक बार अलग होने का अनुरोध किये जाने के बाद न्यायाधीश के पास इसे वापस लेने या न लेने का अधिकार होता है।
  - o हालाँकि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ न्यायाधीशों ने विरोध न देखते हुए भी सुनवाई से पीछे हटने से इनकार कर दिया, लेकिन केवल इसलिये कि ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहाँ न्यायाधीशों ने किसी मामले से पीछे हटने से इनकार

कर दिया है।

- यदि कोई न्यायाधीश सुनवाई से अलग हो जाता है, तो मामले को एक नई पीठ को सौंपने के लिये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।

न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग रखने संबंधी चिंताएँ:

- **न्यायिक स्वतंत्रता को कम करना:** यह वादियों को अपनी पसंद की बेंच चुनने की अनुमति देता है, जो न्यायिक निष्पक्षता को कम करता है।
  - o साथ ही इन मामलों से अलग होना न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता दोनों को कमज़ोर करता है।
- **विभिन्न व्याख्याएँ:** चूँकि यह निर्धारित करने के लिये कोई नियम नहीं है कि न्यायाधीश इन मामलों में कब खुद को अलग कर सकते हैं, एक ही स्थिति की अलग-अलग व्याख्याएँ हैं।
- **प्रक्रिया में देरी:** कुछ कार्य मुद्दों को उलझाने या कार्यवाही में बाधा डालने और देरी करने के इरादे से या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रारूप में बाधा डालने या इसे बाधित करने के इरादे से भी किये जाते हैं।

आगे की राह

सुनवाई से खुद को अलग करना भी कर्तव्य से विमुख होना माना जाता है। संस्थागत सभ्यताओं को बनाए रखना एक निर्णायक के रूप में न्यायाधीश की अत्यधिक स्वतंत्र भूमिका से अलग है। जैसा कि किसी की शपथ में दर्शाया गया है, पारदर्शी और जवाबदेह होना संवैधानिक कर्तव्य है, और इसलिए, एक न्यायाधीश को किसी विशेष मामले से खुद को अलग करने के कारणों को इंगित करना आवश्यक है।

स्रोत: द हिंदू

सॉफ्ट पावर के एक साधन के रूप में बौद्ध धर्म

संदर्भ: बौद्ध धर्म के साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, चीन आदि और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ इसकी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।

सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में:

- सॉफ्ट पावर जबरदस्ती या भुगतान के बजाय आकर्षण द्वारा पसंदीदा परिणाम प्राप्त करने की क्षमता है।
- सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी केवल सैन्य या आर्थिक जबरदस्ती पर निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है।
  - सॉफ्ट पावर की अवधारणा 1990 के दशक में जोसेफ नी द्वारा गढ़ी गई थी।
- सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के उदाहरणों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षिक कार्यक्रम, मानवीय सहायता और सार्वजनिक कूटनीति अभियान शामिल हैं।

भारत में बौद्ध डिप्लोमेसी:

- भारत के लिए, बौद्ध धर्म ने स्वतंत्रता के बाद शांति और शांति की पहचान (tranquillity) प्रदान की जब हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच तीव्र हिंसा और विभाजन था।
- कठिन समय से बचने के साधन के रूप में बौद्ध प्रतीकवाद का उपयोग किया गया है।
  - o ऐसे प्रयोग और साक्ष्यों के कारण भारत बौद्ध धर्म पर अपना दावा करना पसंद करता है।
- इसने तिब्बती बौद्ध धर्म और दलाई लामा को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन बुलाया।
  - o नेपाल और भूटान का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र लुंबिनी, नेपाल में बन रहा है।
  - o प्रधान मंत्री ने मई 2022 में आधारशिला रखी।
  - o इसे नेपाल के भैरहवा में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन का विरोध करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।
- नेपाल में बौद्ध धर्म के प्रति भारत की पहल तभी शुरू हुई जब 'बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ' नेपाल में संप्रभुता का लोकलुभावन नारा बन गया।

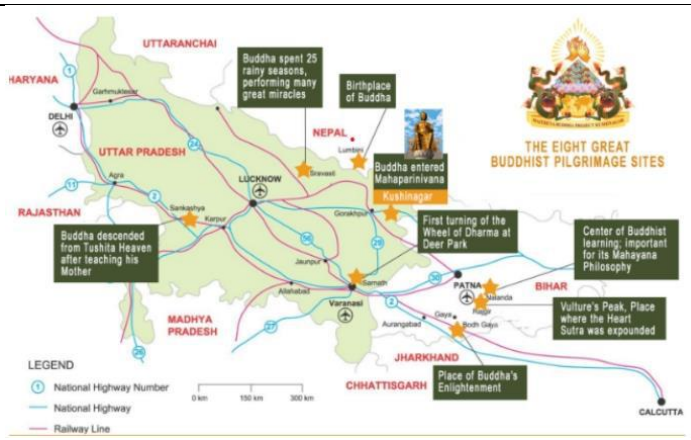

भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए बौद्ध धर्म का महत्व:

- भारत सरकार "बौद्ध टूरिस्ट सर्किट" के विकास के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने बौद्ध डिप्लोमेसी प्रयासों में सक्रिय रूप से निवेश कर रही है।
- इस तरह के हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम की मेजबानी करके, भारत सरकार बौद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक बौद्ध समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की उम्मीद करती है।
- बौद्ध धर्म के साथ अपने मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ, भारत वैश्विक मंच पर बौद्ध मुद्दों पर चर्चा को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है।
- रूस-यूक्रेन संकट की पृष्ठभूमि के खिलाफ, श्री मोदी ने कहा, "भारत ने दुनिया को ' युद्ध ' नहीं बल्कि ' बुद्ध' दिया है।" यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उनके पहले के बयान से मेल खाता है कि 'यह युद्ध का युग नहीं है'।
- दिल्ली शिखर सम्मेलन का विषय, "समसामयिक चुनौतियों का जवाब: अभ्यास के लिए दर्शन", मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में नैतिकता के साथ, विवादित वैश्विक राजनीति का विकल्प प्रदान करने के भारत के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है।
- बौद्ध कूटनीति में क्षेत्रीय सामंजस्य को बढ़ावा देने की क्षमता है, यह देखते हुए कि वैश्विक बौद्ध आबादी का लगभग 97% एशिया में स्थित है।
- हालाँकि, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे कई प्रमुख बौद्ध स्थलों का घर होने के बावजूद, भारत को बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जो थाईलैंड और कंबोडिया के स्थलों को पसंद करते हैं।

चीन की बौद्ध कूटनीति:

- चीन लगभग 245 मिलियन बौद्धों, 28,000 बौद्ध मठों, 16,000 मंदिरों और 2,40,000 बौद्ध भिक्षुओं और ननों (साध्वियों/nuns) का घर है।
  o यह बौद्ध धर्म को चीन के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट पॉवर बनाता है।
- चीन ने सांस्कृतिक और भाषाई कूटनीति के मौजूदा पोर्टफोलियो में धार्मिक पहलू जोड़ दिए हैं।
  o राज्य धार्मिक व्यवस्था विदेशों में चीन की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का समर्थन कर रही है।
- बीजिंग विदेशों में चीनी बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी और लचीला दृष्टिकोण अपनाता है। इसका दृष्टिकोण इस पर निर्भर करता है कि लक्षित देश बौद्ध-बहुल है, पश्चिमी है, या चीन के एशियाई प्रतिस्पर्धियों में से एक है।

बौद्ध धर्म को आसियान और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सेतु बनाने वाले कारक:

- **बौद्ध धर्म के साथ भारत का ऐतिहासिक संबंध:** बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई और दक्षिण पूर्व एशिया तथा अन्य एशियाई देशों में फैल गया।
  o आध्यात्मिकता, कला, संस्कृति और आस्था ने अन्य क्षेत्रों में भी अपनी जगह बनाई, जिससे भारत को काफी मात्रा में सॉफ्ट पावर प्राप्त हुई।
- **पारस्परिक सांस्कृतिक अनुभव:** सॉफ्ट पावर का बौद्ध पहलू किसी सांस्कृतिक उत्पाद के निर्यात पर नहीं, बल्कि कुछ साझा धार्मिक और सांस्कृतिक संघों को बढ़ावा देने पर निर्भर करता है, जिससे पारस्परिक रूप से एक निर्मित मंच तैयार होता है जिस पर आगे के संबंध आधारित होते हैं।

- **विशाल बौद्ध जनसंख्या:** आज विश्व की 97 प्रतिशत बौद्ध जनसंख्या एशियाई महाद्वीप में रहती है।
  o यह इस संदर्भ में है कि कोई भी अपनी विदेश नीति के भीतर राजनयिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संघों के लिए आधार बनाने और आसियान के साथ सेतु बनाने के लिए बौद्ध विरासत को शामिल करने के भारत सरकार के प्रयासों को समझ सकता है।
- **बौद्ध स्थल:** भारत में बौद्ध आस्था के लिए कई स्थल हैं, जैसे बोधगया, सारनाथ और नालंदा जो दक्षिण-ईट एशिया में बौद्ध समुदायों के साथ सांस्कृतिक संबंध प्रदान करते हैं।
- **तिब्बती बौद्ध समुदाय को संरक्षण:** चीन के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद धर्मशाला शहर में दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती संसद की उपस्थिति के कारण भारत ने उत्पीड़ितों के रक्षक होने की छवि बना ली है।

आगे की राह :

चूंकि बुद्ध शांति के पहले राजनयिक थे, इसलिए शांति और सहयोग की उनकी शिक्षाएं विश्व मंच पर भारतीय कूटनीति की मार्गदर्शक बन सकती हैं। बौद्ध धर्म को बढ़ावा देकर, भारत शांतिपूर्ण सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी छवि को और साथ ही वैश्विक बौद्ध समुदाय के साथ संबंधों को भी मजबूत कर सकता है।

अवश्य पढ़ें: नव बौद्ध धर्म

स्रोत: द हिंदू

PRACTICE QUESTIONS

1. इसका नाम 'सिमुल' (रेशमी कपास) पेड़ से लिया गया है। इसे औपचारिक रूप से 1956 में एक बाघ अभयारण्य नामित किया गया था। इसे जून 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यह 2009 से बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क का हिस्सा रहा है। यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है।
निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व (टीआर) ऊपर वर्णित है?
(a) सतकोसिया टी.आर
(b) सिमलीपाल टी.आर
(c) सत्यमंगलम टी.आर
(d) कान्हा टी.आर

2. राष्ट्रीय SC-ST हब योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (NSSH) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है।
2. इसकी स्थापना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

3. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और सबसे बड़े कॉर्पोरेट नियोक्ता में से एक है।
2. CIL एक नवरत्न कंपनी है।
3. CIL का मुख्यालय रांची, झारखंड में है।
4. CIL की मोज़ाम्बिक में एक विदेशी सहायक कंपनी, कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 2 और 4

4. शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन (SCO) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(a) SCO एक स्थायी अंतरसरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
(b) भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य हैं।
(c) SCO को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
(d) SCO की आधिकारिक भाषाएँ रूसी, अंग्रेजी और चीनी हैं।

5. काली टाइगर रिजर्व स्थित है-
(a) पश्चिम बंगाल
(b) केरल
(c) कर्नाटक
(d) गुजरात

6. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. CDSCO फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आता है।
2. यह औषधियों के लिए भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) है।
3. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत, CDSCO दवाओं के अनुमोदन, क्लिनिकल परीक्षणों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

7. वह एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद् थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। 1905 में बनारस अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एमजी रानाडे की सहायता से उन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1899 से 1902 के बीच वे बम्बई विधान परिषद के सदस्य रहे।
उपरोक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का वर्णन किया गया है?
(a) लाला लाजपत राय
(b) बाल गंगाधर तिलक
(c) गोपाल गणेश अगरकर
(d) गोपाल कृष्ण गोखले

8. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक वैधानिक शीर्ष परिषद है।
2. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
3. इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) केवल 1 और 3

9. लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति का पता लगाने और समझने के लिए प्रकाश और अंतरिक्ष के भौतिक गुणों का उपयोग करता है।
2. यह भारत के कर्नाटक में स्थित होगा।
3. इसकी परिकल्पना भारतीय अनुसंधान संस्थानों के एक संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में LIGO प्रयोगशाला के साथ-साथ इसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच एक सहयोगी परियोजना के रूप में की गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

10. हाइड्रोजन सल्फाइड के स्वास्थ्य प्रभाव हल्के, सिरदर्द या आंखों में जलन से लेकर बहुत गंभीर, बेहोशी और मृत्यु तक होते हैं। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन सल्फाइड के स्रोत हैं?
1. उर्वरक उद्योग
2. चमड़ा उद्योग
3. कपड़ा उद्योग
4. फार्मास्यूटिकल्स उद्योग

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) ऊपर के सभी

11. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक गैर-वैधानिक संगठन है।
2. यह राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देता है।
3. इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है जो प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

12. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है।
2. यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
3. इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

13. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक वैधानिक निकाय है।
2. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

14. खबरों में अक्सर जिस पलक झील (palak lake) का जिक्र होता है वह स्थित है-

(a) मणिपुर
(b) मिजोरम
(c) असम
(d) झारखंड

15. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत IFAD का सदस्य नहीं है।
2. IFAD वर्ष 1977 में बनाया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

16. एसिक्लोफेनाक (Aceclofenac) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक दर्दनाशक है।
2. अपच और दस्त इसके दुष्प्रभावों में से एक हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

17. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. इसका मुख्यालय मुंबई में है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

18. अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. महत्वाकांक्षी व्यापार गलियारा रूस के बाल्टिक सागर तट को भारत के पूर्वी बंदरगाहों से जोड़ना चाहता है।
2. गलियारे का मुख्य उद्देश्य भारत और रूस के बीच परिवहन लागत और पारगमन समय को कम करना था।
3. भारत के लिए, INSTC पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए ईरान और मध्य एशिया के साथ व्यापार का मार्ग खोलता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 2 और 3
(d) 1,2 और 3

19. हाल ही में खबरों में देखी गई बरकुडियामेलानॉस्टिका (Barkudiamelanostica) है-
(a) पक्षी
(b) सरीसृप
(c) अंट (Ant)
(d) प्लांट

20. विश्व जलवायु कार्यक्रम किसकी पहल है?
(a) विश्व बैंक
(b) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
(c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
(d) विश्व मौसम विज्ञान संगठन

21. राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संदर्भ में; निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अध्यादेशों का बल और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है।
2. अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है।
3. जारी किए गए प्रत्येक अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के छह महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए।
4. अध्यादेशों का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है और यह संसद के किसी भी अधिनियम या अन्य अध्यादेशों को संशोधित या निरस्त कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1,2 और 4
(c) केवल 2,3 और 4
(d) 1,2,3 और 4

22. विश्व स्वास्थ्य सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है।
2. विश्व स्वास्थ्य सभा के पास WHO की क्षमता के भीतर किसी भी मामले पर सम्मेलनों या समझौतों को अपनाने का अधिकार है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

23. निम्नलिखित में से किस समूह में G7 के सभी चार देश सदस्य हैं?
(a) कनाडा, इटली, जर्मनी और फ्रांस
(b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और न्यूजीलैंड
(c) चीन, जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया
(d) रूस, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका

24. निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल है?
1. चीन
2. वियतनाम
3. मलेशिया
4. इंडोनेशिया

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(a) 1 और 4
(b) केवल 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) 2, 3 और 4

25. 'उड़ान योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा का उपयोग करके देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना।
(b) यह माल और यात्रियों की आवाजाही में सुधार के लिए एक राजमार्ग विकास योजना है।
(c) यह कम सेवा वाले हवाई मार्गों को उन्नत करने के लिए एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है।
(d) तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री करते हैं।
2. सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

27. एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) दुनिया का पहला पोलारिमेट्री मिशन है जिसका उद्देश्य चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है।
2. अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में दो वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा।
3. प्राथमिक पेलोड POLIX ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण को मापेगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में 21 देशों के विदेशी केंद्रीय बैंकों, पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड और एंडोमेंट फंड को एंजेल टैक्स के दायरे से छूट दे दी है।
2. वित्त अधिनियम, 2023 ने विदेशी निवेश को अपने दायरे में लाने के लिए आयकर अधिनियम के एंजेल टैक्स प्रावधान में संशोधन किया।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही स्पष्टीकरण है।
(b) कथन- I और कथन- II दोनों सही हैं और कथन- II कथन- I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) कथन- I सही है लेकिन कथन- II गलत है।
(d) कथन- I गलत है लेकिन कथन- II सही है।

29. जनहित याचिका (Public interest Litigation-PIL) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें;
1. कोई भी मामला जहां बड़े पैमाने पर जनता का हित प्रभावित होता है, उसे अदालत में जनहित याचिका दायर करके निवारण किया जा सकता है।
2. कोई भी नागरिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके सार्वजनिक मामला दायर कर सकता है।
3. न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले, 1976 के मामले में भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के लिए आधार तैयार किया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं

30. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (Indian Institute of Foreign Trade-IIFT) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका उद्देश्य सीखने के माहौल को बनाना और बढ़ावा देना है जो प्रतिभागियों को समाज के प्रति संवेदनशीलता के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी बनने में सक्षम बनाता है।
2. यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

Key Answers

1	B	16	D
2	C	17	A
3	A	18	C
4	D	19	B
5	C	20	D
6	B	21	B
7	D	22	C
8	C	23	A
9	C	24	C
10	D	25	C
11	C	26	C
12	A	27	B
13	A	28	A
14	B	29	B
15	B	30	A

Extended Portal access upto 2025 Prelims

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Current Affairs Daily Practice Test (Prelims & Mains)

Super 100 (Mentored by Mohan Sir & Toppers)

Daily Comprehensive Classes Access to live + recorded classes

Personality Test Modules, Group Discussions & Doubt Clearing Platform

Prelims Revision Handouts & VAN

Analyse Learn Perform (ALP)

Personalised Mentorship & Feedback

Emotional Wellness Expert

(For Freshers)

GURUKUL FOUNDATION 2024

Above & Beyond Regular Coaching

& Much more.....

ADMISSION OPEN

Bangalore Delhi Bhopal Lucknow Online

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888